पंजाब एण्ड सिंध बैंक (जान महा करका)



Punjab & Sind Bank

(A Govt, of India Undertaking)

Where service is a way of life

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2013-14

निदेशक मंडल / Board of Directors



oncert yet unta Pirkeput selt selb-weelly filte, once cycs. Chaleston & Managing Objector that justineterile Single, LA.5



spirate spec shill farme spec shill farme times the think the times to a



कार्यकारी किंद्र तक भी मुक्ति कुमार जैन रेक्टरकेट किंद्रपाल अन्य सामग्रीक सामग्री प्रका



of qual-tre



की प्रवीधा को जेना Shri Fradigu K. (राज्य



भी पहेल पूरवा प्रशासकार Gapta



off grade were equa-



off yearston a thin, refrience



of type range th foresh Dukor



भी राजीव कुनार अधेरु। Ehri Sanjiv Kumur Arona



all more and Shot Sanjan Verma



of held on their meeting. Sint, Anita Kamusar



of contra flat

विषय–सूची / Contents

	पृख्ठ संख्य	√ Page No
1.	उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2.	निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3.	नोटिस / Notice	4-31
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	32-61
5.	कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	62—119
6.	बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel-II & Basel-II	I 120—201
6.	वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	202-269
	तुलन—पत्र / Balance Sheet	202-203
	लाभ—हानि खाता / Profit & Loss Account	202-205
	अनुसूचियाँ / Schedules	206-263
	नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	264-265
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	266—269
7.	घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा)/ नामांकन फार्म	
	Format Of Declaration (By Candidate)/ Nomination Form	270-279
8.	प्रॉक्सी फार्म / Proxy Form	280-283
9.	उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	284-285



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रूपए लाखों में / Rupees. in lacs as on 31.03.2014 को

1.	जमा Deposits	8473016
2.	सकल अग्रिम Gross Advances	5785774
3.	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	1770102
4.	सकल निवेश Gross Investments	2834661
5.	शुद्ध लाभ Net Profit	30063
6.	आस्तियों पर प्रतिफल(%) Retrurn on Assests (%)	0.35%
7.	शुद्ध एनपीए अनुपात(%) Net NPA Ratio (%)	3.35%
8.	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)(बासेल-II) Captial Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	12.10%
9.	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)(बासेल- III) Captial Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.04%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस. Chairman & Managing Director Shri Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक श्री किशोर कुमार साँसी Executive Director Shri Kishore Kumar Sansi कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार जैन Executive Director Shri Mukesh Kumar Jain

निदेशक Directors

श्री एस.सी. दास	श्री प्रदीप्त के जेना	श्री महेश गुप्ता	श्री सुखेन पाल बबूता
Shri S. C. Das	Shri Pradipta K. Jena	Shri Mahesh Gupta	Shri Sukhen Pal Babuta
श्री एन.राजेन्द्रन	श्री सुरेश ठाकुर	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	श्री संजय वर्मा
Sh N. Rajendran	Sh Suresh Thakur	Shri Sanjiv Kumar Arora	Shri Sanjay Verma
श्रीमति अनीता कर्णावर Smt. Anita Karnavar	श्री एस.पी.एस. विर्क Shri S. P. S. Virk		

महाप्रबंधक General Managers


श्री जी.एस.सचदेवा	श्री एम.जी.श्रीवास्तव	श्री जी.एस.सेठी	श्री आई.एस.भाटिया
Shri G. S. Sachdeva	Shri M. G. Srivastava	Shri G. S. Sethi	Shri I. S. Bhatia
श्री हर्ष बीर सिंह	श्री दीपक मैनी	श्री एस.पी.एस.कोहली	श्री आर.सी. नारायण
Shri Harsh Bir Singh	Shri Deepak Maini	Shri S. P. S. Kohli	Shri R. C. Narayan
श्री जी.एस. ढल्ल	श्री डी.डी. शर्मा	श्री वीरेन्द्र गुप्ता	श्री एस.सी.क्वात्रा
Shri G. S. Dhall	Shri D. D. Sharma	Shri Varinder Gupta	Shri S. C. Kwatra
श्री वाई.के. वर्मा Shri Y. K. Verma	عاد	ता ग्रामिश्रक	

लेखा परीक्षक Auditors

मैसर्स आर.एम.लाल एण्ड कं. M/s R.M.Lall & Co.

मैसर्स बी.के. श्रॉफ एण्ड कं. M/s B.K.Shroff & Co. मैसर्स ओ.पी. तुलसियान एण्ड कं. M/s O.P.Tulsyan & Co.

मैसर्स आर. कोठारी एण्ड कं. M/s R.Kothari & Co.



पंजाब एण्ड सिंघ बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40 – मैक्समूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली -110003 में सोमवार, 30 जून 2014 को प्रातः 9.00 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगेः

- बैंक के 31 मार्च 2014 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अविध में कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन.पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व स्वीकार करने हेतु ।
- 2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश का अनुमोदन व घोषणा ।
- 3. केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने, जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2008, नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 46/29.39.001/2007-2008,डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 46/29.39.001/2007-2008 तथा दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 95/29.39.001/2010. 2011 के तहत वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं तथा निम्न प्रस्ताव पारित करने के लिए.

"पारित किया गया कि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निर्वाचित दो निदेशकों जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, योजना तथा इसके पश्चात बनाए गए विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अनुसरण में एतद् द्वारा इन्हें बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जोकि इस बैठक की तिथि से कार्यभार संभालेंगे तथा कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के पुरा होने तक कार्यभार संभाले रहेंगे"।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि (क) वार्षिक सामान्य बैठक (ख) चौथी वा.सा.बैठक में घोषित अंतिम लाभाँश यदि कोई है तो को प्राप्त करने वाले शेयर धारकों की पात्रता की निश्चिता के संबंध में शेयरधारकों के रजिस्टर तथा बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 14.06.2014 से 30.06.2014 तक (दोनो दिनों सिहत) बंद रहेंगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने ऐसे शेयरधारकों का पता लगाने के लिए जो बैंक के दो शेयरघारक निदेशकों के चुनाव मे भाग लेने के पात्र होंगे (नामित करने, चुनाव लड़ने तथा वोट/ई.वोट करने) तथा ऐसे शेयरधारकों का पता लगाने जो चौथी वार्षिक सामान्य बैठक के ऐजन्डा की चौथी मद पर वोट/ई.वोट देने के पात्र होंगे के लिए 30 मई 2014 अंतिम तिथि निर्धारित की है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः मई 19,2014

(जितन्दरबीर सिंह) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place,
New Delhi-110 008.

NOTICE

Notice is hereby given that the Fourth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003 on Monday, the 30th June, 2014 at 9.00 a.m. for transacting the following business:

Item No.

- 1. To discuss, approve and adopt Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit & Loss account for the year on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2. To approve and declare final dividend for the financial year 2013-14.
- 3. To elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with The Banking Regulations Act, 1949 and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08, 47/29.39.001/2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 issued by Reserve Bank of India and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date of this meeting and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption." Notice is also hereby given that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from 14.06.2014 to 30.06.2014 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting; and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive final dividend declared, if any, at the Fourth AGM.

Further, the Bank has fixed Friday, May 30, 2014 as 'Cut-off' Date for ascertaining the shareholders who will be entitled to participate (to nominate, contest and vote/e-vote) in the election of two shareholder directors of the Bank and to ascertain the shareholder who will be entitled to participate in voting/e-voting on the agenda items of 4th AGM.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: 19th May 2014 Jatinderbir Singh Chairman & Managing Director



टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक वक्तव्यः

निदेशकों के चुनाव संबंधित नोटिस की मद संख्या 3 के वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:

एजेन्डा मद संख्या 3 से संबंधित वास्तविक तथ्यों का दिया गया व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी (केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त) 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नहीं है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है ।

दिनांक 31.03.2014 को बैंक की प्रदत्त ईिक्वटी शेयर पूंजी रू.275.28 करोड़ थी, जिसका 81.42% भारत सरकार के स्वामित्व में तथा शेष 18.58% अन्य के स्वामित्व में है। धारा 9(3) (i) के पैरा (II) के प्रावधानों के अनुसार बैंक को शेयरधारकों द्वारा उनमें से चयन किए जाने वाले दो निदेशकों को निदेशक मण्डल में शमिल करना अपेक्षित होगा। दिनांक 03.06.2011 को शेयरधारकों में से तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित निदेशकों की समय-सीमा दिनांक 02.06.2014 को समाप्त हो रही है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 10.05.2014 की अपनी बैठक में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया द्वारा शेयरधारकों में से दो निदेशकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

निदेशक, उस तिथि से जब वह निर्वाचित हुआ है या निर्वाचित समझा गया है कार्यभार ग्रहण करेगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा ।

2. प्रॉक्सी की नियुक्तिः

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा / होगी तथा प्रॉक्सी को बैक का शेयरघारक होना अनिवार्य नही है ।

यद्यपि, इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में अपने विचार रखने का कोई अधिकार नही होगा ।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नही किया जाएगा।

विनियमों के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखित से व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखित संबंधित है ।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक –डी) तभी प्रभावी होगा जब वह बैक के शेयर कक्ष, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 25.06.2014 (बुधवार) को सांय 5 बजे अथवा बैंक के कार्यघंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाए। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोिक हस्ताक्षिरत है अथवा नोटरी पब्लिक या मिजस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य प्रति के रूप में प्रस्तुत किया जाए बर्शते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा रिजस्टर्ड है।

3. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 25.06.2014 (बुधवार) को सांय 5 बजे या इससे पहले शेयर कक्ष, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 प्राप्त हो जानी चाहिए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पासः

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 30.06.2014 को प्रातः 8.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 3

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, *inter alia*, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2014 was Rs. 275.28 crores of which 81.42% is held by the Govt. of India while 18.58% is held by others. In view of provisions in Para (II) of Section 9(3) (i), the Bank is required to have two directors on Board of Directors to be elected by the Shareholders from amongst themselves. Two directors elected on 03.06.2011 from amongst the shareholders, for a period of three years, completed their term on 02.06.2014.

The Board of Directors in their meeting dated 10.05.2014 has decided to appoint two directors from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is elected or deemed to have been elected and will hold office for a period of three years.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'D') in order to be effective must be received at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 25.06.2014 (Wednesday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 25.06.2014 (Wednesday).

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

4. REGISTRATION, ATTENDENCE SLIP AND ENTRY SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.00 a.m.

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आरंभ होगा। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक मे समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है। शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पास अनुबंध "ई" पर संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों/ अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसको बैठक स्थल पर सौप दें इसके पश्चात ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए । शेयरधारक के प्रॉक्सी /अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्राक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्राक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि अंकित करेगा। शेयरधारकों /प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात होगा, और उनको वैध पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र /नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।

5. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र-व्यवहारः

शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से पंजीकृत पते, ई-मेल पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, उसकी सूचना बैक के शेयर अंतरण एजेन्ट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. यूनिट पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 44, कम्प्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़.I नजदीक पी.वी.आर.नरायाणा नई दिल्ली.110028

फोनः 011 41410592, 41410593 email-delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तन अपने डिपाज़िटॉरी सहभागी को सूचित करें ।

रिजस्टरों का बंद होनाः

बैंक के शेयर धारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बही दिनांक 14.06.2014 से 30.06.2014 तक (दोनों दिनों सहित) (क) वार्षिक सामान्य बैठक (ख) चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक द्वारा अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु बंद रहेंगे।

7. दो निदेशकों का निर्वाचन करने तथा अन्य एजेण्डा मदों के लिए वोट / ई-वोट देने तथा चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतिम तिथि (कट ऑफ तिथि) :

जिन शेयर धारकों का नाम कारोबारी घंटों अर्थात् 30.05.2014 (जो "अंतिम तिथि" के रूप में मानी जाएगी) को एन.एस.डी.एल/ सी.डी.एस.एल. द्वारा उपलब्ध कराए गए शेयरधारकों / लाभार्थी के रूप में रजिस्टर पर हैं, को शेयरधारकों के मध्य से, अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और निदेशकों के चुनाव में वोट / ई-वोट देने के लिए, केंद्रीय सरकार तथा एजेण्डा मदों के अतिरिक्त सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे।

8. लाभांश का भुगतानः

बैंक के निदेशक मण्डल नें अपनी दिनांक 10.05.2014 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रत्येक 10/- रूपए के इक्विटी शेयर के लिए अंतिम लाभांश 0.60 रूपए (केवल साठ पैसे) (16.01.2014 को घोषित तथा 31.01.2014 को प्रदत अंतिम लाभांश 1.60 रूपए प्रति शेयर को छोड़कर) की सिफारिश की। निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति तथा चौथी सामान्य बैठक के अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

- क. दिनांक 13.06.2014 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लि. (एनडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडे के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के सभी लाभार्थी स्वामियों को।
- ख. दिनांक 13.06.2014 के कार्यकाल की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक / बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।
- ग. चौथी वार्षिक बैठक की तिथि से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

on 30.06.2014, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'E') to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.

5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, email address, bank details etc. to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor,

Naraina Industrial Area, Phase-I,

Near PVR Naraina,

NEW DELHI-110 028. Ph: 011 41410592, 41410593 email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

6. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 14.06.2014 to 30.06.2014 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive final dividend declared, if any, at the Fourth AGM.

7. CUT-OFF DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION & VOTE/e-VOTE TO ELECT TWO DIRECTORS AND OTHER AGENDA ITEMS:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ as Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as at the close of business hours i.e. 30.05.2014 (hereinafter referred to as the "Cut-Off Date") shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote/e-vote in election of directors from amongst Shareholders other than Central Government and other agenda items.

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 10.05.2014 recommended a final dividend of Rs. 0.60 (paise sixty only) (excluding interim dividend of Rs. 1.60 per equity share declared on 16.01.2014, paid on 31.01.2014) per equity share of Rs. 10/- each, for the financial year 2013-14. Final dividend as recommended by the Board of Directors, approved and declared at the 4th Annual General Meeting will be paid as under:

- a. To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on 13.06.2014.
- b. To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers, if any, in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., Link Intime India Pvt. Ltd. on or before the close of business hours, i.e. 5.00 p.m. on 13.06.2014.
- c. The final dividend will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of 4th Annual General Meeting.

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

9. लाभांश अधिदेश/डाक पते में परिवर्तन:

- क. इलैक्ट्रोनिक रूप में रखे गए लाभार्थी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपोजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रिजस्टर एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट, इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक अधिदेश से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल उनके डिपोजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।
- ख. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते तथा बैंक विवरण में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. को दे। इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित सहभागी डिपोजिटरी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रिजस्ट्रार एव शेयर हस्तांतरण एजेन्ट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।
- ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रिजस्ट्रार एव शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपीआईडी/ग्राहक आई डी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रोनिक रूप में हैं) का अवश्य उल्लेख करें।

10. अदत्त लाभांष, यदि कोई हो:

शेयरधारक कृपया ध्यानपूर्वक नोट करे कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन वं अंतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन वं अंतरण) तथा वितीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के मद्देनजर सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वो उक्त अधिनियम लागू होने के बाद पहले के वर्षों में बकाया रह गई राशि को अदत्त / अदावा लाभांश खाते में तथा इसके साथ ही उक्त अधिनियम लागू होनें के बाद "अदत्त लाभांश खाते " में अंतरित करें।

उक्त " अदत्त लाभांश खाते " में अंतरित राशि तथा अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अविध हेतु बची हुई अदावाकृत/अदत्त राशि को स्थापित निवेशक शिक्षा वं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है तथा इसके पश्चात बैंक अथवा फण्ड के पास कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

11. फोलियों का समेकनः

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर है, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.िल. (आर .टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के साथ सूचित करें तािक बैंक एक खाते में सभी धािरत शेयरों का समेकन करनें में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

12. रोयर धारकों से अनुरोधः

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।अत: शेयरधारकों /प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए।

13. रोयर धारकों के मताधिकारः

अधिनियम की धारा 3(2 ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयरों, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर, रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

निदेषकों का चुनावः

14. बैंक के निदेशक के रूप में चूने जाने हेत् आवश्यक योग्यताएं

अधिनियम की धारा 9 (3 ए) में दी गई शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो अधिनियम के खंड (1) उपधारा (3) के अनुसरण में निदेशक चुना जाना चाहता हो, होना चाहिए:

- (का) जिसको नामत: एक या अधिक मामलों में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए : -
 - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग

9. DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS

- a. Beneficial Owners holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to their Depository Participant.
- b. Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address, bank details immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address, bank details to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. UNPAID DIVIDEND, IF ANY

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

12. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

13. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

ELECTION OF DIRECTORS:

14. QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall -

- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy;
 - banking

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- कानून
- लघु उद्योग
- भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के हित में अन्य किसी मामले की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव।
- (ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करे ; अथवा
- (ग) किसानों, कामगारों, शिल्पकार

अधिनियम की धारा 9(3एए) की शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और बैंक का निदेशक बनने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में ज़ारी "फिट एवं प्रॉपर" दिशानिर्देशों के अनुसरण में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चुने हुए निदेशक को, करार का विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं / परिवर्तनों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

15. बैंक के निदेशक चुने जाने में अयोग्यताः

- क) राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में या नियुक्त होने से अयोग्य किया जा सकता है:
- क) यदि उसको दिवालिया या उससे भुगतान में चूक या अपने देनदारों से धोखाधड़ी की है या
- ख) यदि उसे दिमागी रूप से विक्षिप्त पाया गया है और सक्षम अदालत द्वारा पागल करार दिया गया हो या
- ग) यदि उसको फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंड दिया गया हो, जिसमें नैतिक पतन सम्मिलित है।
- घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत् गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत् गठित सहायक बैंक, पूर्ण-कालिक निदेशक के पद धारण के अलावा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सम्मिलित है और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (इ) एवं (एफ) के अंतर्गत् बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के अतिरिक्त, लाभ के पद पर आसीन है।
- ख) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01.11.2007 को जारी दोनों अधिसूचनाओं सं. डीबीओडी. नं. बीसीनं. 46/29.39.001/2007-08 एवं सं.डीबीओडी. नं. बीसीनं. 47/29.39.001/2007-08 तथा दिनांक 23.05.2011 को जारी अधि ासूचना डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 के अनुसार तथा/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार "फिट एण्ड प्रोपर" नहीं पाया जाता है।

16. निदेशकों का कार्यकालः

योजना के खंड 9(4) के अनुसार, एक चुना हुआ निदेशक तीन वर्ष हेतु पद पर बना रहेगा और पुनः चुनाव का पात्र होगा। यद्यपि इस प्रकार का कोई भी निदेशक छः वर्ष की अविध से अधिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता। शेयरधारकों के संज्ञान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 9 (3बी) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत् चुने हुए निदेशक जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) तथा 3(एए) की अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने का अधि

17. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

ाकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है।

- 1- किसी भी उम्मीदवार का निदेशक हेतु नांमांकन तब तक वैध नहीं होगा यदि,
- क) वह बैंक का शेयरधारक हो तथा दिनांक 30.05.2014 जो कि चुनाव हेतु निर्धारित तिथि है को उसके पास कम से कम 100 शेयर हों।
- ख) वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 14.06.2014 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैक (प्रबंधन और विविध प्रावधानों) योजना, 1980/भा.रि.बैंक के अंतर्गत निदेशक के चयन हेतु अयोग्य घोषित न हुआ हो।

- co-operation;
- economics;
- finance
- law;
- small-scale industry;
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.
- B) represents the interest of depositors; or
- C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and desires to be a Director of the Bank should possesses 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director shall also execute the deed of covenant and is required to furnish annual declarations/ changes, if any, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

15. DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- <u>A.</u> In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under Clause (e) and (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- **B.** If he is not found to be 'Fit and proper' person in terms of Notification No. DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08, 47/29.39.001/2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and/or other guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

16. TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years. Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

17. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

- 1. No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
- a. He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on, the 30.05.2014 being the cut-off date for participating in the election;
- He/she is, as on 14.06.2014, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980 or under The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 / RBI;

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- ग) अधिनियम के अंतर्गत नामांकन कम से कम ऐसे 100 शेयरधारक जो निदेशक का चयन करने के पात्र हों, द्वारा हस्ताक्षिरत हो, बशर्ते किसी ऐसे शेयरधारक, जो कि एक कंपनी हो ,तो उस कंपनी के निदेशकों द्वारा एक मसौदा पास होने के बाद किया जाएगा और जहां वह इस प्रकार किया गया हो वहां वह संकल्प जिस सभा से पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित उक्त संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जायेगा।
- घ) उक्त नामांकन किसी न्यायधीश ,मजिस्ट्रेट, बीमा पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उक्त अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षिरत इस आशय के घोषणापत्र के साथ होगा कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने का इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत किसी भी रूप में निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं हुआ है।
- 2. कोई भी नांमांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह सभी सम्बद्घ प्रलेखों के साथ पूर्ण रूप से परिपूर्ण बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग(शेयर कक्ष), 21- राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 को सभी कार्य दिवसों और नियत तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात 14 जून 2014 को सांय 2 बजे तक प्राप्त हो जाए।

18. नामांकन फार्मी को जमा करनाः

ऐसे शेयरधारक, केन्द्रीय सकार के अतिरिक्त जो बैक के शेयरधारकों में से चुनाव में भाग लेना चाहते हों, उन्हें निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे-

- क) दिये गये प्रारूप (अनुलग्नक-ए) में विधिवत् रूप से भरा हुआ (घोषणा पत्र) जो कि प्रमाण पत्रों के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण—पत्र, बायो डाटा, अनुभव प्रमाण—पत्र स्वतः सत्यापित अन्य के साथ संलग्न हो;
- ख) भारतीय रिज़र्व बैक द्वारा जारी किये गये "फिट एण्ड प्रोपर" दिशा-निर्देशों के अनुसरण में संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-बी) के अनुसार उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र तथा अन्य आवश्यक संलग्नक और
- ग) बैक के कम से कम 100 ऐसे शेयरधारक जिन्हें नामांकन करने का अधिकार हो, द्वारा प्रदत्त नामांकन पत्र, जिसका प्रारूप (अनुलग्नक-सी) इस सूचना में दिया गया है, एक मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर शेयरधारकों के निदेशक हेतु नामांकन लिखा हो,

सहायक महाप्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21.राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008.

को सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् शनिवार, 14 जून, 2014 को सांय 2 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

19. शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता:

शेयरधारकों द्वारा चुनाव में भाग लेने के लिए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन 2008 के विनियमन 64 में दर्शाए अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति 05 जून, 2014 से प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होगी। जिसे शेयरधारकों द्वारा रू० 50,000/- मूल्य के मांग ड्राप्ट द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में तथा नई दिल्ली पर देय हो, द्वारा खरीदा जा सकता है। तथापि शेयरधारक रजिस्टर में प्रविष्ट कोई भी प्रविष्टि या कंप्यूटर से प्रिंट बिना किसी शुल्क प्राप्त कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो पूरे रजिस्टर का कंप्यूटर प्रिंट या उसके किसी भाग की प्रति या उसका आवश्यक आंशिक भाग 5/-रू. प्रति 1000 शब्द की दर से पूर्व भुगतान पर भेजा जाएगा।

20. नामांकर्नों की जांच

क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01.11.2007 को जारी "फिट एण्ड प्रोपर" दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन की जाँच बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा सोमवार, दिनांक 16 जून, 2014 को की जाएगी, नामांकन प्राप्त होने की नियत तिथि के बाद पहले

- c. the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank addressed to the Assistant General Manager, Head Office Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21-Rajendra Place, New Delhi, such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- d. the nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election and that he/she is not disqualified under the Act or the Scheme or these Regulations.
- 2. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respect, at the Head Office of the Bank addressed to the Assistant General Manager, Head Office Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21, Rajendra Place, New Delhi 110 008 on working day not less than 14 days, before the date fixed for the meeting i.e., on or before the closing of business hours of the Bank on 14 June 2014 (2.00 p.m.).

18. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit the following:

- a. duly filled in 'Declaration Form' as per format (Annexure-'A') attached along with testimonials viz., bio-data, certificates of educational qualification(self attested), experience;
- b. "Declaration and Undertaking by Candidate" as per format (Annexure-'B') attached pursuant to Fit & Proper Guidelines issued by Reserve Bank of India and required attachments thereat; and
- c. minimum of 100 Nomination Forms, as per format (Annexure-'C') obtained from shareholders of the Bank who are entitled to nominate, in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and super scribed "Nomination for Shareholder Director", to:

The Assistant General Manager Punjab & Sind Bank Head Office, Shares Cell Accounts & Audit Department, 21 Rajendra Place, NewDelhi-110008

on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 2.00 p.m. on Saturday, 14 June, 2014 failing which, the nominations are liable to be rejected.

19. AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 will be made available at the Head office of the Bank, from 5^h June 2014 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- [Rupees fifty thousand only] by demand draft in favour of Punjab & Sind Bank, payable at New Delhi. However, a shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charges or if he requires a copy or computer prints of the register or any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

20. SCRUTINY OF NOMINATIONS:

a) Nominations shall be subjected to Scrutiny by Nomination Committee of the Board in terms of the fit and proper Guidelines dated 01.11.2007 issued by the RBI on Monday, the 16 June 2014, the first working

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसको कारण बनाते हुए रद्द कर दिया जाएगा।

- ख) यदि चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए केवल दो वैध नामांकन हों तो ऐसे नामित उम्मीदवार को चुना हुआ मान लिया जायेगा और वे अगले दिन से कार्यालय संभाल लेंगे तथा उनका नाम और पता चुने गये निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं किया जायेगा तथा एजेंडा की मद सं. 3 वापिस ले ली जाएगी।
- ग) यदि चुनाव कराया जाता है तथा वैध नामांकन चुनाव किये जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा और वह अगले दिन से कार्यभर ग्रहण करेगा तथा उनका नाम और पता चुने गये निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।
- घ) यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

21. नामांकन वापस लेना

यदि कोई उम्मीद्ववार अपना नामांकन वापस लेना चाहता/चाहती है तो वह ऐसा शनिवार 28 जून 2014 को बैंक के कार्य घंटों की समाप्ति से पूर्व तक कर सकता/सकती है।

शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक निम्न पते पर किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं

कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंघ बैंक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष) 21 – राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 टेलिफोनः 011-25782926, 011-25812922

अन्य जानकारी

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के कारणों से हॉल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली दिनांक 19 मई, 2014 जतिंदरबीर सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.

- b) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidate(s) so nominated shall be deemed to be elected forthwith & they will assume office from the next day and his/her name & address shall be published. In such an event there shall not be any election at the meeting and Agenda Item No. 3 shall be withdrawn.
- c) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to be elected and they will assume office from the next day and his/her name & address shall be published.
- d) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

21. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on Saturday 28th June, 2014.

SHARES Cell

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell,
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, 1st floor,
New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926, 25812922


OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi Date: 19th May 2014 Jatinderbir Singh Chairman & Managing Director



संबंधित अधिनियमों, योजनाओं तथा विनियमनों आदि का सार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा पर निर्भर करती है । इस संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की संबंधित धारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2008 के संबंधित विनियमनों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है-

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों विषयक प्रतिबंधः

16(1) भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मण्डल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो दूसरी बैंककारी कंपनी का निदेशक है ।

ऋण एवं अग्रिमों पर रोकः

धारा 20

कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी बैंककारी कंपनी -

- क) अपने ही शेयरों की प्रतिभृति पर ऋण एवं अंग्रिम प्रदान नहीं कर सकती ।
- ख) निम्नलिखित को उनकी और से ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिए वचनबद्ध नहीं कर सकती -
 - (i) उसका कोई निदेशक
 - (ii) कोई ऐसी फर्म जिसमें उसकी किसी निदेशक, भागीदार / प्रबंधक/ कर्मचारी के रूप में अथवा गारंटिकर्ता के रूप में हित) है या
 - (iii) कोई ऐसी कंपनी (जो बैंकिंग कंपनी की सहायक या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है या सरकारी कंपनी या सहायक या नियंत्रक कंपनी या बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक उसका निदेशक, प्रबंधकीय एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता है या जिसमें उसका पर्याप्त हित है या
 - (iv) कोई व्यक्ति जिसके लिए उसका कोई निदेशक साझीदार या गारंटीकर्ता है।
- 2. जहां कोई ऋण या अग्रिम बैंकिंग कंपनी द्वारा दिया जाना हो तो इसके लिए कोई वायदा नही किया जा सकता यदि उपधारा (1) के खण्ड (6) उस तिथि को लागू हो जिस तिथि को ऋण या अग्रिम दिया गया हो या बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के लागू होने के बाद स्वीकृत किया गया हो, लेकिन इस प्रकार लागू होने से पूर्व किए गए वायदे को निभाने के लिए बैंकिंग कंपनी को देय ब्याज सिहत ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली के लिए उपाय करने चाहिएं, यदि ऋण या अग्रिम प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत देय या जहां धारा (5) के लागू होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसा कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।
 - बशर्ते रिज़र्व बैंक किसी भी स्थिति में बैंकिंग कंपनी द्वारा इस आधार पर किए गए किसी लिखित आवेन पर ऋण एवं अग्रिम की वसूली की अविध इस तारीख तक बढ़ा सकता है लेकिन उल्लिखित धारा 5 के लागू होने से तीन वर्ष की अविध से अधिक की तारीख नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी शर्तों पर जो रिज़र्व बैंक उचित समझता हो ।
 - यदि जब संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य कारणों से बैंकिंग कंपनी के निदेशक कार्यालय को त्याग देता है तो उपरोक्त के अतिरिक्त यह उप धारा लागू नही होगी ।
- उप धारा (2) के संदर्भ में कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई हिस्सा रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमित के बिना अदा नही किया जाएगा।
 ऐसी अनुमित के बिना कोई भी छूट अवैध होगी तथा इ सका कोई प्रभाव नही होगा।
- 4. जहां उप धारा (1) को संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी व्यक्ति द्वारा देय है, जिसकी चुकौती बैंकिंग कंपनी को उप धारा में विनिर्दिष्ट अविध में नहीं की गई है तब ऐसे व्यक्ति को यदि वह ऐसी अविध की समाप्ति की तिथि को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है को ऐसी तिथि को यह माना जाए की उसने कार्यालय छोड़ दिया है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में

क) "ऋण एवं अंग्रिम" में ऐसा कोई लेन-देन शामिल नहीं होगा जोकि रिज़र्व बैंक लेन-देन की प्रकृति, अविध परिस्थितियां जिसके अंतर्गत देय राशि वसूली योग्य है, जमाकर्ता का हित तथा अन्य संबंधित प्रतिफल, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट इस धारा के उद्देश्य हेतु ऋण एवं अग्रिम नहीं है।

GIST OF PROVISIONS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and relevant regulations of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT. 1949

Prohibition of Common Directors:

16 (1) No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.


Restrictions on loans and advances:

Section 20:

- **1.** Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
 - i) any of its directors
 - ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.
- 2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5. Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.
 - Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
- 3. No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- **4.** Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation – In this Section

a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.



- ख) निदेशक से अभिप्रायः, प्रबंधन हेतु अथवा प्रबंधन के समस्त कार्यों में सलाहाकार हेतु, बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी भारतीय समिति या मंडल के सदस्य से है ।
- 5. यदि कोई प्रश्न उठता है तो इस धारा में क्या कोई लेन-देन, ऋण या अग्रिम से संबंधित है तो इस पर रिज़र्व बैंक का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980

निदेशक मंडल की संरचनाः

- धारा 9 (3) (i) जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूंजी जारी की जाती है:-
 - (i) एक निदेशक को कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नही,
 - (ii) दो निदेशकों को कुल प्रदत्त पूंजी का 16 प्रतिशत से ज्यादा परंतु 32 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जाएगा।
 - (iii) तीन निदेशकों को कुल प्रदत्त पूंजी का 32 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जाएगा।
 - केंद्रीय सरकार के अलावा अपने शेयरधारकों के मध्य शेयरधारकों को चुना जाएगा ।

इस खंड के अंतर्गत ऐसे किसी भी निदेशक के चयन के उपरांत प्रभार लेने के बाद खंड (ज) के अंतर्गत उतने निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत हो जाएंगे।

विश्वसनीयता और गोपनीयता का दायित्व :

खंड 13(2) प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड के सदस्य या कमेटी या आडिटर, सलाहकार, अधिकारी या अनुरूपी नये बैंक के अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्यों को संभालने से पहले तीसरी अनुसूची के अनुसार विश्वसनीयता और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1980

खंड 11: कार्यालय के निदेशकों की छुटिट्यां आदि

- i) यदि कोई निदेशक खंड 10 के अंतर्गत अयोग्य होता है या वह लगातार बोर्ड की तीन सभा में बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है तो उसका कार्य पद खाली माना जाएगा और उसके तत्काल बाद उसका कार्यालय खाली माना जाएगा।
- ii) नियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (बी) या खंड(सी) के अंतर्गत संदर्भित अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक सिहत पूर्ण कालिक निदेशक या एक निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकता है और उनका त्यागपत्र उसी सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके द्वारा कार्यालय खाली करना माना जाएगा और अन्य कोई निदेशक उसके उपरांत केन्द्रीय सरकार को लिखित में अपना त्यागपत्र देता है और इस त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद मान्य माना जाएगा।
- iii) पूर्वगामी उप खंडों के प्रावधानों की पूर्वधारणा के बिना निदेशक का कार्यालय नियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (आई) या खंड(ई) के अंतर्गत तभी खाली हो जाएगा जब कोई कर्मकार या कर्मचारी निदेशक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी जो कि निदेशक है की मृत्यु हो जाती है।
- (iv) चयनित निदेशक के अतिरिक्त यदि किसी निदेशक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है , तो उसे अधिनियम के खंड 9 के उप खंड(3) के अंतर्गत भरा जाएगा।

खंड 11कः चयनित निदेशक को कार्यालय से हटाना :

केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जिनके पास अधिकतम शेयर हों जो कि सभी शेयरधारकों की शेयर पूंजी के आधे से कम न हो तो वे एक मसौदा पास करके खंड 9 के उप खंड (3) के अंतर्गत खंड (आई) के अंतर्गत चयनित निदेशक को कार्यालय से हटा सकते हैं और रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकते है।

खंड 11 ख: चयनित निदेशक के कार्यालय में रिक्ति को भरना :

- 1. यदि किसी चयनित निदेशक की कार्यालय अवधि समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति होती है तो उस रिक्ति को चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, बशर्ते यदि रिक्ति छः महीने से कम अवधि की हो तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाएगा।
- 2. उप धारा (1) के अंतर्गत चयनित या सहयोजित व्यक्ति जैसा भी मामला हो, अपने पूर्वपदाधिकारी की शेष अवधि के लिए



- b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980 Composition of the Board of Directors:

Section 9 (3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- (I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, **one** Director.
- (II) More than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, two Directors.
- (III) More than thirty two percent of the total paid-up capital, **three** Directors. to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13 (2): Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule

NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.

- i) If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- ii) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- iii) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director
- iv) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:

- Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election; Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
- 2. A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.



कार्यभार संभालेगा।

निदेशकों द्वारा अपनी अभिरुचि प्रकट करना:

खंण्ड 12(8): कोई भी निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक की तरफ से किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव से या किसी प्रस्ताव में सम्मिलित होता है, जैसे ही संबंधित परिस्थितियां उसको पता चलती हैं तो उसे अपनी अभिरूचि के कारणों को बोर्ड को स्पष्ट कर देना चाहिए और जब तक किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव से या किसी प्रस्ताव में सिम्मिलित होने के मद्देनजर अन्य निदेशकों द्वारा सूचनाओं को प्रकाश में लाने के लिए उसकी उपस्थित अपेक्षित न हो वह व्यक्ति बोर्ड की सभा में भी उपस्थित नहीं होना चाहिएं और न ही उस निदेशक को ऐसे किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव के लिए वोट देना चाहिए।

बशर्ते कि इस उपखंड में दिया गया कुछ भी ऐसे निदेशकों पर निम्न कारणों से लागू होगा:

- i) एक शेयरधारक (निदेशक के अतिरिक्त) ,जो कंपनी अधिनियम 1956(1956 का 1) के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक शेयर रखता हो अथवा कानून के अंतर्गत स्थापित कोई भी निकाय, अथवा सार्वजनिक समिति, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई समझौता, ऋण हेतु संव्यवहार या प्रस्ताव पारित किया हो या
- ii) कोई अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अन्य कर्मचारी, जो अधिनियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (ई) या खंड(एफ) के अंतर्गत यदि निदेशक संदर्भित हो।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2008

विनियमन 10 संयुक्त शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोग:

यदि कोई शेयर दो या अन्य व्यक्तियों के नाम से हों ,तो जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हो, को वोट करने, लाभांश लेने, नोटिस देने और सभी या अन्य कोई मामला जो भी हो के लिए पूर्ण अधिकार होगा सिवाय पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा।

शेयरधारकों की बैठक

विनियम 61. सामान्य बैठक में मतदान:

- i) किसी भी सामान्य बैठक में जब तक मतदान की मांग न की जाए बैठक में मत का निर्णय हाथ उठाकर ही किया जाएगा।
- ii) जैसा कि अधिनियम में अन्यथा वर्णित हो, सामान्य बैठक में प्रस्तुत सभी मुद्दे बहुमत के आधार पर निर्णित किये जाएंगे।
- iii) उप विनियम (i) के अंतर्गत जब तक कि चुनाव की मांग न की गयी हो, बैंठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणापत्र कि प्रस्ताव हेतु हाथ उठाकर रजामंदी सर्वसम्मित से अथवा निश्चित बहुमत से मांगी गई अथवा नहीं और रिकार्ड में कार्यवाही से संबंधित प्रविष्टि को, प्रस्ताव के विरुद्ध अथवा समर्थन में पड़े मतों के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
- iv) किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर रजामंदी देने के परिणाम घोषित होने पर या उससे पहले, बैठक के अध्यक्ष द्वारा निजी प्रस्ताव द्वारा और किसी एक शेयरधारक या शेयरधारकों की मांग पर, जो उस बैठक में उपस्थित हों या किसी प्रतिनिधि द्वारा जो बैंक का शेयरधारक हो, जो मसौदे के संबंध में कुल वोटिंग अधिकार के पांचवां हिस्सा रखता हो की मांग पर मतदान का आदेश दे सकता है।
- v) जो व्यक्ति या व्यक्तियों जिन के द्वारा चुनाव की मांग रखी गई हो, वे इस मांग को कभी भी वापस ले सकते है।
- vi) स्थगन के प्रश्न पर या मीटिंग के अध्यक्ष के चुनाव की मांग तत्काल स्वीकार की जाएगी।
- vii) मीटिंग के अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी अन्य प्रश्न पर चुनाव की मांग को मांग के समय से 48 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा ।
- viii) किसी व्यक्ति की वोट डालने की योग्यता तथा किसी चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा वोट डालने की संख्या के निर्धारण में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

विनियमन 63 सामान्य सभा में चुने जाने वाले निदेशक:

i) अधिनियम के खंड 9 के उपखंड (3) के खंड(i) के अनुसार किसी निदेशक का चयन केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त पंजाब एण्ड

Disclosure of Interest by Directors:

Clause 12 (8): A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:

- i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act , 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.


MEETING OF SHAREHOLDERS

Regulation 61. Voting at General Meeting.

- i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

Regulation 63. Directors to be elected at General Meeting:

i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Punjab & Sind Bank.



सिंध बैंक की सामान्य मीटिंग में रजिस्टर्ड शेयरधारकों में से ही किया जाएगा।

ii) यदि किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चयन होता है तो इससे संबंधित सूचना बैठक की सूचना के साथ ही दे दी जाएगी। ऐसे सभी नोटिस में चयनित निदेशकों की संख्या और रिक्तियों का विवरण जिसके संबंध में चुनाव किया जाता है का पूरा विवरण स्पष्ट होना चाहिए।

विनियमन ६४ शेयरधारकों की सूची :

- i) विनियमन 63 के उप विनियम (i) के अंतर्गत निदेशकों के चयन के उद्देश्य के संबंध में, उन शेयरधारकों की एक सूची बनाई जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चयन होना है।
- ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रिजस्टर्ड पते, शेयरों की संख्या तथा निर्दिष्ट संख्या तथा दिनांक जब उन्हें शेयर रिजस्टर्ड किये गये थे तथा जिस मीटिंग में वोट हुए उस मीटिंग की दिनांक तय करने के लिए और वोटों की संख्या और सूची की प्रतियां प्रबंध कमेटी द्वारा प्रधान कार्यालय में मांग पर बिक्री हेतु निर्धारित कीमत पर मीटिंग की दिनांक से कम से कम तीन सप्ताह पहले उपलब्ध होनी चाहिए।

विनियमन 67 - चुनाव विवादः

- i) चुने हुए माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के संबंध में या किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का संदेह या विवाद उठने की स्थिति में अभ्यर्थी या शेयरधारक के रूप में हितबद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे चुनाव में मतदान करने का पात्र हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा किए जाने के सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकता है तथा उक्त सूचना में चुनाव की वैधता के संबंध में उठने वाले संदेहों ओर विवादों के आधारों के संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएगा ।
- ii) उप विनियम (i) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंघ निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को निर्णय हेतु तुरंत उप समिति को भेजेंगे, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित में से किन्हीं दो निदेशकों का समावेश होगा।
- iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित उक्त समिति ऐसे जांच करेगी जो उसे आवश्यक लगे और यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित चुनाव परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर नया चुनाव कराये जाने सहित ऐसे आदेश जारी करेगी और ऐसे निदेश देगी जो उन परिस्थितियों में समिति को न्यायोचित लगे ।
- iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा किया गया कोई भी आदेश एवं निर्देश निर्णायक होगा ।

शेयरधारकों के मताधिकार

विनियमन 68 मताधिकार का निर्धारण

- i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो जिसे सामान्य सभा के पूर्व रिजस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी सभा में हाथ उठाकर एक मत देने तथा मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत का अधिकार होगा।
- ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जो उपयुक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कंपनी की हैसियत से नहीं व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में इसमें इसके ऊपर उप विनियम (i) में यथावर्णित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मद देने का अधिकारी होगा ।
- iii) स्पष्टीकरणः इस अध्याय के लिए कंपनी से अभिप्रायः है कोई भी निगमित निकाय से है। सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं) को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने हेतु नियुक्ति करने के हकदार होगें, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

विनियम 69. विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

(1) केंद्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में जैसी भी स्थिति हो, कोई शेयरधारक संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की किसी भी सामान्य



ii) where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64. List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 67. Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director/Executive Director of Punjab & Sind Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Punjab & Sind Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Regulation 68. Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i). Explanation for this Chapter, "Company" means any body corporate.
- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69. Voting by Duly Authorised Representative:

i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में जिसे विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केन्द्रीय सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उस कंपनी की और से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक का एकल शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/ व्यक्तियों के विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिध के रूप में कार्य कर सकता है।

(ii) कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी सभा में किसी कंपनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित रहेगा या मतदान नहीं करेगा जब तक की उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर दी जाती।

विनियम 70 प्रतिनिधि:

- i) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक कि एकल शेयरधारक के मामले में, वह उस द्वारा या उसके प्राधिकृत एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षिरत न हो या संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर मे प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षिरत या उसकी एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षिरत न हो या निगमित निकाय के मामले में उसे अधिकारी या एक एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षिरत न हो।
 - बशर्ते कि प्रतिनिधि का प्रपत्र किसी अन्य शेयरधारक द्वारा विहित ढ़ंग से हस्ताक्षिरत हो ,जो कि किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और किसी न्यायधीश,मजिस्ट्रेट,बीमा कंपनी के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित हो या अन्य कोई सरकारी राजपत्रित अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कोई अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।
- ii) कोई भी प्रतिनिधि तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधिवत मोहर लगी न हो और उसकी एक सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए साथ ही पॉवर ऑफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसको हस्ताक्षिरत किया गया हो या उस पॉवर ऑफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार की एक प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो को पहले से ही जमा करा दिया गया हो और पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पास रजिस्टंड हो।
- iii) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब वह "फार्म बी" में होगा।
- iv) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जमा हो वह अप्रितसहरणीय होगा।
- v) यदि प्रतिनिधि का प्रपत्र दो विकल्पी व्यक्तियों के नाम पर हो तो तो भी एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि के प्रपत्र के अनुदाता को उस मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस मीटिंग में यह प्रपत्र रखा जाना है।
- vii) कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कर्मचारी या अधिकारी हो।

- entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Punjab & Sind Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Punjab & Sind Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70. Proxies:

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing:
 - Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Punjab & Sind Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Punjab & Sind Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



ई_वोटिंग

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अंतर्गत नए प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या जिसके शेयरधारक एक हजार से कम नहीं हैं, से सामान्य बैठक में अपने सदस्यों के वोट के अधिकार के लिए इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग अपेक्षित है। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 की शर्तों के अनुसार बैंक चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। सदस्यों हेतु इलैक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

- (क) यदि सदस्य ई.मेल प्राप्त करते हैं :
 - (i) यदि आप डीमेट रूप में शेयरधारक हैं और www.evotingindia.com पर लॉग—इन करते हैं और आपने पहले भी किसी अन्य कंपनी में EVSN पर वोटिंग की है तो आपका वर्तमान लॉग—इन आईडी और पासवर्ड प्रयोग होगा।
 - (ii) ई-वोटिंग वेबसाईट WWW.evotingindia.com पर लॉग-इन करें ।
 - (iii) अपना वोट डालने के लिए "shareholders" टैब पर क्लिक करें।
 - (iv) अब ड्रॉप डाउन मीनू से "Punjab and Sind Bank" सहित अपना इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिक्वेन्स नं0 "EVSN" चुनें और "SUBMIT" पर क्लिक करें।
 - (v) अब नीचे दिए गए विवरण को उचित बॉक्स में लिखें:

	डीमैट रूप में शेयरधारकों हेतु	भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु	
	इसके बाद अंकों को Client ID	कंपनी के पास रजिस्टर्ड फोलियो नं0	
	CDSL हेतु : अंकों का beneficiary ID		
पैन*	ई—वोटिंग के लिए जब अपेक्षित हो तो आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा—न्यूमेरिक पैन अंकित		
	करें (यह डीमेट और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)		
जन्म तिथि #	डीमेट खाते या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियो में दिन/माह/वर्ष प्रारूप में अपनी		
	जन्मतिथि अंकित करें।		
लाभांश बैंक	डीमेट खाते या कंपनी के डीमेट खाते / फोलियो में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण अंकित करें।		
विवरण #			

- * ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी /डिपॉजिटरी पार्टिस्पैंट के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में डिफाल्ट नं0 : < ABCDE1234F > एन्टर करें।
- # कृपया लॉग-इन के लिए कोई भी ब्यौरा दें।
- vi) इन विवरणों को भरने के पश्चात, "SUBMIT" पर क्लिक करें।
- vii) तब सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे EVSN सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँचेंगे। तथापि डीमैट शेयरधारक अब Password Creation मीनू में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपने लॉग—इन पासवर्ड में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नया पासवर्ड कम से कम आठ अक्षर का होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अक्षर (A-Z), एक छोटा अक्षर (a-z), एक अंक मूल्य (0-9) तथा एक विशिष्ट अक्षर (@,#,\$,%,&,*) निहित हो। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट शेयरधारकों द्वारा किसी भी कंपनी, बता दें कि इस कंपनी में सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई—वोटिंग का विकल्प हो, जिसके लिए वह वोटिंग का पात्र है, के प्रस्ताव हेतु वोटिंग के लिए प्रयोग किया जाए। आपको सलाह दी जाती है कि यह पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को न बताएं तथा इसे गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट शेयरधारकों द्वारा किसी भी कंपनी, बता दें कि इस कंपनी में सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई—वोटिंग का विकल्प हो, जिसके लिए वह वोटिंग का पात्र है, के प्रस्ताव हेतु वोटिंग के लिए प्रयोग किया जाए।
- viii) संबंधित EVSN जिस पर आप वोट करना चाहते हैं, पर क्लिक करें।
- ix) वोटिंग पृष्ठ पर आप प्रस्ताव विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमित तथा नहीं का विकल्प, संकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमित सूचित करता है।

e-Voting

e-Voting for the Fourth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

Pursuant to section 108 of the Companies Act 2013 read with Rules 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 new provisions has been introduced whereby every listed company or a company having not less than one thousand shareholder is required to provide to its members facility to exercise their right to vote at general meetings by electronic means. The Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Fourth Annual General Meeting., in terms of Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

(A) In case of members receiving e-mail:

- i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii) Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii) Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number "EVSN" along with "Punjab and Sind Bank" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares	For Members holding shares	
	in Demat Form	in Physical Form	
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID	Folio Number registered	
	followed by 8 Digits Client ID	with the Company	
	For CDSL: 16 digits beneficiary ID		
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)		
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.		
Dividend Bank Details#	k Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.		

- * Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the default number: <ABCDE1234F> in the PAN field.
- # Please enter any one of the details in order to login.
- vi After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii) Members holding shares in physical form will then reach directly the EVSN selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ %& *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.
- viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.
- ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- x) यदि आप सभी संकल्पों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- xi) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें । वहाँ एक पुष्टि बॉक्स दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- xii) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- यदि सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करते हैं (ऐसे सदस्य जिनकी ई.मेल आई.डी, कंपनी जमाकर्ता भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं है अथवा जो भौतिक प्रति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं)
 - वोट करने के लिए कृपया क्रम सं. (ii) से क्रम सं. (xii) तक सभी चरणों का पालन करें।
- ख) संस्थागत शेयरधारक (जैसे कि अकेले व्यक्ति के अतिरिक्त, हिंदू संयुक्त परिवार, अनिवासी भारतीय आदि) के लिए आवश्यक है कि वे https://www/evotingindia.co.in लॉग-ऑन करें तथा अपने को पंजीकृत कराएं, जिसको वो वोट करना चाहते हैं उसका खाता लिंक करें तथा वोट करें। वे अपने वोट की जाँच सत्यापन हेतु बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन प्रति पी डी एफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड करवाएं।
- ग) इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि 24 जून, 2014 को (प्रातः 9:00बजे) शुरु होगी तथा 25 जून, 2014 को (सायः 6:00बजे) समाप्त होगी। इसके पश्चात् सीडीएसएल द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के भौतिक या अभौतिक रूप दोनों ही शेयरधारक, कट—ऑफ दिनांक 30 मई, 2014 के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट कर सकते हैं।
- घ) शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार कट—ऑफ दिनांक 30 मई, 2014 के अनुसार बैंक की पूँजी में उनके प्रदत्त ईक्विटी शेयरों के आनुपातिक आधार पर होगा।
- ड.) सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में प्रत्येक व्यवसायिक संव्यवहार के लिए अलग से अपना वोट डाल सकते है। उदाहरण के लिए, कुछ सदस्य अपना वोट संकल्प के पक्ष में डाल सकते है तथा कुछ संकल्प के विरुद्ध में अपना वोट डाल सकते है। कुछ सदस्य संकल्प पर अपना वोट नहीं भी डालने का विकल्प चुन सकते हैं, तथापि मद संख्या –3 के संदर्भ में, (दो निदेशकों का चुनाव) यदि वोट दो निदेशकों से अधिक के लिए नहीं की गई है तो दी गई वोट अमान्य होगी।
- च) सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, उस वोट को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छ) यदि किसी सदस्य के पास वोट देने का एक ही विकल्प है, या तो वह भौतिक रूप से मतदान करें या ई—वोटिंग करें यदि कोई सदस्य ई—वोटिंग का विकल्प चुनता है, तो वह फिर भौतिक मतदान नहीं कर सकेगा। यद्यपि कोई सदस्य भौतिक रूप से या ई—वोटिंग द्वारा वोट करता है तो ऐसी स्थिति में ई—वोटिंग द्वारा दिया गया मत मान्य होगा और भौतिक मतदान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा या नजरअंदाज किया जायेगा।

श्री रमेश कुमार कोचर को, कंपनी सेकेटरी (सीवी नं. 10818) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोट की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि समाप्ति के चालू होने के पश्चात तीन व्यावसायिक दिवसों के भीतर अध्यक्ष, वार्षिक सामान्य बैठक को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर वार्षिक सामान्य बैठक के संकल्प के दो व्यावसायिक कार्य दिवस के भीतर अपलोड कर दिया जाएगा। पर्याप्त वोट की प्राप्ति के अधीन, संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित किया जाएगा।

बैठक की सूचना वेबसाइट www.psbindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई.वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई.वोटिंग मेन्युअल उपलब्ध है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या CDSL टोल फ्री नं. 022-30249561 या रिजस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया लिमिटेड नं. 011-41410592,41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई-मेल करें ।

- x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.
- xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (II) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:

Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

- (B) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.co.in and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
- (C) The electronic voting period commences on 24th June, 2014 (9:00 am) and ends on 25th June, 2014 (6:00 pm). The electronic voting facility will be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period the shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 30th May, 2014, may cast their vote electronically.
- (D) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 30th May, 2014;
- (E) Members may cast their votes separately for each business to be transacted in the Annual General Meeting. For example, a member may cast his vote in favour of some resolution and may cast not in favour/ against some resolution. A member may also elect not to vote on some resolution. However, in case of item no. 3 (election of two directors), vote be casted for not more than two directors otherwise the votes casted shall be treated as invalid.
- (F) Once the vote on a resolution is casted by the member, he shall not be allowed to change or modify it subsequently;
- (G) Member can log in any number of times till he has voted on all the resolutions or till the end of the voting period (i.e. till the last date of receipt of e-votes), whichever is earlier.
- (H) Members can opt only one mode for voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. If member opts for e-voting, then he does not vote by Physical Ballot also and vice versa. However, in case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored.


Mr. Ramesh Kumar Kochar, Practicing Company Secretary (CP No. 10818) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 business days from the date of conclusion of the electronic voting period;

The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL within 2 business days of the decision on the resolution at the AGM;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk. evoting@cdslindia.com or call CDSL Toll free No. 022-30249561 or to the Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. at 011-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.



निदेशक रिपोर्ट 2013-14

दिनांक 31मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन—पत्र तथा लाभ हानि खाते को निदेशक मंडल हर्ष के साथ प्रस्तुत करता है :

आर्थिक परिदृश्य :

वर्ष 2013—14 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का चुनौती भरा समय जारी रहा। वर्ष 2011—12 में शुरु हुई आर्थिक मंदी इस वर्ष भी लगातार बनी रही। अर्थव्यवस्था के गंभीर मामलों में धीमी विकास गित तथा मुद्रा स्फीतिकारक दबाव वर्ष के प्रारंभ से अंत तक बने रहे। वास्तव में, वर्ष 2009 से ही विश्व अर्थव्यवस्था की दशा, भारत सिहत प्रत्येक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला अत्यिह कि निर्णायक तत्व रहा है। भारत के बड़े व्यापारी सहयोगियों में संयुक्त राज्य अमेरिका लंबी सुस्ती से वापसी के संकेत दे रहा है; जापान की अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन की प्रतिकिया दे रही है, यूरो जोन 0.2% की आंशिक वृद्धि के संकेत दे रहा है तथा चीन की वृद्धि दर वर्ष 2013—14 के दौरान इन चुनौतियों से भारत ने अन्य उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा बेहतर तरीके से सामना किया।

भारत सरकार ने आर्थिक दृढ़ीकरण, मूल्य स्थिरता, खाद्य में स्व—सामर्थ्य, निवेश में अच्छे माहौल का पुनर्प्रवर्तन, उत्पादन में वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन, परियोजनाओं का उनके लक्ष्यों अनुसार शीघ्र कार्यान्वयन घोषित किया। तथापि विनिर्माण, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कोयला व वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था के मंदगति क्षेत्र बने रहे।

सरकार द्वारा चालू खाता घाटा में सफलतापूर्वक निवेश के समय मुद्रास्फीति नियंत्रण मुश्किल साबित हुई। तथापि अर्थव्यवस्था ने एक बार पुनः इस आघात को सहन करने की क्षमता दिखाई।

भारतीय कृषि में कार्य—निष्पादन उद्योग की अपेक्षा बेहतर रहा। औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के मंदगति क्षेत्र के रूप में बने रहे। निर्माण क्षेत्र के विशेष क्षेत्र में निवेश में कमी बनी रही। निर्यात तेजी से बहाल हुआ। तथापि, आयात नीचा रहा जो कि निर्माण व घरेलू व्यापार दोनों के लिए अच्छा शक्न नहीं है।

विनिमय दर ने रूपए पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित एजेंसियों ने पूँजी अंतर्वाह तथा विदेशी विनिमय बाज़ार को मज़बूत करने के लिए अनेक उपाए अपनाए।

हालांकि वर्ष 2013—14 की तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आया तथा प्रथम और दूसरी तिमाही में 4.4 व 4.8 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा 5.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद की गई। वर्तमान में अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर है। आर्थिक घाटा घट रहा है, चालू खाता घाटा निहित हो चुका है, मुद्रास्फीति नियंत्रित की जा चुकी है, विनिमय दर स्थिर है, निर्यात बढ़ा है तथा वृद्धि दर बढ़ रही है।

अर्थव्यवस्था के इस परिदृश्य में बैंक ने चुनौतियों का डटकर सामना किया। वर्ष के शुरु से अंत तक आस्ति गुणवत्ता इसका गंभीर कारण रहा। जमा की उच्च कीमत, अनर्जक आस्तियों में वृद्धि, कम आय तथा कम शुद्ध ब्याज आय के साथ बैंक की लाभप्रदता पर दबाव बना रहा।

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार

दिनांक 31.03.2013 को बैंक के 122485 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 31.03.2014 की समाप्ति पर बैंक के कुल व्यापार में 16.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि 142588 करोड़ रू. रहा।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें राशि लाखों में				
	सम	समाप्त वर्ष		
	31.03.2014	31.03.2013		
ब्याज की आय	797271	734013	8.62%	
अन्य आय	42728	39422	8.39%	
कुल आय	839999	773434	8.61%	
कुल व्यय	759945	679549	11.83	

DIRECTORS' REPORT 2013-14

The Board of Directors have pleasure in presenting Annual Report of the Bank alongwith the Balance Sheet & Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2014.

ECONOMIC OUTLOOK

Indian economy continued to face challenging times during 2013-14. The slowdown of the economy that began in 2011-12 continued during this year. The sluggish growth and inflationary pressure remained serious concern of the economy throughout the year. In fact, since Sep 2009 the state of the world economy has been the most decisive factor impacting the economy of every developing country including India. Among India's major trading partners, USA is showing signs of recovery from a long recession, Japan's economy is responding to stimulus, Euro zone is reporting a fractional growth of 0.2% and China's growth slowed during 2013-14. The challenges faced by India are common to all emerging economies. However, India coped with these challenges in a better way than other emerging economies during 2013-14.

The Govt. of India had declared fiscal consolidation, price stability, self sufficiency in food, revival of good environment in investment, promotion of manufacturing, encouragement to exports, quicker implementation of projects as its objectives. However, infrastructure, petroleum, power, coal and textiles continued to remain stressed sectors of the economy.

While the Government successfully contained the Current Account Deficit , controlling inflation proved to be difficult. However, economy once again proved its resilience.

The performance of Indian agriculture was better than industry. The industry continued to be a stressed sector of the economy. The deceleration in investment in manufacturing has remained particular area of concern. Though exports recovered sharply, however, imports remained down which did not augur well either for manufacturing or domestic trade.

The exchange rate affected the Rupee adversely. However, the Government, RBI and other concerned agencies undertook number of measures to improve capital inflow and stabilize foreign exchange market.

However, the state of the economy improved during Q3-Q4 of 2013-14 and growth is expected to be at least 5.2% against growth in Q1 and Q2 of 2013-14 at 4.4% and 4.8% respectively. The economy is more stable today. The fiscal deficit is declining, CAD has been contained, inflation has moderated, the exchange rate is stable, exports have increased and growth rate is on the rise.

In the given scenario of the economy, Bank faced the challenges bravely, even though the asset quality remained a serious cause of concern throughout the year and there has been pressure on the profitability of the Bank with high cost of deposit, rise in NPAs, low income and lower Net Interest Income.

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS

During the year ended 31.03.2014, total Business of the Bank recorded an increase of 16.41% at Rs.142588 crore as compared to Rs.122485 crore as on 31.03.2013.

HIGHLIGHTS OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014			
			(Rs in Lacs)
	Year Ended		
	31.03.2014	31.03.2013	%age change
Interest Income	797271	734012	8.62
Other Income	42728	39422	8.39
Total Income	839999	773434	8.61
Total Expenditure	759945	679549	11.83

परिचालन लाभ	80054	93885	(14.73)
शुद्ध लाभ	30063	33922	(11.38)
आस्तियों पर प्रतिफल	0.35%	0.44%	
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.)	1.88%	2.15%	
सकल अनर्जक आस्तियां (%)	4.41%	2.96%	
शुद्ध अनर्जक आस्तियां (%)	3.35%	2.16%	
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल—II)	12.10%	12.91%	
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल—III)	11.04%	लागू नहीं	
प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)	10.69%	13.49	

लाभ

वित्तीय—वर्ष 2012—13 के दौरान 339.22 करोड़ रू. की तूलना में बैंक ने वर्ष 2013—14 के दौरान 300.63 करोड़ का शृद्ध लाभ दर्ज किया।

पूंजी एवं आरक्षित निधि

सेबी आई.सी.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक / वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, बैंक ने वर्ष के दौरान प्रति शेयर रू.10 / —के अनुसार 2,12,63,023 इक्विटी शेयरों को भारत सरकार को 47.03 रू. प्रति शेयर की निर्णीत दर पर अधिमान निर्गम के आधार पर जारी किया है। तदनुसार, बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी 21.26 करोड़ रू.की वृद्धि के साथ, 275.28 करोड़ रू. हो गई है और शेयर प्रीमियम 78.52 करोड़ रू. से बढ़ कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम 78.74 करोड़ रू. में से शेयर निर्गम व्यय के 0.22 करोड़ रू.कम कर के) 703.98 करोड़ रू. हो गया है

दिनांक 31.03.2013 को बैंक की निवल मालियत 3897.25 करोड़ रू. थी जो दिनांक 31.03.2014 को 4180.40 करोड़ रू. हो गई है। दिनांक 31.03.2014 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- III) 11.04% है जबकि न्यूनतम निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% है।

गैर-जमानती प्रतिदेय बांडः (टीयर-।। की पूंजी हेतू गौण ऋण)

31.03.2014 को टीयर— II बांड के कुल बकाया 1,365 करोड. रू. पर अपरिवर्तित हैं।

जभा

बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2014 को 19.94% की वृद्धि हुई जिससे 14088.66 करोड़ रू. की संवृद्धि के साथ यह 84730. 16 करोड़ रू. हो गई जोकि दिनांक 31 मार्च, 2013 को 70641.50 करोड़ रू. थी। दिनांक 31.03.2014 को बैंक की औसत जमा लागत 8.22% रही जोकि पिछले वर्ष 8.32% थी।

अग्रिम :

दिनांक 31.03.2014 को बैंक के कुल अग्रिम 11.60% गुणात्मक ऋण वृद्धि के साथ 57857.74 करोड़ रू. रहे जो कि दिनांक 31.03. 2013 को 51843.35 करोड़ रू. थे। 31.03.2014 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 11.34% रहा जो कि पिछले वर्ष 11.86% था। बैंक का गैर—वित्तीय अग्रिम कारोबार 31.03.2013 की स्थितिनुसार 3578.73 करोड़ रूपए की अपेक्षा 31.03.2014 को 3433.42 करोड़ रूपए रहा।

बैंक ने ऋण कारोबार का विविधिकरण किया है तथा बैंक की सुदृढ ऋण नीति के अनुसार सभी क्षेत्रों अर्थात उद्योग, मूलभूत सेवाएं, कृषि, खुदरा (वैयक्तिक ऋण) आवास तथा उपभोग जैसे क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया है। कृषि, निर्माण, आवास, वस्त्र, शिक्षा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.एम.ई.) जैसे वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक के ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवास क्षेत्र के अग्रिम में 18.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई (31.03.2013 के 2360.33 करोड़ रू. से बढ़कर 31.03.2014 को 2795.18 करोड़ रू.)। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को दिए अग्रिमों में 39.50% (31.03.13 को 10113.01 करोड़ रू. से 31.03.2014 को रू. 14107.89 करोड़ रू.) की वृद्धि हुई। आधारभूत सेवाओं से इतर उद्योगों को दिए गए ऋणों में 8.58% (दिनांक 31.03.2013 को 9000.80 करोड़ रू. से 31.03.2014 को 9773.05करोड़ रू.) की वृद्धि हुई। जिसमें मुख्यतः क्षेत्र सम्मिलत हैं जैसे— खाद्य—प्रसंस्करण (28.10%) 683.98 करोड़ रू. से 876.19करोड़ रू. आदि शामिल थे। वर्ष 2013—14 के दौरान वस्त्र उद्योग हेतु दिए गए अग्रिम में (3.17%) दिनांक 31.03.2013 को 1369.15 करोड़ रू. से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को 1412.67करोड़ रू. की वृद्धि हुई। आधारभूत क्षेत्रों को दिए ऋणों में ऊर्जा (2.21%) (पूर्व में पावर व इलैक्ट्रिसिटी) 12164.55 करोड़ रू. से 12433.73करोड़ रू. की वृद्धि हुई। अतिरिक्त निधीयन सहित डिस्कॉम (DISCOM) खातों के पुनर्निर्माण के कारण ऊर्जा क्षेत्र में प्रदर्शन में वृद्धि हुई है।

Operating profit	80054	93885	(14.73)
Net Profit	30063	33922	(11.38)
Return on Assets (ROA)	0.35%	0.44%	
Net Interest Margin (NIM)	1.88%	2.15%	
Gross NPA%	4.41%	2.96%	
Net NPA(%)	3.35%	2.16%	
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel II)	12.10%	12.91%	
Capital Adequacy Ratio(%) (Basel III)	11.04%	NA	
EPS	10.69	13.49	

PROFIT

The Bank recorded a Net Profit of Rs.300.63 crore for the year 2013-14 as compared to that at Rs.339.22 crore during the FY 2012-13.

CAPITAL AND RESERVE

During the year, Bank has issued 2,12,63,023 Equity Shares of Rs.10/ each to Government of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.47.03 per share determined as per ICDR Regulation of SEBI after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.21.26 crore to Rs.275.28 crore and Share Premium has increased by Rs.78.52 crore (Share Premium Received Rs.78.74 crore minus Share Issue Expenses Rs.0.22 crore) to Rs.703.98 crore.

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.3897.25 crore as on 31.03.2013 to Rs.4180.40 crore as on 31.03.2014.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 11.04% as on 31.03.2014 against the minimum stipulated requirement of 9%.

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier -II Capital)

Total outstanding of Tier II Bonds as on 31.03.2014 remains unchanged at Rs.1,365 crore .

DEPOSITS

The total deposit of the Bank registered a growth of 19.94% with Net accretion of Rs.14088.66 crore to reach Rs.84730.16 crore as on March 31, 2014 from Rs.70641.50 crore as on March 31, 2013. The average cost of deposits of the bank stood at 8.22% as compared to 8.32% in previous year.

ADVANCES

The Bank has registered qualitative credit growth of 11.60% during the FY 2013-14. The Gross Advances of the Bank increased from Rs.51843.35 crore as on 31.03.2013 to Rs.57857.74crore as on 31.03.2014. The average Yield on Advances stood at 11.34% as on 31.03.2014 as compared to 11.86% as on 31.03.2013.

Non Fund Advances business of the bank stood at Rs.3433.42 crore as on 31.03.2014 as against Rs.3578.73 crore as on 31.03.2013.

The Bank has a diversified portfolio of Advances and has extended credit to all sectors i.e Industry, Services, Agriculture, Retail Lending etc; as per vibrant Loan Policy of the Bank. There was notable credit growth to preferred sectors like Agriculture, Construction, Housing sector, Education, Small & Medium Enterprises (MSME) etc. Advances to Housing Sector increased by 18.40% (from Rs.2360.33 crore as on 31.03.13 to Rs.2795.18 crore as on 31.03.14). Credit growth in MSME Sector was 39.50% (from Rs.10113.01 crore as on 31.03.13 to Rs.14107.89 crore as on 31.03.14). Credit exposure to industry other than infrastructure increased by 8.58% (from Rs.9000.80 crore on 31.03.2013 to Rs.9773.05 crore on 31.03.2014) which mainly comprised of sectors viz: Food processing (28.10%) from Rs.683.98 crore to Rs.876.19 crore etc. growth of credit to Textiles during FY 2013-14 was (3.17%) from Rs.1369.15 crore on 31.03.2013 to Rs1412.67 crore on 31.03.2014. Credit growth to infrastructure sector was in Energy (2.21%) (Earlier Power & Electricity) from Rs.12164.55 crore to Rs.12433.73 crore. Exposure in Energy Sector has increased due to restructuring of accounts of DISCOMS with additional funding.

हि पंजाब एण्ड सिंध बैंक

इसके ऋण मूल्यांकन को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु बैंक ने सनदी लेखाकारों तथा तकनीकी व्यक्तियों (इंजीनियरों) की भर्ती की है। ऋणों में वृद्धि तथा ऋण आवेदनों के तुरंत निपटान हेतु बैंक ने एक नया व्यापार ग्रुप तैयार किया है जहाँ उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे शीघ्रता से स्वीकृत किए जा सकें।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों जिनमें कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, आवास, शिक्षा, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों हेतु सूक्ष्म—ऋण शामिल हैं को, पूर्व की भांति जारी रखा है।

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में 4096 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि 31.03.2013 को रू.13605 करोड़ रूपए से बढकर 31.03.2014 को 17701करोड़ रूपए हो गए। इस प्रकार इसमें वार्षिक आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कृषि अग्रिम

बैंक के कृषि—पोर्टफोलियो में अग्रिम दिनांक 31.03.2014 को रू.7919 करोड़ रूपए थे। मार्च, 2014 के अंत में कृषि ऋणों में 3007 करोड़ रू. की वृद्धि हुई। कृषि अग्रिमों में बडी अभिवृद्धि प्रत्यक्ष कृषि के तहत हुई तथा ये अग्रिम 1151करोड़ रू. की शुद्ध वृद्धि के साथ 5537 करोड़ रू. हो गए तथा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विशेष कृषि-ऋण योजना (एसएसीपी)

बैंक ने कृषि में 100 प्रतिशत से अधिक ऋण प्रवाह बनाए रखा। बैंक ने वित्त—वर्ष 2013—14 में विशेष कृषि—ऋण योजना (एसएसीपी) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 7055 करोड़ रू. के विरुद्ध 7271 करोड़ रू. का संवितरण किया तथा लक्ष्य का 103 प्रतिशत प्राप्त किया।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

वर्ष 2013—14 के दौरान, बैंक के किसान केडिट कार्डों की कुल संख्या 14% की वृद्धि के साथ 19125 हो गई। मार्च, 2014 को बैंक के किसान केडिट कार्डों के तहत बकाया ऋण 4503 करोड़ रू. था। किसान केडिट कार्ड धारकों को दिनांक 31.03.2014 तक 99265 किसान केडिट कार्ड धारकों को एटीएम समर्थित किसान केडिट कार्ड उपलब्ध करवाए गए तथा 86% पात्र केडिट कार्ड धारकों को कवर किया गया।

सुक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एम.एस.एम.इ.)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, बैंक की ऋण उपलब्ध कराने में महत्व वाले क्षेत्र रहे हैं। वर्ष 2013—14 के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र के अग्रिमों में 40% की बढ़त के साथ, 31.03.2014 को 3996 करोड़ रू. की वृद्धि के साथ 14108 करोड़ रू. रहे।

अल्पसंख्यक समुदाय हित :

मार्च, 2014 को अल्पसंख्यक समुदायों को 6737 करोड़ रू. के अग्रिम आंबटित किए गए जिनमें 18% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यह प्राथमिकता क्षेत्र को कुल अग्रिम के निर्धारित स्तर 15% के विरुद्ध 38% है।

महिला उद्यमियों को ऋण:

बैंक के महिला उद्यमियों को अग्रिम 31.03.2014 को 231करोड़ रू. की वृद्धि के साथ 2414 करोड़ रू. रहे तथा एएनबीसी (ANBC) का 5% है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ताओं को अग्रिम:

समाज के अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों की सहायता में बैंक के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को दिए गए अग्रिम मार्च, 2014 को 357 करोड़ रू. हो गए जो कि मार्च, 2013 को 327 करोड़ रू. थे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को अग्रिम:

कमजोर वर्ग समूहों को अग्रिम 17% की वार्षिक वृद्धि दर से 5578 करोड़ रू. थे। एएनबीसी द्वारा कमजोर वर्गों को निर्धारित अग्रिम 10% के विरुद्ध 11% रहा।

सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत आजीविका, राजीव ऋण योजना, स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), तथा प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमइजीपी) विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता हेतु एक विशेष संगठन बनाया है। To strengthen its credit appraisal, the Bank has recruited Chartered Accountants and Technical personnel i.e; Engineers. For improving credit off-take and expeditious disposal of loan proposals, Bank has introduced concept of New Business Proposal Committee, where all proposals of High Value are given in principle sanction /expression of interest for ensuring expeditious processing.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank continues to accord importance to varied goals under National priorities, including Agriculture, Micro & Small Enterprises, Housing, Education, Micro-credit, Weaker sections, SC/STs and Minority communities.

Priority Sector advances of the Bank increased by Rs.4096 crore, up from Rs.13605 crore as on 31.3.2013 to Rs 17701 crore as on 31.3.2014 thereby registering a growth of 30% on year to year basis.

AGRICULTURE ADVANCES

Bank's advances under agriculture portfolio stood at Rs.7919 crore as on 31.3.2014 registering a growth of Rs.3007 crore. The major accretion under Agriculture has been under Direct Agriculture and these advances increased to Rs.5537 crore with an absolute growth of Rs.1151 crore registering a growth rate of 26 % over the previous year.

SPECIAL AGRICULTURAL CREDIT PLAN (SACP)

Bank maintained credit flow to Agriculture achieving more than 100%. Bank has disbursed Rs.7271 crore under Special Agriculture Credit Plan (SACP) against the target of Rs.7055 crore, achieving 103% during the FY 2013-14.

KISAN CREDIT CARD (KCC)

During the year 2013-14, the total number of KCCs of the Bank increased by 19125 showing growth rate of 14%. As at March 2014, the credit outstanding under KCCs was Rs.4503 crore. As at March 2014, 99265 KCC holders have been provided with ATM enabled 'RuPay Kisan Debit Cards' covering 86% of eligible KCC holders.

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Micro, Small & Medium Enterprises is a thrust area of the Bank in credit dispensation. Advances to MSME sector increased by Rs.3996 crore registering a growth rate of 40% in 2013-14 and stood at Rs.14108 crore as on 31.03.2014.

WELFARE OF MINIORITY COMMUNITY

As at March 2014, advances to specified minority communities aggregated to Rs.6737 crore, registering a growth of 18% and accounting for 38% of the total priority sector advances against the stipulated level of 15%.

CREDIT TO WOMEN ENTREPRENEURS:

Bank's credit to women entrepreneurs stood at Rs.2414 crore as on 31.03.2014 registering a growth of Rs.231 crore accounting for 5% of ANBC.

ADVANCES TO SC/ST BORROWERS

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SC/ST beneficiaries reached Rs.357 crore as at March 2014 from Rs.327 Crore as at March-2013.

ADVANCES TO ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Advances to weaker sections aggregated to Rs.5578 crore, with a y-o-y growth of 17%. Advances to weaker sections formed 11% of ANBC against the minimum norm of 10%.

Special thrust was laid by the Bank in financing weaker sections including SC/STs under various Government sponsored schemes namely Ajeevika under National Rural Livelihood Mission (NRLM), Rajiv Rinn Yojana, Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) and Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP).

है पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ऋण-निगरानी

बैंक ने अपने सुस्थापित ऋण निगरानी एवं योजना विभाग के माध्यम से, बैंक की आकर्षक ऋण योजना तैयारी के द्वारा इसके अग्रिम पोर्टफोलियो तथा इसकी गुणवत्ता एवं कार्य—निष्पादन को व्यवस्थित करने के लिए इसके अग्रिम पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए निर्देश देना जारी रखा है।

नई चूकों की उचित एवं प्रभावशाली निगरानी तथा उन्हें कम करने के उपाय करने के लिए विभाग ने प्रधान कार्यालय स्तर पर, वैयक्तिक उच्च मूल्य खातों की निगरानी प्रारम्भ की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अग्रिम पोर्टफोलियों की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय ऋण निगरानी विभाग में नियंत्रण—कक्ष की स्थापना की गई है, जिसे सनदी लेखाकारों (सीए) तथा अनुभवी अधिकारियों की एक टीम ने व्यवस्थित किया है। यह टीम उधार खातों मे उभरती ऋण सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करेगी तथा तत्सम्बन्धी उचित सिक्य कदम उठाने के लिए दैनिक—रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को सौंपेगी।

नए आयामः

- बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में खोली गई 101 शाखाओं के विरुद्ध वर्ष 2013—14 में 202 नई शाखाएं खोली जिनमें से 72 शाखाएं (40 अति लघु शाखाओं सिहत) गैर बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई।
- इलैक्ट्रोनिक डिलीवरी चैनल का विस्तार करते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान 829 एटीएम इंस्टॉल किए। इस प्रकार बैंक के कुल एटीएम की संख्या 31.03.2014 को 1008 हो गई जो कि पिछले वर्ष दिनांक 31.03.2013 को 179 थी।
- गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल (पीपीएफ, एनपीएस व एससीएसएस) को गतिशील बनाया गया।
- बैंक ने ग्राहकों की स्विधा के लिए 24×7 कॉल सेंटर स्विधा की श्रुआत की है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने डेबिट कार्ड को मास्टर कार्ड के साथ टाई-अप करके शुरुआत की।
- ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 में 115 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं तथा वर्तमान
 97कृषि क्षेत्राधिकारियों के अतिरिक्त 37 कृषि क्षेत्राधिकारियों की नियुक्ति की गई।
- बैंक ने बीज उत्पादन व प्रसंस्करण ईकाई को वित्त-पोषण तथा एग्रीकल्चर इन्पुट डीलर्स (बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि)
 के वित्त-पोषण हेतु नई योजनाएं शुरु कीं।
- 31.03.2013 की 11 एमएसएमई शाखाओं की तुलना में 31.03.2014 को बैंक में 29 एमएसएमई शाखाएँ हैं।
- बैंक ने लघु एवं मझोले उद्योग ऋण में तेजी लाने के लिएए एमएसएमई अग्रिम पर पुनर्गठित ब्याज दरों तथा रियायती पुनर्गठित दरों पर एमएसई यूनिट की केडिट रेटिंग हेत् किसिल (CRISIL) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विशेष अभियान द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के तहत ऋणों में बड़ा परिवर्तन हुआ। दिनांक 01 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान तक आयोजित विशेष अभियान/मेगा क्रेडिट कैम्पेन/'कोर क्रेडिट प्लस कैम्पेन के अर्न्तगत प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 43152 खातों में 3851करोड़ रू. की राशि संवितरित की गई।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी, सतलुज ग्रामीण बैंक, भिठंडा, पंजाब के छः जिले यथा बिठंडा, फरीदकोट, मानसा, मुक्तसर, मोगा तथा लुधियाना में स्थापना काल से ही लाभ में चल रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विभिन्न मापदंडों में निम्नानुसार निरंतर प्रगति की है:—

मानदण्ड	31.03.2013	31.03.2014
जमा	264.73	306.46
कुल अग्रिम	203.56	256.14
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	194.81	198.23
कृषि अग्रिम	175.28	181.79
शुद्ध लाभ	1.55	2.36

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियाँ/वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्रों की स्थापना (एफएलसीसी) :

बैंक ने सभी तीन अग्रणी जिलों यथा मोगा, फरीदकोट तथा लुधियाना की जिम्मेदारियां ली हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग तंत्र से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता / ऋण काउंसलिंग सुविधाओं

CREDIT MONITORING

The Bank through its well-established Credit policy Department continues to give directions to its Advances Portfolios by preparing vibrant Loan Policy of the Bank and also monitor its Advances portfolio to maintain its quality and performance.

In order to have proper and effective monitoring to check fresh slippages and devise a strategy for their minimization, the department has started monitoring individual High Value Accounts at HO level.

Towards this end Bank has set up a control room at HO Credit Monitoring Department for monitoring of Credit Portfolio which is manned by a team of CAs and experienced officials. The team identifies emerging credit related issues in borrowal accounts and puts up the position before Top Management on daily basis for taking proactive corrective steps.

NEW INITIATIVES

- Bank has opened 202 new branches during the year 2013-14 as against 101 new branches opened in last fiscal. Out of these, 72 branches were opened in unbanked rural centers including 40 Ultra Small Branches.
- To widen the spread of Electronic Delivery Channels, Bank installed 829 additional ATMs during the year. Total number of ATMs of the Bank as on 31.03.2014, stood at 1008 as compared to 179 as on 31.03.2013.
- Government Business Modules (PPF, NPS & SCSS) have been made operational.
- To facilitate customers, Bank has introduced 24*7 Call Center facility through Toll free number.
- Bank has launched Debit Card in tie up with Master Card during the year 2013-14.
- In order to outreach masses, Bank has opened 115 rural branches and recruited 37 Agriculture Field Officers in 2013-14 in addition to existing 97 Agriculture Field Officers.
- Bank has introduced new scheme for Financing Seed production and processing units and scheme for Financing of Agriculture Input dealers (Seeds, fertilizers, pesticides etc).
- As on 31.03.2014, Bank has 29 MSME branches as against 11 MSME branches as on 31.03.2013.
- To give boost to MSE credit, Bank signed a MOU with CRISIL for credit rating of MSE units at concessional rate to have rationalized mechanism of rate of interest on MSME advances.
- There has been a quantum jump in lending under Priority Sector through special drives. An amount of Rs.3851 crore was disbursed in 43152 accounts under Priority Sector during the Special Drives / Mega Credit Campaign/ Core Credit plus campaign held from 1st September, 2013 to 31st March, 2014.

RRB SPONSORED BY THE BANK

Sutlej Gramin Bank, Bhatinda, the RRB sponsored by the Bank, covers six districts of Punjab viz. Bhatinda, Faridkot, Mansa, Muktsar, Moga and Ludhiana and is in profit since its inception. The progress made by the RRB in various parameters is as under:

(Amount in Crore)

Parameter	31.3.2013	31.03.2014
Deposits	264.73	306.46
Advances	203.56	256.14
Priority Sector Advances	194.81	198.23
Agriculture Advances	175.28	181.79
Net Profit	1.55	2.36

LEAD BANK RESPONSIBILITY/SETTING UP OF FINANCIAL LITERACY AND CREDIT COUNSELLING CENTRES (FLCCs)

Bank has lead bank responsibilities in 3 districts of Punjab viz., Moga, Faridkot and Ludhiana. Pursuant to the directions of Reserve Bank of India, Bank has set up FLCCs in the name of "PSB Suvidha Centres" in all three lead

🕻 पंजाब एण्ड सिंघ बैंक

की जानकारी देने तथा ऋण—भार के कारण वित्तीय तनावग्रस्त लोगों को काउंसिलिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु उक्त तीनों जिलों में 'पीएसबी सुविधा केन्द्र' के नाम से एफएलसीसी की स्थापना की गई है।

ग्रामीण विकास में योगदान :

बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग हेतु पीएसबी ट्रस्ट स्थापित किया हैं ताकि किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा ग्रामीण युवाओं / महिलाओं / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की क्षमता विकास व ट्रैक्टर रख–रखाव, पषु कल्याण कैंप संचालन आदि उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के प्रयासों के अनुसार बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण रोजगार के पीएसबी ट्रस्ट के तत्वावधान में पंजाब के तीन अग्रणी जिलों—मोगा, फरीदकोट, लुधियाना में ग्रामीण युवाओं के मध्य उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्व—रोजगार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण स्व—रोजगार प्रशिक्षण संस्थान' (आरएसइटी) स्थापित किए हैं। इन ग्रामीण स्व—रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसइटी) के लिए परिचालनात्मक व्यय, सहयोगी कर्मचारियों को वेतन तथा मूलभूत सुविधाएं ये सभी कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। वर्ष 2013—14 के दौरान इन प्रशिक्षण संस्थानों में 1410 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे अब तक 4729 बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के दिशा—िनर्देशों के अनुसार पंजाब सरकार ने ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए भूमि आबंटित कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता से मोगा में ग्रामीण स्व-रोजगार संस्थान' के लिए भवनिर्माण कार्य पूरा हो गया है। फरीदकोट में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा लुधियाना में निर्माण कार्य प्रक्रिया में है।

वित्तीय-समावेशन

वित्तीय—समावेशन केवल एक प्रक्रिया ही नहीं है, बिल्क बैंक का एक मिशन है तािक जन—साधारण के वंचित तथा अयोग्य खंडों को सशक्त किया जाए तथा बैंक का प्रयास है कि वह इन लोगों जैसे कि 'अपवर्जित का समावेशन' को बैंकिंग प्रणाली से जोडे और उन्हें समाज की एक उत्पादक आस्ति बनाएं। इसके लिए बैंक द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं:—

- बैंक को 2000 या इससे अधिक आबादी वाले 400 तथा 2000 से कम आबादी वाले 2316 गैर बैंकिंग गाँव आबंटित किए गए थे। इन गाँवों को बैंक ने ईंट—गारे की शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल आधारित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कवर किया है। दिनांक 31.03.2014 तक 2000 से अधिक आबादी वाले 400 गाँव में से 359 गाँव व्यवसाय प्रतिनिधि के अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं तथा इनका नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है, 38 गाँवों में ग्रामीण शाखाएं खोलकर उन्हें कवर किया गया है तथा मणिपुर में 3 गाँवों में विद्रोह के कारण नामांकन शुरु नहीं हो पाया। 2000 से कम आबादी वाले 2316 गाँवों में से 334 गाँवों में 193 व्यवसाय प्रतिनिधि तैनात कर उन्हें कवर किया गया है।
- बैंक ने 3 वर्षों में 120 अति लघु शाखाएं (कमशः 2013–14, 2014–15 व 2015–16 प्रत्येक वर्ष में 40) खोलने की योजना बनाई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के 40 अति लघु शाखाएं खोलने के लक्ष्य को बैंक ने प्राप्त कर लिया है। इन शाखाओं को बैंक के सीबीएस प्लैटफॉर्म पर खोला गया है तथा इन्हें बैंक के स्थाई स्टाफ सदस्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- बैंक में वित्तीय समावेशन गेटवे (एफआईगेटवे) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया है तथा दिनांक 31.03.2014 को कुरली (पंजाब) में बैंक का कियोस्क लाईव पर प्रथम ग्राहक सेवा केंद्र बन गया है।
- व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम 65,000 नो—फ़िल खाते खोले गए तथा मार्च, 2014 तक 0.26 करोड़ की बकाया राशि के साथ कुल नोफिल खातों की संख्या 1.45 लाख खोले गए। नो फिल खातों में संचय राशि 10.86 लाख रूपये, कुल बकाया राशि 61.84 करोड है।
- 4503.31 करोड़ रूपए की बकाया राशि सहित 154570 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
- बैंक ने 12.72 करोड़ रू. की राशि सहित 2.88 लाख खातों में 500 / —रू. की ओवर ड्रॉफट की, प्रति खाता सुविधा का लाभ दिया है।

सभी एफआई खातों को सीबीएस सर्वर में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा पूरी प्रक्रिया परिचालित है।

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण (डीसीटी) सुविधा का कार्यान्वयन :-

- वित्त मंत्रालय के दिनांक 16.11..2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार 43 जिलों में दिनांक 01.01.2013 से प्रत्यक्ष नकदी अंतरण सुविधा को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा दिनांक 1.07.2013 से प्रभावी द्वितीय चरण में 78 और शाखाओं में इसका विस्तार किया गया है। प्रत्यक्ष नकदी अंतरण 121 जिलों में पहले ही से कार्यान्वित है।
- एलपीजी लाभार्थियों के लिए डीबीटीएल योजना को 289 जिलों में कार्यान्वित किया जा चुका है तथा देश के अन्य भागों में
 भी इसे चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। हमारा बैंक जिला लुधियाना, फरीदकोट तथा मोगा में लीड बैंक है।

districts to impart free Financial Literacy/Credit Counseling Services to the needy persons to help them avail financial services from Banking system and also to provide counseling services to those who are under financial distress due to debt burden.

CONTRIBUTION TO RURAL DEVELOPMENT

'PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment '(PSB Trust for DARE) has been established with the objectives of setting up training institutes for imparting trainings to farmers and for capacity building of the rural youth/women/economically weaker sections and also organizing tractor maintenance, animal welfare camps etc. through Rural Development Centres.

As per initiative of Ministry of Rural Development (MoRD), Govt. of India, Bank under the aegis of 'PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment has established 'Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)' in three of its lead districts Moga, Faridkot and Ludhiana in Punjab to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them taking up self-employment activities. The operational expenditures, salary to support staff and infrastructure facility of these RSETIs are fully met by Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (DARE). During 2013-14, these training institutes have trained 1410 unemployed candidates, taking the tally to 4729 trained youths since inception.

As per MoRD guidelines, Government of Punjab allotted land for setting up Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs). With the financial assistance of MoRD/Bank's CSR fund assistance, the construction of RSETI Building at Moga is completed. The construction work at Faridkot is in full swing and at Ludhiana the work is under progress.

FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is not only a process but a Mission for the Bank to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. Key initiatives of the bank are as under:

- Bank has been allotted 400 unbanked villages with population above 2000 and 2316 unbanked villages with population below 2000. These villages have been covered by the bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. As on 31.03.2014, out of the 400 villages with population above 2000, 359 villages have been covered by deployment of BCAs and enrolment have already been started, 38 villages have been covered by opening Rural Branches. Out of 2316 villages with population less than 2000, 334 villages have been covered by deployment of 193 BCAs.
- Bank has planned to open 120 USBs over a period of 3 years i.e. 40 each in 2013-14, 2014-15 and 2015-16. Bank has achieved the 2013-14 targets for opening of 40 USBs. These branches have been opened on CBS platform of the bank and are managed by permanent staff of the bank.
- FI Gateway has been successfully implemented and Bank has made lst CSC Kiosk live on 31.01.2014 at Kurali (Punjab).
- During the year, Bank has opened 65,000 additional No-Frill Accounts through BCs and total No-frill accounts opened up to March 2014 are 1.45 Lacs with total outstanding of Rs. 0.26 crore. The Cumulative figure of No Frill Account is 10.86 Lac with total outstanding of Rs.61.84 Crore.
- Bank has issued 154570 KCCs with a total outstanding of Rs. 4503.31 crore.
- Bank has provided Over Draft facility of Rs. 500/- per account availed in 2.88 lacs No-frill Accounts with overdraft amount of Rs. 12.72 crore.

All FI accounts have been migrated to CBS Server and total system has since been operationalised.

IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH TRANSFER (DCT) & DBTL

- In terms of the directions of Ministry of Finance, Direct Cash Transfer (DCT) has been implemented in 43 districts in a phased manner w.e.f. 01.01.2013 and has been extended to 78 more districts in Phase II w.e.f. 01.07.2013. The DCT Scheme is already implemented in 121 districts.
- The DBTL scheme for LPG beneficiaries has already been implemented in 289 districts and it will be rolled out in rest of the country in phased manner. Our Bank has a lead role in District Ludhiana, Faridkot and

बैंक द्वारा एलपीजी लाभार्थियों के खातों में उनके आधार नंबर प्रविष्टि की प्रक्रिया जारी है। लाभार्थियों की संख्या तथा आधार प्रविष्टि का जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है :

जिला	कुल लाभार्थी	ओएमसी द्वारा आधार प्रविष्टि	बैंक द्वारा आधार प्रविष्टि
फरीदकोट	116811	88853(76.07%)	82116(70.30%)
लुधियाना	958241	647610(67.58%)	554230(57.84%)
मोगा	181195	89654(48.48%)	63981(35.31%)

खुदरा विपणन :

बैंक ने खुदरा ऋणों के लिए बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण किया तथा बाजार में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु ब्याज—दरों को औचित्यपूर्ण बनाया। बैंक की लोन बुक के गहन प्रबंध ान, जोखिम कम करने तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रयास प्रारंभ किए गए।

इसके अतिरिक्त आवास ऋण, ऑटो ऋण तथा उपभोक्ता ऋण—उधारियों के लिए विशेष फेस्टिवल बोनांज़ा योजना आरंभ की। वर्ष के दौरान कुछ नए उत्पाद भी आरंभ किए गए। वर्ष के दौरान नए खुदरा ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान सकल अग्रिमों में खुदरा ऋण का प्रतिशत 31.03.2014 को 6.91प्रतिशत के लगभग थे।

इसके अतिरिक्त अर्जित मुद्रा के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई बुकिंग योजना में सहभागिता की।

बैंक द्वारा खुदरा ऋणों के संभाव्य उधारकर्ताओं के लिए सिहत ऑनलाईन आवेदन जमा करने की सुविधा आरंभ की है, इसमें उनकी ई—ट्रैक स्टेट्स सुविधा भी है।

बैंक ने ऑटो ऋणों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पैसेंजर कार मैन्यूफैक्चर्स के साथ एमओयू (MOU) प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है।

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए अनेक प्रयास किए हैं तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सिहत वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है। बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया है। बैंक ने इस वित्तीय—वर्ष में विभिन्न केन्द्रों पर वसूली कैम्प का आयोजन किया। वर्ष के दौरान बैंक की वसूली प्रबंधन योजना के अतिरिक्त अनिर्णीत दो खातों तथा कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अनर्जक आस्तियों के निपटान हेतु दो अल्पावधि योजनाओं का निरूपण किया है। सभी 1554 मामलों में 85.87 करोड़ रू. में निपटान हुआ।

वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित खातों में बैंक की वसूली अच्छी रही। वसूली में आकामक तथा केन्द्रित प्रयासों के

परिणामस्वरूप 95.21 करोड़ रू. की तकनीकी बट्टा खातों में वसूली सिहत कुल 493.72 करोड़ रू. से अधिक की वसूली की जा सकी। तथापि एनपीए बढ़ने के बावजूद, कुल तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2013 के 1536.90 करोड़ रू. एवं 1110.38 करोड़ रू. की अपेक्षा 2553.52 करोड़ रू. तथा 1918.60 करोड़ रू. रहा।

31.03.2014 को गैर-निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति 31.03.2013 की तुलना में निम्नानुसार है :--

एनपीए	31.03.2013 की स्थिति अनुसार		31.03.2014 की स्थिति	अनुसार
सकल	1536.90	1536.90 2.96%		441%
निवल	1110.38	2.16%	1918.60	3.35%

दिनांक 31.03.2014 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बट्टा खातों सहित) 45.51% रहा।

निवेश प्रबंधन एवं विदेशी विनिमय:

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक की कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम वसूली एवं निवेश नीति के अनुरूप कारोबारी संरचना सहित बैंक का कुल निवेश 25.48% की वृद्धि के साथ 28346.61 करोड. रू. हो गया है।

गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों तथा सरकारी प्रतिभूति में व्यापारिक कियाशीलता खाते पर प्रतिभूति विकय लाभ मार्च, 2013 को समाप्त वित्त-वर्ष में 62.98 करोड़ रू. से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को वर्ष की समाप्ति पर 125.37 करोड़ रू. हो गया था। Moga. Bank is in the process of seeding Aadhaar number of LPG beneficiaries in their Bank accounts. District wise details of number of beneficiaries and Aadhaar seeding as on 31st March2014 is appended below:

Name of District	Total beneficiaries	Aadhaar seeded by OMCs	Aadhaar seeded by bank
Faridkot	116811	88853 (76.07%)	82116 (70.30%)
Ludhiana	958241	647610 (67.58%)	554230 (57.84%)
Moga	181195	89654 (49.48%)	63981 (35.31%)

RETAIL MARKETING

The Bank aggressively pursued Retail Lending through liberalization of policy for products under the Retail segment, rationalized the interest rates to make the products most competitive in the market and undertook specific marketing initiatives to provide depth to the Loan book of the Bank.

Further, Special Festival Bonanza Scheme was launched for providing Housing Loan, Auto Loan and Consumer Loan to existing and new customers. New innovative Retail products were also launched during the year. The growth in fresh Retail lending was above 6% over previous year.

The percentage of Retail loans to gross advances was 6.91% as on 31-03-14.

Further, the Bank participated in the booking schemes launched by various Housing Development Authorities of State Governments for financing of the earnest money.

The Bank has introduced a facility of online submission of application form by prospective borrowers for Retail Loans with a facility to track the status online.

The Bank also initiated the process for entering into MOU with major commercial and passenger car manufactures to boost Auto lending.

ASSETS QUALITY

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act – 2002" were used effectively. The Bank also organized Recovery Camps during the year at various centers. During the year, two short term schemes for settlement of NPAs were formulated under Agriculture Sector and unsecured T.W.O accounts apart from Bank's Recovery Management Policy. In all 1554 cases were settled at Rs.85.87 Crore.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year continued to be good. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs.493.72 Crore including recovery of Rs.95.21 crore in Technically Written Off accounts.

However, despite higher slippage, the gross and net NPAs as on 31.03.2014 have been contained at Rs.2553.52 crore and Rs.1918.60 crore as against Rs. 1536.90 crore and Rs. 1110.38 crore as on 31.03.2013 respectively.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2014 vis-à-vis previous year is as under:

(Amount in crore)


NPA	As on 31.03.2013		As on 31.0	03.2014
GROSS	1536.90	2.96%	2553.52	4.41%
NET	1110.38	2.16%	1918.60	3.35%

The Provisioning Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O a/cs), as on 31.03.2014 stood at 45.51%.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's total investment increased by 25.48% during current financial year to Rs.28346.61 crore with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception and investment policy of the Bank.

The profit on sale of securities for the year increased from Rs. 62.98 crore for year ended March 2013 to Rs. 125.37 crore for the year ended 31.03.2014 on account of trading activities in G-sec and Non-SLR securities.



वर्ष 2013—14 में विदेशी मुद्रा—अंतरण में विनिमय लाभ 26.91 करोड़ रू. रहा। (विदेशी कोष)

जोरिवम प्रबंधन

बेंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर है और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, एक सुदृढ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक मे जोखिम क्षमता तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन कायम करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मण्ड़ल एवं शीर्षस्थ बैंक प्रबंधन पर है। बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी प्रधान कार्यालय जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) द्वारा की जाती है, जिसके प्रमुख महाप्रबंधक हैं।

निम्नलिखित शीर्षस्थ समितियों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन किया जाता है :

- 1. जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)-एक बोर्ड स्तरीय समिति
- 2. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.)
- 3. आस्ति एवं देयतायें प्रबंधन समिति (ए एल को)
- 4. संचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.)
- 5. आईसीएएपी के अनुसार पूंजीगत योजना समिति

ये समितियाँ जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)/निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक् मार्गदर्शी निर्देशों तथा नीतियों की परिधि में अपना काम करती है।

नीति-तंत्र

बैंक के समक्ष विभिन्न जोखिमों को मापने, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए बैंक ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ बनाई हैं।

बैंक के समस्त प्रकार के जोखिमों के विश्लेषण करने के उद्देश्य से एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। अन्य महत्वपूण र्ग जोखिम नीतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम.) नीति, निवेश—नीति, ऋण—नीति, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा—परीक्षा (आर. बी.आई.ए.), ऋण लेखा-परीक्षा, देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, डैरिवेटिव नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय सतत् आयोजना (बी.सी.पी.)तथा आपदा वसूली प्रबंधन (डी.आर.एम.) नीति, स्ट्रेस टैंस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने की नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति शामिल हैं। आर.एम. सी./निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है।

बैंक का बेसल.11 के साथ अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 को प्रभावी तिथि से नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बेसल-II के आधार पर बैंक नयी पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अविध दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक ने बेसल-III के दिशा.निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सी.आर.ए.आर. की संगणना शुरु की है तथा यह जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मण्ड़ल द्वारा सी. आर.ए.आर. की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बेसल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बेसल-III के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेत् बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रकिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेत् एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है।

आइ.सी.ए.ए.पी. नीति

बेसल-III व बेसल-IIIए पिलर— 2— "पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एस.आर.ई.पी.)" विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आतंरिक पूंजी पर्याप्ता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई.सी.ए.ए.पी.) नीति को तैयार किया है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय/पूंजीगत स्थिति के विश्लेषण तथा गुंजाइश के आधार पर बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न स्ट्रेस परिस्थितियों से होने वाले सम्भावित प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता की क्षमता के संदर्भ में आघात सहन करने तथा बैंक की पूंजी पर इसके परवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के लिए स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास भी किया जाता है। आई.सी.ए.ए.पी. परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जा है तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। Exchange profit in Forex transactions for the year 2013-14 was Rs 26.91crores (Forex Treasury).

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by the Bank are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) which is headed by General Manager.

Risk is managed through following Apex committees viz.

- Risk Management Committee (RMC)- a Board level Committee
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
- Operational Risk Management Committee (ORMC) and
- Capital Planning Committee as per ICAAP

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

POLICY FRAMEWORK

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to.

Integrated Risk Management Policy has been formulated with the objective of analyzing the overall risk profile of the bank and to integrate all the risks of the Bank. The other important risk policies comprise of Asset-Liability Management (ALM) Policy, Investment Policy, Loan Policy, Risk Based Internal Audit (RBIA), Credit Audit, Country Risk Management Policy, Derivatives Policy, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation, ICAAP Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II

In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing CRAR w.e.f. June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank is geared for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. Bank has also appointed a Consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The capital adequacy of the Bank is assessed based on the analysis of current and projected financial/capital position as well as the headroom available.

Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.



प्रकटीकरण

बेसल-II व बेसल-IIIए पिलर —3—"बाज़ार अनुशासन" विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी-निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक— मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वैबसाईट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण-जोरिवम

ऋण—जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण—कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण षामिल है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी) द्वारा ऋण जोखिम तथा नीति—निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कारपोरेट, रिटेल तथा व्यक्ति / समूह ऋणकर्त्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क जिसमें ऋण रेंटिंग जोखिम माडलों को कार्पोरेट तथा रिटेल ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेंटिंग के लिए, उद्योगों / पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेशण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

बाजार जोखिम

ब्याज-दरों तथा मुद्रा-दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बैंक का पोर्टफोलियो बाज़ार जोख़िम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता समिति (एलको) बाज़ार जोखिम से संबंधित काम काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम माप—प्रण् ाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का सख्ती से पालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है, जोकि देय होने पर, बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम स्थिति को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा-निर्देशानुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाज़ार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वी.ए.आर.) की गणना करता है।

बैंक, सम्भाव्य घटनाओं से उत्पन्न तरलता और ब्याज—दर जोख़िमों से होने वाले सम्भावित जोख़िमों को उजागर करने के लिए, समय-समय पर स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास करता है। किसी भी एक जोख़िम कारक के आघात के प्रभाव से पैदा होने वाली बदत्तर स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए संभावित हल निकाले जाते हैं।

परिचालनगत जोख़िम

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक / अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत / पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मज़बूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है तािक परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके।

बैंक न सभी आंचलिक कार्यलायों तथा 10 बडी शाखाओं में, पूंजी के अनुकूल और आदर्श परिचालन के उद्देश्य से बासेल मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु जोखिम प्रबंधकों की नियुक्ति की है।

मानव संसाधन विकास

31.03.2014 को बैंक में संवर्ग अनुसार स्टाफ सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी	31मार्च, 2013	31 मार्च, 2014
अधिकारी	5932	6062
लिपिक	1640	2029
अधीनस्थ स्टाफ	961	779
कुल	8533	8870

महिला कार्मिक :-

दिनांक 31.03.2014 को कुल 8870 कार्मिकों में से 1738 महिला कार्मिक हैं जो कुल संख्या का 19.60% है।

CREDIT RISK

Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). The Committee regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

MARKET RISK

The Bank's portfolio is exposed to Market Risk on account of change of Interest rates and Currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools including a Mid office in Treasury Department. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they become due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the Market Risk Capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the guidelines received from the regulator. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio at prescribed intervals.

The Bank periodically undertakes stress test exercise to highlight the potential risks, on account of liquidity and Interest rate risk that may arise due to events that are rare but conceivable. The impacts of shock on account of different risk factors that may generate worst case scenario are studied and to counter the impact possible solutions are derived.

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees on matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework & ORM systems to migrate to advance approaches for calculation of Operational Risk Capital.

Bank has posted Risk Managers in all the Zonal Offices and also at Top 10 branches for ensuring compliance of Basel norms at the operating level and with the aim of conservation and optimum use of capital.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2014 is as under:-

Category	31st March 2013	31st March 2014
Officers	5932	6062
Clerks	1640	2029
Sub-staff	961	779
Total	8533	8870

WOMEN IN EMPLOYMENT:- Out of the total strength of 8870 as on 31.03.2014, the women employees are 1738 constituting 19.60% of the total strength.

आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोजगार :-

बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उनके विकास के लिए सामाजिक लक्ष्यों तथा संवैधानिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक सम्पूर्ण भारत व स्थानीय भर्ती में पदो के आरक्षण हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करता है।

बैंक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी हेतु एक विशेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति विशेश कक्ष स्थापित किया गया है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिए महाप्रबंधक स्तर के उच्चाधिकारी को मुख्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों से सम्बन्धित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व बैंक के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों की शिकायत निवारण सम्बन्धी मामलों को देखेगा।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमश:1382 तथा 436 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक / शारीरिक अक्षम के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

	, , , ,				
श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन–जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक अक्षम
अधिकारी	813	348	692	43	71
लिपिक	342	60	334	121	44
अधीनस्थ स्टाफ	227	28	32	173	15
कुल	1382	436	1058	337	130

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

बैंक ने वर्श 2013—14 के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर अनुग्रह राशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त हुए 09 मामलों में कुल 55,06,108 / - लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।

पदोन्नतियाँ

बैंक सभी संवर्गों के कार्मिकों के कार्य—सम्पादन को उच्च स्तरीय बनाए रखने एवं उनके द्वारा उच्च दायित्वों को ग्रहण करने हेतु वर्श दर वर्ष पदोन्नतियाँ प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत, कार्मिकों को उच्च उत्पादन हेतु प्रेरित करने के कारण व तीव्र कैरियर विकास हेतु उनकी बढ़ती महत्वकाक्षाओं की पूर्ति के लिए विशेश मुहिम चलाई गई।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पदोन्नतियाँ की गई :--

पदोन्नति	उ.म.प्र.से	सहा.म.प्र.से	मु.प्र.से	वरि. प्र.से	प्र.से वरि.	अधि.से प्र.	कुल
स्तर	म.प्र.	उ.म.प्र.	स.म.प्र.	मुप्र.	प्र.		
सामान्य	06	05	03	95	59	128	296
विशेषज्ञ	_	_	01	04	02	05	12
कुल	06	05	04	99	61	133	308

प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। बैंकिंग उद्योग में वर्तमान में मौजूदा प्रतिस्पर्धा के माहौल में प्रौद्योगिकी प्रणाली में विकास और प्रक्रियाओं तथा कानूनी पहलुओं पर जानकारी देना अति महत्वपूर्ण है तािक स्टाफ विशेष रूप से सहयोगियों के बीच कदम से कदम मिलाकर चल सके।

जीवंत संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में प्रिशिक्षण एवं अभ्यास महत्वपूर्ण कदम है जिससे कार्मिक अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरित एवं उत्साहित होते हैं। यह कार्मिकों की योग्यता में वृद्धि करने एवं उचित दक्षता युक्त होने तथा विभिन्न खण्डों में निरन्तर परिवर्तित होने वाली ग्राहक की व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक में नए भर्ती हुए कार्मिकों की कार्य—कुशलता में वृद्धि, ज्ञान तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए इसकी वर्तमान कार्य—शक्ति की स्थिति के पुनर्विन्यास में सहायक सिद्ध हुए, जिससे कि बैंक देश के पूर्णतया तकनीकी एवं सेवा प्रदाता बैंक के रूप में परिवर्तित हो सके।

वित्त—वर्ष 2013—14 के दौरान बैंक ने अपने 50 प्रतिशत कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इस सन्दर्भ में 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के बीच सामान्य बैंकिंग एवं कम्प्यूटर व इससे सम्बन्धित 236 प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएसबी सेंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, चण्डीगढ़ में तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम निब्सकॉम नोएडा में आयोजित किए गए। जिस दौरान विभिन्न संवर्गों के 4654 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। **EMPLOYMENT TO RESERVED CATEGORY EMPLOYEES:-** Bank is committed to the constitutional safeguard and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and other backward classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of Posts in all India and local recruitments.

A special SC/ST cell has been set up in the Bank to monitor the Reservation and other provisions for SC/ST employees. An executive at the rank of General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC/ST employees and takes care of all matters of grievance redressal of SC/ST employees of the Bank.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1382 and 436 respectively on 31.03.2014. The staff strength under various reserved categories viz OBC/EX-SM/PH is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PH
OFFICERS	813	348	692	43	71
CLERKS	342	60	334	121	44
SUB-STAFF	227	28	32	173	15
TOTAL	1382	436	1058	337	130

FINANCIAL ASSISTAN CE TO THE DEPENDENTS OF DECEASED EMPLOYEES

During the Financial year 2013-14 the Bank made total payment of Rs.55,06,108/- in 9 cases received from the dependants of the deceased employees under the scheme for the payment of ex-Gratia in lieu of appointment on compassionate grounds.

PROMOTIONS

Bank is regularly promoting employees almost in all cadres year after year to keep rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities. Special drive was made during the year under review to fulfill the growing aspirations of the employees for fast career progression thereby motivating employees for higher productivity.

Following promotions have been effected during the year:

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFFICER to MGR	Total
General	6	5	3	95	59	128	296
Specialist	-	-	1	4	2	5	12
Total	6	5	4	99	61	133	308

TRAINING

Training is an integral part of Human Resource development. In the current competitive environment in the Banking Industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc., especially amongst the peers.

The training programs organized by the Bank are focused towards integrating the new recruits into the Bank and in enhancing the skills, knowledge and for reorienting the attitude of its existing work force to achieve the organizational objectives.

The Bank endeavoured to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2013-14. With this in view, 236 programmes were conducted by PSB Centre for Banking Research & Training at Chandigarh in General Banking & Computer related programmes at NIBSCOM, NOIDA in various fields from 1st April 2013 to 31st March 2014, in which training was imparted to 4654 employees of different cadres.

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निब्सकॉम में ऋण मूल्यांकन, विदेशी विनिमय तथा सुरक्षा कार्यशाला पर 07 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें कुल 219 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अतिरिक्त 213 अधिकारियों को शीर्ष स्तर पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। विभिन्न संवर्गों के 4 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु भी प्रतिनियुक्त किया गया।

औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध वर्ष पर्यंत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास एवं अन्य मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन तंत्र के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया तथा इनके समाधान के लिए प्रयत्न भी किए गए।

सीधी भर्ती

वित्तीय—वर्ष 2013—14 में सेवा—निवृति की चुनौतियों, निरन्तर व्यापार वृद्धि तथा शाखाओं के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। बैंक की विविध मानवशक्ति की आवश्यकता को देखते हुए विशेषज्ञ एवं परिवीक्षाधीन, दोनों ही संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक के भर्ती परियोजना में 1 मुख्य सुरक्षा अधिकारी, स्केल—V, 3 सनदी लेखाकार, स्केल—III, 22 सनदी लेखाकार स्केल — II, 08 विधि अधिकारी, स्केल— II, 722 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 38 एएफओ स्केल— I, तथा लिपिकीय संवर्ग में 495 सिंगल विंडो ऑपरेटर, नियुक्त हुए।

बैंक कार्मिकों के कल्याण हेतू -

बैंक के विकास में, बैंक स्टाफ की प्रभावशाली सहभागिता के लिए बैंक ने अपने स्टाफ के हित में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं बनायी हैं। वर्ष 2013.14 के दौरान, बैंक स्टाफ के कल्याण के लिए, स्थापित योजनाओं जैसे कि हाउसिंग लोन, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के लिए मेडीक्लेम योजना आदि में सुधार भी किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी:

- दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सभी 1330 शाखाएं कोर बैंकिंग सुविधायुक्त हैं।
- प्र.का.धोखाधड़ी निगरानी विभाग में दिनांक 30.08.2013 को धन शोधन निवारणन लागू किया गया है, जिसमें नकद लेन—देन रिपोर्ट (सीटीआर), संदेहास्पद लेन—देन रिपोर्ट (एसटीआर) और गैर लाभ लेन—देन रिपोर्ट (एनटीआर) बनाने की सुविधा है।
- देश भर में दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी ग्रिड में चेक ट्रंकेशन सिस्टम ऑपरेशन लागू किया गया है तथा बैंक सभी ग्रिडों जैसे दक्षिणी ग्रिड, पश्चिमी ग्रिड व उत्तरी ग्रिड में सहभाग कर रहा है।
- सीबीएस उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड चोरी / साझा करने के कारण धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए सीबीएस प्रोगाम में कर्मचारियों के प्रवेश के लिए स्थिति के अनुसार 445 शाखाओं में रोलआउट पूरा हो चुका है। शेष शाखाओं में रोलआउट प्रोग्राम जून, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- 74 केन्द्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा बढ़ा दी गई है जिसमें प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालय और शीर्ष व्यापारिक शाखाएं शामिल हैं।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक के सुस्थापित निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग (आईएडी) के द्वारा प्रबंधन के अन्य कार्यों जैसे अनेक आंतरिक नियंत्रण के कार्य संभाले गए हैं जो कि बैंक की कार्य प्रणाली, योजनाओं तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन संबंधी परीक्षण व प्रमाण सुनिश्चित करता है। निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग का निरंतर लक्ष्य इसके प्रभावी आंतरिक कियाविधि के द्वारा बैंक के पाँच आंचलिक निरीक्षणालयों के माध्यम से बल देते हुए, बैंक की लेखा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा परीक्षा योजना (एएपी) प्राथमिक जोख़िम के अनुसार शाखाओं / कार्यालयों के निरीक्षण व आरबीआईए संचालन के द्वारा धोखाधड़ियों को रोकते हुए बैंक के लाभ और उद्यम की सुरक्षा हेतु अंतर्निहित जोख़िम की जांच करना है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने सुव्यवस्थित नियंत्रण में कार्य कुशलता के लिए बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य का निरीक्षण करता है। एसीबी जिसने वर्ष 2013—14 के दौरान निरीक्षण किया, ने प्रबंधकर्ताओं की लेखा परीक्षा समिति के कार्यों का भी निरीक्षण किया, जो कि बैंक में निरीक्षण व लेखा परीक्षा कार्य के निरीक्षण हेतु प्रथम श्रेणी समिति है।

वित्तीय वर्ष 2013:14 के दौरान बैंक की 876 शाखाओं में जोख़िम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण किए, 496 शाखाओं को समवर्ती लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया, 288 शाखाओं में सूचना प्रणाली का लेखा परीक्षण किए गए, 600 शाखाओं तथा आंचलिक कार्यालयों व प्रधान कार्यालय होने पर विभागों प्रबंधन लेखा परीक्षण व निरीक्षण में स्थानांतरण उपरांत लेखा परीक्षण किए गए। 7 Special Training Programmes were conducted at NIBSCOM on Credit Appraisal, Foreign Exchange and Security Workshop in which 219 officials were imparted training.

Besides 213 officers were also imparted training at Apex Level. Bank also deputed four officials in various cadres for overseas trainings.

INDUSTRIAL RELATIONS:- The industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same.

DIRECT RECRUITMENT:- The Bank launched a special recruitment drive to cater to the challenges of superannuation, sustained business growth and rapid branch expansion in the FY 2013-14. Recruitment of both the Specialist Officers and Probationary Officers was done to address the diverse manpower requirement of the Bank.

During the year, 1 Chief Security Officer in Scale –V, 3 CAs in Scale –III, 22 CAs in Scale II, 8 Law Officers in Scale –II,772 Probationary Officers, 38 AFO in Scale –I, 10 HR/IR Officers in Scale I and 495 Single Window Operators-A in Clerical cadre have joined the Bank under Bank's Recruitment Projects.

STAFF WELFARE

In order to motivate and encourage the staff for effective participation in development activities, the Bank is maintaining various welfare schemes for the staff.

During 2013-14, Bank introduced new schemes for the welfare of staff. Also improvement / betterment in the existing schemes of Housing Loans, Mediclaim Policy for retired employees etc. have been made for the welfare of staff.

INFORMATION TECHNOLOGY

- As on 31.03.14, all 1330 branches of the Bank are on Core Banking Solution.
- Bank has implemented Anti Money Laundering Solution which facilitates generation of Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Reports (STR) and Non-profit Transaction Report (NTR).
- Cheque Truncation System has been implemented across the country and bank is participating in all the grids i.e. Southern, Western and Northern Grids.
- Biometric based Authentication for employees' login into CBS application has been introduced to prevent the incidence of frauds taking place on account of password theft/sharing of password. As on 31.03.2014, rollout in 445 branches has been completed. Rollout in the remaining branches shall be completed by June 2014.
- Video Conferencing Facility has been extended to 74 centers, which includes Head Office, Zonal Offices and top Business Branches.

INTERNAL CONTROL

The Internal control function like many other functions of the management is carried out in the Bank through a well-established Inspection & Audit Dept.(IAD), which ensures examination & verification of adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The IAD constantly aims at checking the inherent risks through its effective control mechanism, enforced through five Zonal Inspectorates, to protect Bank's interest and endeavours to prevent frauds by conducting RBIA and Inspection of branches/ offices as per risk prioritised Annual Audit Plan (AAP) approved by the Audit Committee of the Bank.

The Audit Committee of the Board (ACB) oversees the internal Audit function of the Bank for improving the efficiency of systemic controls. The ACB, which met 8 times during FY 2013-14, also monitors the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE), which is a first tier Committee to oversee Inspection and Audit function in the bank.

During FY 2013-14, Risk Based Internal Audit was conducted in 876 branches of the Bank; 496 branches were brought under Concurrent Audit System; the Information System audit was conducted in 288 branches; Post migration audit was conducted in 600 branches, and Zonal Offices and Departments at Head Office have been subjected to Management Audit & Inspection.

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग ग्राहकों के कष्टों / शिकायतों में सुधार निगरानी के उत्तरदायित्व के लिए भी निर्दिष्ट है। बैंक ने वेब आधारित ग्राहक शिकायत सुधार मापदंड की एक मानकीकृत लोक शिकायत सुधार प्रणाली (एसपीजीआरएस) कार्यान्वित की है। वर्ष 2013—14 के दौरान 1810 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 1775 शिकायतें का समाधान कर दिया गया है। बैंकिंग लोकपाल ने 5 निर्णय बैंक के विरुद्ध दिए हैं, जिनमें से 2 के विरुद्ध बैंक ने अपील की है।

वर्ष के दौरान निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग ने जोख़िम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा योजना निरूपित की है तथा जोख़िम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा व समवर्ती लेखा परीक्षा की कंप्यूटर की सहायता से ली गई रिपोर्ट फार्मेट पर विचार किया गया तथा संशोधित किया गया।

संक्षेप में निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग ने भारत सरकार तथा बैंक बोर्ड के द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली व प्रकिया के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की है।

अनुपालन कार्य

वित्तीय—वर्ष 2013—14 के दौरान बैंक ने अनुपालन योजना की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सभी आंचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों के अनुपालन निर्देशिका प्रारूपित / अद्यतन की गई। बैंक की कार्य—निर्देशिका को बैंक की इंट्रानेट साईट पर भी अपलोड किया गया है।

बैंक ने अनुपालन कार्यों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी दिशा—निर्देशों का अनुपालन किया है। अनुपालन विभाग ने यह सुनिश्चित करता है कि प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों तथा शाखाओं की कार्य—पद्धति उनके कार्य—निर्देशिका से जुडी है। शाखाओं / कार्यालयों में इस कार्य—पद्धति के नियमित अंतराल परा वार्षिक अनुपालन ऑडिट किए जाते हैं।

जन-सम्पर्क एवं प्रचार

"वित्तीय—वर्ष 2013—14 के दौरान बैंक ने जन—सामान्य के बीच तथा कॉरपोरेट स्तर पर अच्छी छवि बनाने के लिए एक सुनियोजित नीति अपनाई है तथा बैंक ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को ध्यान मे रखते हुए प्रिंट मीडिया द्वारा अपने उत्पादों, संविदाओं, वित्तीय तथा अन्य डिस्प्ले / सूचनाओं को विभिन्न समाचार—पत्रों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में प्रकाशित करवाकर ख्याति प्राप्त की है।

आउटडोर मीडिया के माध्यम से चण्डीगढ़ व अमृतसर हवाई अड्डों पर विज्ञापन वाले गुब्बारों के प्रदर्शन से उल्लेखनीय प्रचाार—प्रसार किया गया। अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बैंक के बैनरों तथा होर्डिंग्स के प्रदर्शन से बैंक की पहुँच का विस्तार किया गया।

बैंक को क्लैंडर व टेबल क्लैंडर के माध्यम से भी अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई, जिसे बैंक के ग्राहकों तथा इसके शुभचिन्तकों के मध्य वितरित किया गया।

बैंक को प्रिंट मीडिया द्वारा प्रेस-विज्ञप्तियों के कवरेज से भी अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई।

इन सभी कार्यों द्वारा बैंक को पुनः राष्ट्र सेवा हेतु स्वयं को समर्पित करने का सुअवसर मिला तथा प्रचार-प्रसार के स्तर पर आशातीत ख्याति प्राप्त हुई।

सतर्कता

सुरक्षात्मक सतर्कताः

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने सतर्कता प्रशासन को मज़बूत करने तथा संस्था में निरंतर अनुपालन को बनाए रखने के लिए हाल ही में सुरक्षात्मक सतर्कता के साथ—साथ दंडात्मक सतर्कता पर कई प्रयास किए हैं।

पूरी संस्था में लोगों को निष्कपटता, पूर्ण ईमानदारी तथा पूर्ण पारदर्शिता में एकरूपता से कार्य करने तथा सतर्कता प्रशासन को मज़बूत करने व दृढ़ अनुपालन के लिए जागरुकता फैलाने के लिए कार्यक्रम श्रृंखला / कॉन्फ्रेंस / कार्यशाला आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में बैंक के विरष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं सीबीआई के उच्चाि कारियों ने इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। इनमें कुछ कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

संगठन का अतिरिक्त महत्वः

माननीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अवलोकन में इस वर्ष के विषय 'उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देने में सतर्कता का सकारात्मक योगदान' के समान तथा बड़े ऋण खातों में राजस्व चोरी संबंधी तिमाही / विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर हमने हमारे सतर्कता अधिकारी द्वारा नमूना आधार पर बड़े ऋण खातों की स्वीकृति हेतु अनुपालन नियमों एवं शर्तों की जाँच के लिए 'मिशन कंप्लायंस के नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है:

The Inspection and Audit Department is also assigned the responsibility of monitoring redressal of the customer grievances/ complaints. The Bank has implemented Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS), a web-based customer complaint redressal module. During FY 2013-14, 1810 complaints were received, of which 1775 complaints have been disposed off. The Banking Ombudsman passed 5 awards against the Bank out of which against 2 awards bank has gone into appeal.

During the year, the Inspection and Audit Department formulated 'Risk Based Internal Audit Policy' and revised & devised computer aided reporting formats of Risk Based Internal Audit & Concurrent Audit.

To summarize, Bank's Inspection and Audit Dept. has been effectively monitoring the compliance of systems and procedures laid down by Board, the Regulator and the Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION

During the financial year 2013-14, Bank reviewed the Compliance-policy. Compliance Manuals of Zonal Offices and various HO Departments were drafted /updated during the year. Functional Manual of the bank has also been placed on the Intranet site of the bank.

Bank complied with the various guidelines issued by the RBI on Compliance functions. The Compliance Department ensures that the functioning of Zonal Offices, Branches and Departments is synchronized with their Functional Manuals. Annual Compliance Audits of branches/offices are conducted at regular intervals.

PR and PUBLICITY

During the financial year 2013-14, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in Public and at the corporate level and accordingly publicity was made through the print media by release of its product, tender, financial and other display/notice ads in different newspapers, magazines and souvenirs targeting various audiences all over the country.

Bank also used effective outdoor media signifying display of Balloon at Chandigarh and Amritsar Airports. Bank's banners, hoardings displayed on events of high publicity value facilitated extension of outreach of the Bank.

Bank also received immense publicity through Bank's Wall Calendar & Table Calendar 2014 which was widely distributed among clients and well wishers of Bank.

Bank got huge publicity by way of coverage of its press releases by the print media.

All these activities facilitated the Bank to rededicate itself to the service of the Nation and enabled it to earn a well deserved mileage on the publicity front.

VIGILANCE


PREVENTIVE VIGILANCE

During the year, the Vigilance Department has taken number of initiatives on Preventive as well as on Punitive Vigilance to strengthen the vigilance administration and also to instill compliance culture within the organization.

To educate staff across the organization to work with utmost sincerity, honesty and uniformity in a most transparent manner and to spread awareness about stronger compliance culture and strengthening vigilance administration, series of programmes, conferences and workshops were organized. These programmes were participated by senior officials of the Bank and also presided over by the Top officials of the Central Vigilance Commission and CBI.

VALUE ADDITION TO THE ORGANIZATION

In line with this year's theme observing Vigilance Awareness Week by Hon'ble CVC "Promoting Good Governance – Positive Contribution of Vigilance" and on the basis of information received from various sources, quarters regarding Revenue Leakages in Big Borrowal Accounts, Bank started a special drive under the name "Mission Compliance" i.e. checking of the compliance of terms and conditions of sanction in big borrowal accounts on sample basis.



दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह पर्यवेक्षणः

माननीय आयोग की अपेक्षानुरूप दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक आयोजित सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान हमने उपयुक्त तरीके से पर्यवेक्षण के लिए कई प्रयास किए। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित आंचलिक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जिसका शुभारंभ, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किया।

सुरक्षा व्यवस्थाः

बैंक की संगठनात्मक संरचना में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है। प्र.का.सुरक्षा विभाग ने बैंक की सभी करेंसी चेस्टों तथा शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया एवं इसका निरीक्षण किया। बैंक में प्रबल सुरक्षा परिदृष्टय बनाने हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गित को तेज किया गया है। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक तथा अबाधित सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए मजबूत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय बैंकिंग संघ के दिशा—निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं अनिवार्य व्यवस्था प्रबंधनों को लगभग सभी शाखाओं में उपलब्ध करवा दिया गया है।

अंचल सुरक्षा अधिकारियों ने प्रचलित सुरक्षा प्रबंधनों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित अंतराल पर शाखाओं के सिक्योरिटी ऑडिट किए तथा इन सुरक्षा प्रबंधनों को मजबूत करने के लिए परामर्श दिए। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेन्सियों से गहरा सम्बन्ध बनाया है। बैंक में सुदृढ़ सुरक्षा परिदृश्य हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गित को तेज किया गया है। प्रधान कार्यालय से मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रधान कार्यालय के अन्य अधिकारियों ने भी अतिसंवेदनशील शाखाओं के साथ सभी करेंसी चेस्टों का भी सिक्योरिटी ऑडिट किया।

सभी करेंसी चेस्टों तथा शाखाओं में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इस्टॉल कर दिए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप एकसेस कॉन्ट्रोल सिस्टम सभी कोष–कक्ष शाखाओं में उपलब्ध है।

बैंक की सभी करेंसी चेस्ट तथा शाखाओं में गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक ने बाहरी म्रोतों से, डीजीआर द्वारा प्रायोजित एक निजी सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा सेवाएं ली हैं।

करेंसी चेस्ट / शाखाओं में तैनात शस्त्रधारी गार्डों को वार्षिक आधार पर फायरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा सम्बन्धी नया प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रथम चरण में, समस्त करेंसी चेस्टों तथा चिन्हित की गई 237 उच्च जोखिम व अतिसंवेदनशील शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी पद्धित संस्थापित करवा दी गई है, आंतक बोध, नकदी राशि तथा कीमती दस्तावेज एवं निरन्तर निगरानी की आवश्यकता के मद्देनज़र शेष शाखाओं में भी चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी निगरानी पद्धित संस्थापित कर दी जाएगी।

राजभाषा कार्यान्वयन :

वर्ष 2013—14 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार—प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। वित्तीय—वर्ष 2013—14 के दौरान कुल 75 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 1039 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 705 शाखाओं में हिंदी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 3203 कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया तथा 286 कार्मिकों को यूनिकोड प्रशिक्षण दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 705 शाखाओं / कार्यालयों के राजभाषा के प्रयोग संबंधी निरीक्षण किए गए।

इस वर्ष 'बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति', दिल्ली के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक के 05 कार्मिकों ने 08 पुरस्कार प्राप्त किए। बैंक नराकास, दिल्ली की ओर से हमारी गृह—पत्रिका 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

खेलकूद:

बैंक की सीनियर हॉकी टीम की उपलब्धियाँ :

बैंक की एक खेल अकादमी है जो कि 15—18 वर्ष आयु वर्ग की हॉकी अकादमी के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की हॉकी टीम का शिक्षण देती है।वर्ष के दौरान बैंक की हॉकी टीम ने निम्नलिखित तीन प्रतियोगिताएं जीतीं :—

- अखिल भारतीय गुरमीत हॉकी टूर्नामेंट
- अखिल भारतीय सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट
- अखिल भारतीय नेहरू हॉकी टूर्नामेंट

बैंक की हॉकी अकादमी ने अखिल भारतीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करके बैंक को सम्मान दिलाया।

वर्ष 2013—14 के दौरान बैंक की हॉकी अकादमी तथा हॉकी टीम निम्नलिखित खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया।

OBSERVANCE OF VIGILANCE AWARENESS WEEK FROM 28.10.2013 TO 02.11.2013

As desired by Hon'ble Commission, the Bank undertook number of initiatives during "Vigilance Awareness Week" w.e.f. 28.10.2013 to 02.11.2013 for observing the same in a befitting manner. Besides, a programme for all the senior functionaries of Delhi based Zones was also organized. The programme was inaugurated by Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission.

SECURITY ARRANMGEENT

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. Security department of the Bank has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at most of the branches.

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer, other officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also undertake random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all Banks' Currency Chests has been strengthened in terms of RBI guidelines. Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests.

All the branches of Bank are provided armed guards and all the cash remittances are escorted by armed guard. Training, including firing practice, for Armed Guards deployed at currency chests / branches is imparted on an annual basis. Also, all the security officers undergo refresher training on security once in a year.

CCTV Surveillance System has been installed at all the Currency chest branches and 237 identified High Risk and vulnerable branches in the first phase, keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance. CCTV systems shall be installed at remaining branches in a phased manner.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

During the financial year 2013-14, Bank made significant progress in implementation of Official Language Policy for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. During the year 2013-14, a total of 84 workshops were organized, in which 1039 personnel were trained. Besides, 3203 personnel were trained during 705 Hindi Desk Training Programmes and 286 personnel were imparted training for using Unicode on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in 705 Branches/Offices.

This year 'Delhi Town Official Language Implementation Committee' (TOLIC), awarded 'Consolation Prize' to our Bank In-House Hindi Magazine 'Rajbhasha Ankur'. Apart from this five employees of our Bank won eight prizes in various competitions organized by different banks under the auspices of Delhi Bank TOLIC.

SPORTS

The Bank has a Sports Academy which nurtures Bank's Hockey Team at National Level, besides Hockey Academy for age group of 15-18 years. During the year, Bank's Hockey Team won the following three National Tournaments:

- All India Gurmit Hockey Tournament
- All India Surjit Hockey Tournament
- All India Nehru Hockey Tournament

The Bank's Hockey Academy also brought laurels to the Bank by winning All India Level Tournaments.

The following players of the Bank's Hockey Team and Hockey Academy have represented Indian Hockey Team in various International Tournaments during the year 2013-14:



श्री हर्षबीर सिंह श्री हरजोत सिंह श्री सतबीर सिंह श्री रमनदीप सिंह

श्री गुरमेल सिंह श्री प्रभदीप सिंह श्री तलविंदर सिंह

श्री बलजीत सिंह सैनी, ओलम्पियन को भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया तथा श्री राजिंदर सिंह ओलम्पियन को भारतीय विश्वविद्यालय का कोच नियुक्त किया गया।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की हॉकी टीम के अधिकारियों ने जमा संघटन हेतु कार्य किया।

समायोजन

वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर आई.बी.आर. एवं ड्राफ्ट में बकाया राशि को पिछले वर्ष की तुलना में 99% तक कम किया गया।

सामान्य प्रशासन

बैंक की बहुत सी निर्माण योजनाएं जैसे कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज दिल्ली, फोर्ट मुम्बई, गुडगाँव, नोयड़ा आदि में प्रक्रिया में हैं तथा इस वर्ष में संभवत: इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष के दौरान, तीन वर्षों के पश्चात, बैंक ने अपनी संपत्तियो का पुनर्मूल्यांकन किया है।

बोर्ड निदेशकों का नियोजन

31 मार्च, 2014 के अनुसार बैंक बोर्ड में 10 अन्य निदेशकों— वित्त—मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों, गैर—आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी), 2 शेयर धारक निदेशकों तथा 5 अंश—कालिक गैर—आधिकारिक निदेशकों के अतिरिक्त तीन पूर्ण कालिक निदेशकों जैसे— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यकारी निदेशकों को सिम्मलित किया गया।

बैंक मामलों के नियंत्रण एवं कार्य निगरानी हेतु नियोजित बोर्ड की विभिन्न समितियों सूची नीचे दी गई है:

- प्रबंधन समिति
- लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़ी राशियों की धोखाधड़ियों की निगरानी हेत् समिति
- सतर्कता समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- शेयरधारकों / निवेशक शिकायत समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
- नामांकन समिति
- मानव संसाधान समिति
- पुनर्विचार समिति
- पारिश्रमिक समिति
- प्रबंधकों की पदोन्नित पर निदेशक समिति
- वसुली पर्यवेक्षण समिति
- समरूपी लेखा परीक्षा समिति
- शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति (सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा वोटिंग)

वर्ष 2013—14 के दौरान बोर्ड निदेशकों की 16 बैठकें, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 21 बैठकें तथा लेखा परीक्षा समिति की 8 बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त बोर्ड की अन्य समितियों की भी बैठकें आयोजित की गई।

वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक के बोर्ड निदेशकों के नियोजन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

समावेशन

- भारत सरकार, वित—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 31.05.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 6 / 34 / 2013—बी.
 ओ.1 के अनुसार श्री प्रदीप्त के जेना को बैंक के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 05.08.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 4 / 5 / 2012—बी.
 ओ.1 के अनुसार श्री किशोर कुमार साँसी को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।



Sh. Harbir Singh Sh. Harjot Singh Sh. Satbir Singh Sh. Ramandeep Singh

Sh. Gurmail Singh Sh. Prabhdeep Singh Sh. Talwinder Singh

Sh. Baljit Singh Saini Olyampian was appopinted as coach of the Indian Hockey Team and

Sh. Rajinder Singh Olyampian was appointed as coach of Indian University Team.

In addition to the above said achievements, the officials attached with Bank's Hockey Team have also worked for the deposit mobilization during this financial year.

RECONCILIATION

Total outstanding in Inter Bank Reconciliation (IBR) & Demand Draft as on 31.03.2014 has been reduced by 99% from the level as on 31-03-2013.

GENERAL ADMINISTRATION

Various building projects viz Staff Training College, Delhi, Fort Mumbai, Gurgaon, Noida etc. are in progress and are likely to be completed this year. During the year, Bank has gone for revaluation of Bank owned properties after a gap of three years.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2014, the Board comprised of three Whole time Directors viz Chairman & Managing Director and two Executive Directors besides ten other Directors including representatives from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, Non Official Director (Chartered Accountant Category), two Share Holders Directors and five Part Time Non Official Directors.

Various Committees constituted under the Board as listed below, oversee the functioning and control the affairs of the bank:

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee for Monitoring of Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- Customer Service Committee
- Shareholders'/Investors Grievance Committee
- IT Strategy Committee
- Nomination Committee
- HR Committee
- Appellate Committee
- Remuneration Committee
- Committee of Directors on Executives' Promotion
- Committee for Monitoring of Recovery
- Concurrent Audit Committee

During the year 2013-14, sixteen meetings of the Board of Directors, twenty one meetings of the Management Committee and eight meetings of the Audit Committee of the Board were held besides meetings of other Committees of the Board.

The constitution of Bank's Board of Directors underwent following changes during the year 2013-14:

INCLUSIONS

- Sh. Pradipta K Jena was nominated as RBI Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/34/2013-BO.1 dated 31.05.2013.
- Sh. Kishore Kumar Sansi was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- भारत सरकार, वित—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 05.08.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 4 / 5 / 2012—बी.
 ओ.1 के अनुसार श्री मुकेश कुमार जैन को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 12.08.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 6 / 16 / 2011—बी.
 ओ.1 के अनुसार श्री संजय वर्मा को बैंक के गैर—सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 22.10.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 6 / 3 / 2012—बी.
 ओ.1 के अनुसार श्री एस.सी.दास को वित्त—मंत्रालय नामांकित निदेशक नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 04.07.2013 के विज्ञापन सं. एफ. नं. 6 / 56 / 2013—
 बीओ. 1 के अनुसार श्रीमती अनीता कर्णावर को बैंक के गैर—सरकारी निदेशक मनोनित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 31.01.2014 की अधिसूचना सं. एफ. नं.
 4/7/2013—बीओ. 1 के अनुसार श्री जितंदरबीर सिंह को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सेवानिवृतियाँ

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री देविंदर पाल सिंह अपनी सेवानिवृति की आयु पूरी करते हुए दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत हुए। श्री रजत सच्चर, वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक ने बैंक के बोर्ड में दिनांक 21.10.2013 को अपनी सेवा अविध पूरी की। श्री कर्णपाल सिंह सेखों ने बैंक के बोर्ड में गैर—सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 04.07.2013 को अपनी सेवा अविध पूरी की। श्री बी.पी.कानूनगो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक दिनांक 30.05.2013 तक बैंक के बोर्ड में रहे। कार्यकारी निदेशक श्री पी.के.आनंद अपनी सेवानिवृति की आयु पूरी करते हुए दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत हुए।

संगठित प्रशासन :

बैंक अच्छे संगठित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मज़बूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है तािक संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य—प्रणाली, बैंक के पारदर्शी स्वामित्व सरंचनाएं जोखिम प्रबंधन कार्य—प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा—परीक्षा प्रभाग तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा—परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है। इनके कार्यों में बोर्ड द्वारा की जाने वाली संतोषजनक बोर्ड प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण कार्य सम्मिलित है।

बैंक निगमित प्रशासन के मामले में सम्बन्धित सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच सांविधि कि केन्द्रीय लेखा—परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों की जिम्मेदारियाँ :

- निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाबंदी की तैयार करने में —
- लागू लेखा—मानकों के साथ—साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है तो, का पालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है।
- वित्तीय—वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए।
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण हेतु उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया तथा खातों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया जाता है।

सांविधिक लेखा परीक्षा

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, मार्च, 2014 को समाप्त लेखा वर्ष हेतु मैसर्स आर.एम. लाल एण्ड कंपनी, लखनऊ और मैसर्स ओ.पी. तुलसियान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स बी.के. श्रॉफ एण्ड कम्पनी, कोलकाता तथा मैसर्स कोठारी एण्ड कंपनी, कोलकाता को केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।

- Sh. Mukesh Kumar Jain was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.
- Sh. Sanjay Verma was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry
 of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/16/2011-BO.1 dated
 12.08.2013.
- Sh. S C Das was nominated as Ministry of Finance Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO.1 dated 22.10.2013.
- Smt. Anita Karnavar was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/56/2013-BO.1 dated 30.01.2014.
- Sh. Jatinderbir Singh-IAS was appointed as Chairman & Managing Director of Punjab & Sind Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/7/2013-BO.1 dated 31.01.2014.

CESSATIONS

- Sh. Devinder Pal Singh, Chairman & Managing Director attained the age of superannuation and thus retired on 31.01.2014.
- Sh. Rajat Sachar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 21.10.2013.
- Sh. Karanpal Singh Sekhon completed his term as Non-Official Director on the Board of the Bank on 04.07.2013.
- Sh. B P Kanungo, RBI Nominee Director was on the Board of the Bank up to 30.05.2013.
- Sh. P K Anand, Executive Director attained the age of superannuation and thus retired from the service of the bank on 31.05.2013.

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors.

Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which have been examined by the Statutory Central Auditors.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENTS

- The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2014:
- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2014
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on going concern basis.

STATUTORY AUDIT

As approved by Reserve Bank of India, Bank has appointed M/s.R.M.Lall & Co., Lucknow, M/s.O.P Tulsyan & Co, New Delhi; M/s B K Shroff & Co., Kolkata; and M/s R Kothari & Co., Kolkata as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2014.

है पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अभिस्वीकृतियाँ :

- बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभिचंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सदभावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।
- निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के साविधिक केंद्रीय लेखा—परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।
- निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ—सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

स्थानः नई दिल्ली दिनांक 19 मई, 2014 ह0 / – (जतिंदरबीर सिंह) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors of the Bank thanks valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and continued support.

The Directors also acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

The Directors place on record their deep appreciation for the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the Corporate goals in years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

Place: New Delhi Dated:10.05.2014 (Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director



कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट 2013 -14

आचार संहिता

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्य—निष्पादन को सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी जोंखिम उठाने वालो के हित में जिनमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा तथा बड़े पैमाने पर समाज भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुँचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है लेकिन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत कॉर्पोरेट निकाय है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। अतः बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संषोधित उपखंड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधि वियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूपः

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980, यथा संशोधित, के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अन्रूप निदेषक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

		9		9			
क्रम सं.	नम	पदनाम	31.03. 2014 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप—समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	श्री जतिंदरबीर सिंह, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	10	शून्य	शून्य	+
2.	श्री के.के.साँसी	कार्यकारी निदेशक	शून्य	9	शून्य	शून्य	*
3.	श्री एम.के.जैन	कार्यकारी निदेशक	शून्य	10	शून्य	शून्य	*
4.	श्री एस.सी.दास	निदेशक—वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	9	शून्य	शून्य	**
5.	श्री पी.के. जेना	निदेशक—भा.रि.बैंक द्वारा नामित	शून्य	6	शून्य	शून्य	@
6.	श्री एस.पी.एस. विर्क	कामगार कर्मचारी निदेशक	शून्य	2	शून्य	शून्य	+++++
7.	श्री महेश कुमार गुप्ता	गैर–आधिकारिक निदेशक (सीए–श्रेणी)	शून्य	4	शून्य	शून्य	***
8.	श्री सुखेन पाल बबूता	गैर–आधिकारिक निदेशक (अंशधारक निदेशक)	499	5	2	शून्य	\$
9.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	5	शून्य	शून्य	#



Report on Corporate Governance (2013-14)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2014 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2014	No. of member- ship in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	Sh. Jatinderbir Singh, IAS	Chairman & Managing Director	NIL	10	NIL	NIL	+
2.	Sh K.K. Sansi	Executive Director	NIL	9	NIL	NIL	*
3.	Sh M.K.Jain	Executive Director	NIL	10	NIL	NIL	*
4.	Sh S.C.Das	Director –MOF Nominee Director	NIL	9	NIL	NIL	**
5.	Sh P.K. Jena	Director – RBI Nominee Director	NIL	6	NIL	NIL	@
6.	Sh. S.P.S. Virk	Workmen Employee Director	NIL	2	NIL	NIL	++++
7.	Sh.Mahesh Kumar Gupta	Non-Official Director (CA-Cat)	NIL	4	NIL	NIL	***
8.	Sh.Sukhen Pal Babuta	Non-Official Director (Shareholder Director)	499	5	2	NIL	\$
9.	Sh. Sanjiv Kumar Arora	Non-Official Director	NIL	5	NIL	NIL	#

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

क्रम सं.	नम	पदनाम	31.03. 2014 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप—समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
10.	श्री संजय वर्मा	गैर–आधिकारिक निदेशक	शून्य	5	शून्य	शून्य	++
11.	श्री सुरेश ठाकुर	गैर–आधिकारिक निदेशक	शून्य	3	2	शून्य	+++
12.	श्री एन.राजेन्द्रन	गैर–आधिकारिक निदेशक (अंशधारक निदेशक)	500	3	शून्य	शून्य	++++
13.	श्रीमती अनीता कर्णावर	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	+++++

- + भात सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2014 के पत्र सं.एफ.न. 4/7/2013—बीओ—I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदासीन) 01.02.2014 की प्रभावी तिथि पर अथवा उसके बाद कार्यभार संभालनें और दिनांक 31.12.2017 तक अर्थात अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- * भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 05 अगस्त, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 4/5/2012—बीओ— I की शर्तों के अनुरूप अपने पदग्रहण करने की प्रभावी तिथि से तथा दिनांक 31.08.2017 तक अर्थात् अपनी सेवानिवृति की तिथि तक या आगामी आदेशों तक अथवा इनमें से जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त।
- भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 05 अगस्त, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 4/5/2012—बीओ— I की शर्तों के अनुरूप अपने पदग्रहण करने की प्रभावी तिथि से पाँच वर्ष तक या आगामी आदेशों तक अथवा इनमें से जो भी पहले हो, तक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त।
- ** भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6 / 3 / 2012—बीओ— I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 31मई, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6/34/2013-बीओ- I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा 3 के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- +++++ भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 23 नवंबर, 2011 के पत्र सं. एफ.नं. 9/35/2009-बीओ—I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा 3 के खंड (ई) के तहत सूचना की तारीख से एवं पाँच वर्ष की अविध हेतु या समाप्ति तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कामगार कर्मचारी निदेशक रहेंगे।
- *** भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6/16/2013—बीओ— I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3जी) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक सांविधिक लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर—आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- \$ शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(आई), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात दिनांक 03.06.2011 से निदेशक नियुक्त।
- # भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2011 के पत्र सं. एफ.नं. 6 / 59 / 2010—बीओ— I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3—ए) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर—आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2014	No. of member- ship in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
10.	Sh. Sanjay Verma	Non-Official Director	NIL	5	NIL	NIL	++
11.	Sh. Suresh Thakur	Non-Official Director	NIL	3	2	NIL	+++
12.	Sh.N. Rajendran	Non-Official Director (Shareholder Director)	500	3	NIL	NIL	++++
13.	Smt. Anita Karnavar	Non-Official Director	NIL	NIL	NIL	NIL	+++++

- + Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/7/2013-BO-I dated 31st January 2014 as a whole time Director (designated as Chairman & Mg. Director) w.e.f. the date of taking charge on or after 01.02.2014 and upto 31.12.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
- * Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/2012-BO-I dated 5th August 2013 as Executive Director w.e.f. the date of his taking over charge of the post and upto 31.08.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
- * Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/2012-BO-I dated 5th August 2013 as Executive Director for a period of five years from the date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.
- ** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 22nd October 2013 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- ++++ Appointed as Workmen Employee Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9 /35/2009-BO-I dated 23rd November 2011under Clause (e) of sub section 3 of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or till he ceases to be a Workmen employee of Punjab &Sind Bank or until further orders, whichever is earlier.
- *** Appointed as part-time non-official Director under chartered accountant category in terms of GOI MOF letter No F.No 6/16/2013-BO-I dated 30th January 2013 under of sub section (3g) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification and / or until further orders, whichever is earlier.
- \$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 03.06.2011.
- # Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/59/2010-BO-I dated 15th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- + + भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 12 अगस्त, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6 / 16 / 2011—बीओ—I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3—ए) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर—आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- + + + भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय के दिनांक 13 जुलाई, 2011 के पत्र सं. एफ.नं. 6 / 57 / 2010—बीओ—I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3—ए) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर—आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- + + + + शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(आई), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात दिनांक 03.06. 2011 से निदेशक नियुक्त।
- +++++ भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2014 के पत्र सं. एफ.नं. 6 / 56 / 2013-बीओ-I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3-ए) के तहत उनकी नियुक्ति की अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदशकों की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2013-2014 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

(क) नियुक्तियाँ :

- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 31.01.2014 की अधिसूचना सं. एफ.नं.
 4/7/2013-बीओ.1 के अंतर्गत श्री जितंदरबीर सिंह आई.ए.एस. को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 30.01.2014 की अधिसूचना सं. एफ.नं.
 6/56/2013—बीओ.1 के अंतर्गत श्रीमती अनिता कर्णावर को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के गैर—आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 22.10.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं.
 6/3/2012—बीओ.1 के अंतर्गत श्री एस.सी.दास को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वित्त—मंत्रालय के नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 05.08.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं.
 4/5/2012—बीओ.1 के अंतर्गत श्री मुकेश कुमार जैन को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 05.08.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं.
 4/5/2012—बीओ.1 के अंतर्गत श्री किशोर कुमार साँसी को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 12.08.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं.
 6 / 16 / 2011—बीओ.1 के अंतर्गत श्री संजय वर्मा को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के गैर—आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 31.05.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं.
 6/34/2013—बीओ.1 के अंतर्गत श्री प्रदीप्ता के. जेना को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के भा.रि.बैंक नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त / त्याग-पत्र देने वाले निदेशक :

 श्री दिवंदर पाल सिंह बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 31.01.2014 को माह के अंतिम दिन अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए।



- + + Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/16/2011-BO-I dated 12th August 2013 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- + + + Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/57/2010-BO-I dated 13th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- + + + + Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 03.06.2011.
- + + + + + + Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/56/2013-BO-I dated 30th January 2014 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2013-2014:

[A] Appointment:

- Sh. Jatinderbir Singh, IAS was appointed as Chairman & Managing Director of Punjab & Sind Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/7/2013-BO.1 dated 31.01.2014.
- Smt. Anita Karnavar was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry
 of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/56/2013-BO.1 dated
 30.01.2014.
- Sh. S C Das was nominated as Ministry of Finance Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO.1 dated 22.10.2013.
- Sh. Mukesh Kumar Jain was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.
- Sh. Kishore Kumar Sansi was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.
- Sh. Sanjay Verma was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry
 of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/16/2011-BO.1 dated
 12.08.2013.
- Sh. Pradipta K Jena was nominated as RBI Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry
 of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/34/2013-BO.1 dated
 31.05.2013

[B] Directors out going / resigned during the year:

Sh. Devinder Pal Singh completed his term as Chairman & Managing Director of the Bank on 31.01.2014 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.

🖁 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- श्री रजत सच्चर वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक बैंक के बोर्ड में दिनांक 21.10.2013 तक रहे।
- श्री करनपाल सिंह सेखों ने बैंक बोर्ड में गैर—आधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 04.07.2013 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक श्री बी.पी. कानूनगो दिनांक 30.05.2013 तक बैंक के निदेशक मंडल में रहे।
- श्री पी.के. आनंद बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, अर्थात् दिनांक 31.05.2013 को माह के अंतिम दिन अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए।

2.3 वर्ष 2013-14 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय:

(क) श्री नितंदरबीर सिंह-आई.ए.एस.

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री जतिंदरबीर सिंह
2.	पिता का नाम	सरदार बलवंत सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	12.12.1957— 56वर्ष
4.	वर्तमान पता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक हाऊस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
5.	ई—मेल पता	CMD@PSB.ORG.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.बी.ए., स्नातकोत्तर—अंग्रेजी, स्नातक
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8.	अुनभव	अपनी 30 वर्ष की लंबी कार्याविध के दौरान ये असम, मेघालय तथा केंद्र सरकार के गृह मामलों, रसायन व उर्वरक, रक्षा तथा जल संसाधन मंत्रालयों में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत रहे।
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण	_
	(यदि कोई हो तो)	

(ख) श्री मुकेश कुमार जैन

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री मुकेश कुमार जैन
2.	पिता का नाम	स्वर्गीय श्री मदन लाल जैन
3.	जन्म तिथि एवं आयु	01.08.1960— 53वर्ष
4.	वर्तमान पता	501, टॉवर 1, कॉमनवेल्थ खेल गाँव, अक्षरधाम, नई दिल्ली
5.	ई–मेल पता	MKJAIN@PSB.CO.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर, सनदी लेखाकार
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8.	अुनभव	पूर्व महाप्रबंधक, देना बैंक
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण	_
	(यदि कोई हो तो)	



- Sh. Rajat Sachar MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 21.10.2013.
- Sh. Karanpal Singh Sekhon completed his term as Non-Official Director on the Board of the Bank on 04.07.2013.
- Sh. B P Kanungo RBI Nominee Director was on the Board of the Bank up to 30.05.2013.
- Sh. P K Anand completed his term as Executive Director of the Bank on 31.05.2013 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.

2.3 Profiles of Directors appointed during 2013-14:

[A] Shri Jatinderbir Singh-IAS

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI JATINDERBIR SINGH
2.	FATHER'S NAME	SARDAR BALWANT SINGH
3.	DATE OF BIRTH & AGE	12.12.1957 - 56YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	PUNJAB & SIND BANK, BANK HOUSE,21, RAJENDRA PLACE,NEW DELHI
5.	EMAIL ADDRESS	CMD@PSB.ORG.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MBA, PG-ENGLISH, GRADUATION
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR, PUNJAB & SIND BANK
8.	EXPERIENCE	DURING HIS 30 YEARS LONG SERVICE SPAN HE HAD MANY PRESTIGIOUS ASSIGNMENTS IN ASSAM, MEGHALAYA AND IN DIFFERENT CENTRAL GOVERNMENT MINISTRIES SUCH AS HOME AFFAIRS, CHEMICALS & FERTILIZERS, DEFENCE AND WATER RESOURCES.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	_

[B] Shri Mukesh Kumar Jain

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI MUKESH KUMAR JAIN
2.	FATHER'S NAME	LT. SHRI MADAN LAL JAIN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	01.08.1960 - 53 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	501, TOWER 1, COMMONWEALTH GAMES VILLAGE, AKSHARDHAM, NEW DELHI.
5.	EMAIL ADDRESS	MKJAIN@PSB.CO.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	POST GRADUATE, DELHI SCHOOL OF ECONOMICS; CHARTERED ACCOUNTANT
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR, PUNJAB & SIND BANK
8.	EXPERIENCE	EX GENERAL MANAGER, DENA BANK
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	_



(ग) श्री किशोर कुमार साँसी

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री किशोर कुमार साँसी
2.	पिता का नाम	श्री भीम सेन साँसी
3.	जन्म तिथि एवं आयु	19.08.1957— 56वर्ष
4.	वर्तमान पता	डी–1/5, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली
5.	ई–मेल पता	KISHORESANSI@PSB.CO.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.एस.सी, एम.टेक
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8.	अुनभव	पूर्व महाप्रबंधक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण	_
	(यदि कोई हो तो)	

(घ) श्री संजय वर्मा

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री संजय वर्मा
2.	पिता का नाम	स्वर्गीय श्री श्यामलाल वर्मा
3.	जन्म तिथि एवं आयु	17.08.1968— 45वर्ष
4.	वर्तमान पता	425, आईआईएम, वस्त्रपुर, अहमदाबाद
5.	ई–मेल पता	SVERMA@IIMAHD.ERNET.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	पी.एच.डी., एम.बी.ए., बी.एस.सी.
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर—आधिकारिक निदेशक,
8.	अुनभव	प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में अध्यापन का 22 वर्षों से भी अधिक का अनुभव। मई, 1999 से आईआईएम अहमदाबाद में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	_

[C] Shri Kishore Kumar Sansi

SNO.	PARTICULARS	DETAIL	
1.	FULL NAME	SHRI KISHORE KUMAR SANSI	
2.	FATHER'S NAME	SHRI BHIM SAIN SANSI	
3.	DATE OF BIRTH & AGE	19.08.1957- 56 YEARS	
4.	PRESENT ADDRESS	D-I/5, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI	
5.	EMAIL ADDRESS	KISHORESANSI@PSB.CO.IN	
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.SC, M.TECH.	
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR, PUNJAB & SIND BANK	
8.	EXPERIENCE	EX GENERAL MANAGER, OBC	
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	_	

[D] Shri Sanjay Verma

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI SANJAY VERMA
2.	FATHER'S NAME	LT. SHRI SHYAMLAL VERMA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	17.08.1968- 45 Years
4.	PRESENT ADDRESS	425, IIM VASTRAPUR, AHMEDABAD.
5.	EMAIL ADDRESS	SVERMA@IIMAHD.ERNET.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	PhD. , MBA, BSc.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	MORE THAN 22 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PRESTIGIOUS EDUCATIONAL INSTITUTES. HAS BEEN TEACHING IN IIM AHMEDABAD SINCE MAY-1999.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-



(इ.) श्री एस.सी.दास

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एस.सी.दास
2.	पिता का नाम	श्री राज कृष्ण दास
3.	जन्म तिथि एवं आयु	01.05.1954— 59वर्ष
4.	वर्तमान पता	23/177, टाईप IV,फ्लैट्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5.	ई—मेल पता	SC.DAS@NIC.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	स्नातक
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
8.	अुनभव	केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 38 वर्षों का अनुभव
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	_

(च) श्रीमती अनीता कर्णावर

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्रीमती अनिता कर्णावर
2.	पिता का नाम	श्री टी के आर कुरूप
3.	जन्म तिथि एवं आयु	09.10.1957— 56वर्ष
4.	वर्तमान पता	पीरूम्पीत्ताथु हाउस, नेदुवरमकोड़, पी.ओ. एल्लीपी (डी टी), केरला. पिन— 689508
5.	ई—मेल पता	ANITAKARNAVAR@GMAIL.COM
6.	शैक्षिक योग्यता	दो बार स्नातकोत्तर
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर—आधिकारिक निदेशक
8.	अुनभव	उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन में क्रियाशील तथा दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण	_
	(यदि कोई हो तो)	

(छ) श्री प्रदीप्त कुमार जेना

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री प्रदीप्त कुमार जेना
2.	पिता का नाम	श्री दशरथी जेना
3.	जन्म तिथि एवं आयु	09.01.1959— 55वर्ष
4.	वर्तमान पता	26, मधुसूदन नगर, यूनिट—4, भुवनेश्वर— 751001
5.	ई—मेल पता	PKJENA@RBI.ORG.IN

[E] Shri S C Das

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI S C DAS
2.	FATHER'S NAME	SHRI RAJ KRISHAN DAS
3.	DATE OF BIRTH & AGE	01.05.1954 – 59 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	23/177, TYPE IV FLATS, LODHI ROAD, NEW DELHI.
5.	EMAIL ADDRESS	SC.DAS@NIC.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B.A.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR, DY. SECTARY, DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
8.	EXPERIENCE	38 YEARS EXPERIENCE IN DIFFERENT CENTRAL GOVERNMENT MINISTRIES.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	_

[F] Smt. Anita Karnavar

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SMT. ANITA KARNAVAR
2.	FATHER'S NAME	SHRI T K R KURUP
3.	DATE OF BIRTH & AGE	09.10.1957- 56 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	PERUMPITTATHU HOUSE, NEDUVARAMCOD, P.O. ALLEPPEY (DT), KERALA. PIN-689508
5.	EMAIL ADDRESS	ANITAKARNAVAR@GMAIL.COM
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	DOUBLE POST GRADUATE
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	ENTREPRENEUR, NEWS READER IN DOORDARSHAN AND RUNNING A NGO.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	_

[G] Shri Pradipta Kumar Jena

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI PRADIPTA KUMAR JENA
2.	FATHER'S NAME	SHRI DASARATHI JENA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	09.01.1959- 55 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	26, MADHUSUDAN NAGAR,UNIT-4, BHUBANESHWAR-751001
5.	EMAIL ADDRESS	PKJENA@RBI.ORG.IN

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
6.	शैक्षिक योग्यता	स्नातकोत्तर, एम.फिल
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
8.	अुनभव	मुख्य महा प्रबंधक क्षेत्रीय निदेशक, भा.रि.बैंक, भुवनेश्वर
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण	-
	(यदि कोई हो तो)	

2.4 बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान बोर्ड की निम्नलिखित तिथियों को कुल 16 बैठकें हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 में निर्धारित शर्त के अुनसार न्यूनतम 6 बैठकें के अनिवार्य हैं।

06.04.2013	01.05.2013	21.05.2013	31.05.2013	14.06.2013
26.06.2013	27.07.2013	19.08.2013	25.09.2013	05.10.2013
11.11.2013	21.12.2013	02.01.2014	16.01.2014	28.01.2014
26.02.2014				

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह—भू.पू.— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	15	14
श्री जितंदरबीर सिं ह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	1	1
श्री पी.के.आनंद—भू.पू.—कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	4	4
श्री के.के.साँसी–कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	9	9
श्री एम.के.जैन—कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	9	9
श्री रजत सच्चर– वित्त–मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	10	8
श्री एस.सी.दास— वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	6	4
श्री बी.पी.कानूनगो— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 社 30.05.2013	3	1
श्री पी.के.जेना— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	13	7
श्री महेश कुमार गुप्ता— गैर—आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	15
श्री करनपाल सिंह सेखों–गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	6	5
श्री सुखेन पाल बबूता— गैर—आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	16

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.A. M.PHIL
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	RBI NOMINEE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	CGM REGIONAL DIRECTOR, RBI, BHUBANESHWAR
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	_

2.4 Board Meetings:

During the Financial Year 2013-14, total 16 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

06.04.2013	01.05.2013	21.05.2013	31.05.2013	14.06.2013
26.06.2013	27.07.2013	19.08.2013	25.09.2013	05.10.2013
11.11.2013	21.12.2013	02.01.2014	16.01.2014	28.01.2014
26.02.2014				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh D.P. Singh – Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	15	14
Sh Jatinderbir Singh-CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	1	1
Sh P.K. Anand – Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	4	4
Sh. K.K.Sansi-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	9	9
Sh M.K.Jain-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	9	9
Sh Rajat Sachar – MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	10	8
Sh S C Das- MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	6	4
Sh B.P. Kanungo –RBI Nominee Director	01.04.2013 to 30.05.2013	3	1
Sh. P.K.Jena- RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	13	7
Sh. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	01.04.2013-31.03.2014	16	15
Sh. Karanpal Singh Sekhon- Non Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	6	5
Sh. Sukhen Pal Babuta- Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	16

🐧 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री एन.राजेन्द्रन— गैर—आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	13
श्री सुरेश ठाकुर- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 社 31.03.2014	16	13
श्री संजीव कुमार अरोड़ा–गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	16
श्री एस.पी.एस विर्क- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 社 31.03.2014	16	16
श्री संजय वर्मा– गैर–आधिकारिक निदेशक	12.08.2013 से 31.03.2014	9	7
श्रीमती अनिता कर्णावर— गैर—आधिकारिक निदेशक	30.01.2014 से 31.03.2014	1	1

2.5. आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक पद नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सिम्मिलत हैं, हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अवलोकन किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमित व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य बैटक

3.1 वार्षिक सामान्य बैठकः

बैंक के शेयरधारकों की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार दिनांक 26 जून, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1	श्री डी.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री रजत सच्चर	निदेशक
3.	श्री महेश कुमार गुप्ता	निदेशक
4.	श्री करनपाल सिंह सेखों	निदेशक
5.	श्री सुखेन पाल बबूता	निदेशक
6.	श्री एन. राजेन्द्रन	निदेशक
7.	श्री सुरेश ठाकुर	निदेशक
8.	श्री संजीव अरोड़ा	निदेशक
9.	श्री एस.पी.एस.विर्क	निदेशक

3.2 असाधारण सामान्य बैटक

भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन करने पर विचार करने हेतु दिनांक 21.12.2013 को असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि रू. 10/— मूल्य के 2,12,63,023 इक्विटी शेयरों को अधिमान आधार पर रू. 47.03/—(रू. 37.03 के प्रीमियम सिहत) पर भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति को ज़ारी एवं आबंटित किए जाएं।

4. निदेशकों की समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार—विमर्श के साथ—साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य—निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर जोर दिया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नानुसार हैं:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. N.Rajendran- Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	13
Sh Suresh Thakur -Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	13
Sh Sanjiv Kumar Arora -Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	16
Sh. S.P.S. Virk-Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	16
Sh. Sanjay Verma -Non Official Director	12.08.2013 to 31.03.2014	9	7
Smt. Anita Karnavar- Non-Official Director	30.01.2014 to 31.03.2014	1	1

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www. psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. General Meeting

3.1. Annual General Meeting:

The Third Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Wednesday, 26th June, 2013 at New Delhi, where the following Directors were present:

1.	Sh. D.P. Singh	Ex.Chairman and Managing Director
2.	Sh. Rajat Sachar	Director
3.	Sh. Mahesh Kumar Gupta	Director
4.	Sh. Karanpal Singh Sekhon	Director
5.	Sh. Sukhen Pal Babuta	Director
6.	Sh. N Rajendran	Director
7.	Sh. Suresh Thakur	Director
8.	Sh. Sanjiv Arora	Director
9.	Sh. S.P.S.Virk	Director

3.2. Extra Ordinary General Meeting:

Extra Ordinary General Meeting of the Bank was held on 21.12.2013 to consider the allotment of preferential issue of equity shares to The President of India acting through the Government of India [GOI] and it was resolved to issue and allot 2,12,63,023 equity shares of Rs.10/- each to The President of India acting through the Government of India [GOI] on preferential basis at a price of Rs.47.03 (including premium of Rs.37.03).

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
9.	नामांकन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
11.	कार्यपालकों के प्रोमोशन पर निदेशकों की समिति
12.	अपील / समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	मानव संसाधन विकास समिति
14.	वसूली निगरानी समिति
15.	समवर्ती लेखा परीक्षा समिति
16.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति— सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वोटिंग

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथासंशोधित) के खंड— 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले जैसे अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता / बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (कों)और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपकमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई) (एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है :

क.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक
4.	श्री प्रदीप्त के जेना— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक
5.	श्री महेश कुमार गुप्ता– गैर–आधिकारिक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेणी)
6.	श्री सुखेन पाल बबूता— गैर—आधिकारिक निदेशक
7.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा– गैर–आधिकारिक निदेशक
8.	श्री सुरेश ठाकुर– गैर–आधिकारिक निदेशक
9.	श्री संजय वर्मा— गैर—आधिकारिक निदेशक

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Shareholders' / Investors' Grievance Committee
9.	Nomination Committee
10.	I T Strategy Committee
11.	Committee of Directors on Executives' Promotions
12.	Committee of Directors on Appellate / Reviewing Authority
13.	HR Committee
14.	Committee for Monitoring of Recovery
15.	Concurrent Audit Committee
16.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director , Executive Director (s)and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the committee as on 31st March 2014 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2.	Sh K.K. Sansi – Executive Director
3.	Sh. M.K.Jain – Executive Director
4.	Sh Pradipta.K. Jena – RBI Nomiinee Director
5.	Sh Mahesh Kumar Gupta –Non-Official Director (CA Category)
6.	Sh Sukhen Pal Babuta – Non-Official Director
7.	Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non-official Director
8.	Sh. Suresh Thakur– Non-Official Director
9.	Sh. Sanjay Verma– Non-Official Director

β पंजाब एण्ड सिंध बैंक

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 21 बैठकों का आयोजन किया गया :

06.04.2013	21.05.2013	26.06.2013	26.07.2013	19.08.2013
23.08.2013	07.09.2013	17.092013	25.09.2013	05.10.2013
26.10.2013	11.11.2013	07.12.2013	21.12.2013	02.01.2014
11.01.2014	28.01.2014	26.02.2014	12.03.2014	22.03.2014
29.03.2014				

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह—भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	17	16
श्री जतिंदरबीर सिंह-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	4	4
श्री पी.के.आनंद–भू.पू.–कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	2	2
श्री के.के.साँसी–कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	17	17
श्री एम.के.जैन–कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	17	17
श्री बी.पी.कानूनगो—भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 30.05.2013	2	1
श्री पी.के.जेना—भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	19	12
श्री महेश कुमार गुप्ता—गैर- अधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	21	20
2 ->	14.06.2013 से 13.12.2013	11	11
श्री सुखेन पाल बबूता—गैर- अधिकारिक निदेशक	01.01.2014 से 31.03.2014	7	6
	01.04.2013 से 13.06.2013	2	2
श्री संजीव कुमार अरोड़ा–गैर- अधिकारिक निदेशक	01.07.2013 से 31.12.2013	11	11
	15.01.2014 से 31.03.2014	5	5
श्री करनपाल सिंह सेखों-गैर- अधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	3	3
श्री संजय वर्मा—गैर- अधिकारिक निदेशक	14.12.2013 से 31.03.2014	8	6
श्री सुरेश ठाकुर—गैर- अधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 14.07.2013	3	3
जा पुरस जायुर—गर- जावपमास्य गिपसाय	11.01.2014 से 31.03.2014	5	5
श्री एस.पी.एस.विर्क-कामगार निदेशक	15.07.2013 से 14.01.2014	13	13

4.2 बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर—कार्यकारी निदेशक जो कि सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं। 31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना इस प्रकार है:



During the Financial Year 2013-14, the Management Committee of the Board met on 21 occasions on the following dates:

06.04.2013	21.05.2013	26.06.2013	26.07.2013	19.08.2013
23.08.2013	07.09.2013	17.09.2013	25.09.2013	05.10.2013
26.10.2013	11.11.2013	07.12.2013	21.12.2013	02.01.2014
11.01.2014	28.01.2014	26.02.2014	12.03.2014	22.03.2014
29.03.2014				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh D.P. Singh – Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	17	16
Sh. Jatinderbir Singh- CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	4	4
Sh P.K. Anand – Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	2	2
Sh. K.K.Sansi– ED	05.08.2013 to 31.03.2014	17	17
Sh. M.K.Jain– ED	05.08.2013 to 31.03.2014	17	17
Sh B.P. Kanungo-RBI Nominee	01.04.2013 to 30.05.2013	2	1
Sh. P K Jena-RBI Nominee	31.05.2013 to 31.03.2014	19	12
S. Mahesh Kumar Gupta – Non official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	21	20
Sh. Sukhen Pal Babuta–Non official Director	14.06.2013 to 13.12.2013	11	11
	01.01.2014 to 31.03.2014	7	6
	01.04.2013 to 13.06.2013	2	2
Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non official Director	01.07.2013 to 31.12.2013	11	11
	15.01.2014 to 31.03.2014	5	5
Sh. Karanpal Singh Sekhon– Non official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	3	3
Sh. Sanjay Verma– Non official Director	14.12.2013 to 31.03.2014	8	6
Ch Courst Theless New official Division	01.04.2013 to 14.07.2013	3	3
Sh. Suresh Thakur– Non official Director	11.01.2014 to 31.03.2014	5	5
Sh. S.P.S.Virk-Workmen Employee Director	15.07.2013 to 14.01.2014	13	13

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- 1) श्री महेश कुमार गुप्ता सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष)
- 2) श्री के.के. साँसी कार्यकारी निदेशक
- 3) श्री एम.के.जैन कार्यकारी निदेशक
- 4) श्री एस.सी.दास वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
- 5) श्री पी.के.जेना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
- 6) श्री संजीव कुमार अरोड़ा गैर–आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान निम्नांकित तिथियों को लेखा—परीक्षा समिति ने 08 मौकों पर मिलकर बैठकों का आयोजन कियाः

17.04.2013	01.05.2013	27.07.2013	03.09.2013	11.11.2013	07.12.2013	28.01.2014	26.02.2014

समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
1.	श्री सुखेन पाल बबूता स.लेखा. दिनांक 20.12.2013 तक अध्यक्ष	01.04.2013 से 20.12.2013	6	6
2.	श्री पी.के.आनंद—भू.पू.—कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	2	2
3.	श्री के.के.साँसी–कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	5	5
4.	श्री एम.के.जैन—कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	5	5
5.	श्री एस.सी.दास–वित्त–मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	4	3
6.	श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	4	4
7.	श्री बी.पी.कानूनगो—भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 30.05.2013	2	0
8.	श्री पी.के.जेना—भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	6	4
9.	श्री महेश कुमार गुप्ता —गैर- अधिकारिक निदेशक (दिनांक 21.12.2013 से अध्यक्ष)	05.03.2013 से 31.03.2014	8	6
10.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा–गैर- अधिकारिक निदेशक	21.12.2013 से 31.03.2014	2	2

अन्य बातों के साथ—साथ लेखा—परीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति इसे बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

लेखा—परीक्षा समिति दिशा—निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा—परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा—परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक व बाह्य लेखा—परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित हैं।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा—परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा—परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार—विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।



1	Sh Mahesh Kumar Gupta - CA Director (Chairperson)
2	Sh K.K. Sansi – Executive Director
3	Sh M.K.Jain – Executive Director
4	Sh S C Das – MOF Nominee Director
5	Sh P. K.Jena – RBI Nominee Director
6	Sh Sanjiv Kumar Arora – Non Official Director

During the Financial Year 2013-14, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 08 occasions on the dates given below:

17.04.2013	01.05.2013	27.07.2013	03.09.2013	11.11.2013	07.12.2013
28.01.2014	26.02.2014				

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1.	Sh Sukhen Pal Babuta CA Chairperson upto 20.12.2013	01.04.2013 to 20.12.2013	6	6
2.	Sh P.K. Anand - Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	2	2
3.	Sh. K K Sansi - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	5	5
4.	Sh. M K Jain - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	5	5
5.	Sh. S C DAS-MoF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	4	3
6.	Sh Rajat Sachar – MoF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	4	4
7.	Sh B.P. Kanungo - RBI Nominee Director	01.04.2013 to 30.05.2013	2	0
8.	Sh P.K.Jena- RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	6	4
9.	Sh Mahesh Kumar Gupta (Chairperson w.e.f. 21.12.2013)– Non official Director	05.03.2013 to 31.03.2014	8	6
10.	Sh.Sanjiv Kumar Arora- Non official Director	21.12.2013 to 31.03.2014	2	2

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

सांविधिक लेखा—परीक्षा के संदर्भ में लेखा—परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केंद्रीय सांविधिक लेखा—परीक्षकों के साथ विचार—विमर्श करती है। यह समिति लाँग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर.) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 14 जनवरी, 2004 के पत्र सं. आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04. 01ए/2003—4 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं जैसे धोखाधड़ी पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उनकी सूचना प्रदान करने और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई आदि के बारे में विलंब से सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उपसमिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रूपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का ही कार्य करेगी। बोर्ड की लेखा- परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ—साथ 1 करोड़ रूपए और उसके ऊपर की राशि की घोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलत है ताकिः

- क. धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सके।
- ख. धोखाधड़ी के बारे में पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।
- ग. सीबीआई / पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- घ. सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- ड. धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना एवं
- च. धोखाधडी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतू यथावश्यक अन्य उपायों को करना।
- छ. निदेशक मंडल के पांच सदस्यों की गठित विशेष समिति में; (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख)

एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित को शामिल नहीं करते हुए, 2 अन्य सदस्यों का समावेश है।

- 31 मार्च, 2014 को समिति की सरंचना निम्नानुसार है :
- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एस.सी.दास वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
- 3) श्री सुखेन पाल बबूता गैर—आधिकारिक निदेशक
- 4) श्री महेश कुमार गुप्ता गैर—आधिकारिक निदेशक
- 5) श्री संजय वर्मा गैर-आधिकारिक निदेशक

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार है :

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013
------------	------------	------------

निदेशकों के उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह—भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	3	3
श्री जतिंदरबीर सिंह—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	0	0
श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	1
श्री एस.सी.दास—वित्त—मंत्रालय नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1



As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- (a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- (b) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- (c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- (d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- (e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls; and
- (f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The Special Committee is constituted with five members of the Board of Directors consists of: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- (i) Shri Jatinderbir Singh- CMD
- (ii) Shri S C Das MOF Director
- (iii) Shri Sukhen Pal Babuta- Non- Official Director
- (iv) Shri Mahesh Kumar Gupta- Non- Official Director
- (v) Shri Sanjay Verma- Non- Official Director

The Committee met three times during the Financial Year 2013-14 as per the details below:

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh-Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	3	3
Shri Jatinderbir Singh-CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri Rajat Sachar – M.O.F. Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	1
Shri S C Das – M.O.F. Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1

β पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री सुखेन पाल बबूता—गैर—आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री महेश कुमार गुप्ता—गैर—आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री करनपाल सिंह सेखों–गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	1	1
श्री संजय वर्मा–गैर–आधिकारिक निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1

अभी कुछ ही समय पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04. 001/2009—10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत् 1 करोड़ रूपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार एक स्वतंत्र नए विभाग 'धोखाधड़ी निगरानी विभाग' दिनांक 07.02.2013 से एक स्थान पर कार्य कर रहा है तािक किए प्रयासों में किसी प्रकार की ओवरलैपिंग या डुप्लीसिटी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर निगरानी की जाती थी अर्थात् रू. 1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि 1 करोड़ रू. से कम की राशि के मामलों की निगरानी प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नज़दीक से निगरानी, धोखाधड़ी के पुराने मामलों पर तुरंत कार्रवाई, प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार—बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाया किए जाने के साथ—साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

बोर्ड की विशेष समिति(एस.सी.बी.) के निर्देशों के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण विशेषकर जहाँ संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, एक समिति का गठन किया गया है। संपत्ति का मूल्यांकन, हक विलेख की वास्तविकता और बहुविध बंधीकरण ऐसे पहचाने गए भेद्य क्षेत्र हैं।

4.4 सतर्कता समितिः

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/विज/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

श्री जितंदरबीर सिंह– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक
श्री एस.सी.दास— वित्त—मंत्रालय निदेशक
श्री पी.कं.जेना— भा.रि.बेंक नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013-14 में समिति की निम्न तिथियों पर 4 बैठकें हुई:

			_
14.00.0040	40.00.0040	04.40.0040	28 01 2014
14.06.2013	19.08.2013	21.12.2013	28.01.2014

समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Sukhen Pal Babuta – Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3
Sh. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri Karanpal Singh Sekhon- Non-Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	1	1
Sh. Sanjay Verma – Non official Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases, effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds alongwith improvement in timely reporting of frauds to RBI.

In terms of the directions of Special Committee of Board (SCB), a Committee has also been formed in view of increasing trend of frauds particularly in those cases where property is kept as security. The identified vulnerable areas are valuation of property, genuineness of the title deeds and multiple mortgages.

4.4 Vigilance Committee

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been set up in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

- 1. Shri Jatinderbir Singh- CMD
 2. Shri K.K. Sansi Executive Director
 3. Shri M.K. Jain Executive Director
 4. Shri S.C.Das- M.O.F. Nominee Director
 5. Shri P.K.Jena RBI Nominee Director
- The Committee met on the following dates during the FY 2013-14

14.06.2013	19.08.2013	21.12.2013	28.01.2014
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh –Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri Jatinderbir Singh-CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2013 से 31.03.2014	0	0
श्री पी.के.आनंद— भू.पू.—कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 社 31.03.2014	3	3
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री रजत सच्चर- वित्त-मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	2
श्री एस.सी.दास— वित्त—मंत्रालय नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री पी.के.जेना– भा.रि.बैंक नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	4	2

4.5 जोखिम प्रबंधन समितिः

बैंक ने समस्त जोख़िमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोख़िम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति मुख्य तीन जो़खिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोख़िम एवं परिचालन जोख़िम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश ज़ारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एम.के.जैन कार्यकारी निदेशक
- 3) श्री के.के. साँसी कार्यकारी निदेशक
- 4) श्री संजीव कुमार अरोड़ा- गैर-आधिकारिक निदेशक
- 5) श्री एन.राजेन्द्रन- गैर-आधिकारिक निदेशक
- 6) श्री संजय वर्मा गैर-आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बैठकें हुई :

	14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013	16.01.2014]
--	------------	------------	------------	------------	---

समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4
श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	0	0
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री पी.के.आनंद–भू.पू.–कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री संजीव कुमार अरोड़ा– गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	4	4



Shri P.K. Anand- Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri K.K.Sansi– ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri M.K.Jain- ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri Rajat Sachar– MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	2
Shri S.C.Das- MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri P.K.Jena- RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	4	2

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

1.	Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2.	Shri M.K.Jain – Executive Director
3.	Shri K.K.Sansi – Executive Director
4.	Shri Sanjiv Kumar Arora – Non-Official Director
5.	Shri N. Rajendran – Non Official Director
6.	Shri Sanjay Verma – Non Official Director

The Committee met on the following dates during the FY - 2013-14

|--|

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh-Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri Jatinderbir Singh-CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri K.K.Sansi-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri M.K.Jain-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri P.K. Anand-Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri Sanjiv Kumar Arora– Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	4	4
Shri N Rajendran- Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	4	4

β पंजाब एण्ड सिंध बैंक

श्री एन राजेन्द्रन – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	4	4
श्री संजय वर्मा— गैर—आधिकारिक निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री करनपाल सिंह सेखों– गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	1	1

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढाँचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढ़ाचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक के हितों की सुरक्षा की देख—भाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समितिः

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समितिः

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2014 को समिति के निम्न सदस्य हैं।

श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक
श्री एस.पी.एस.विर्क— कामगार निदेशक
श्री सुरेश ठाकुर– गैर–आधिकारिक निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है:

- 1. यह सिमिति ग्राहक सेवा पर शीर्षस्थ सिमिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजिनक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा—परीक्षा कार्य—निष्पादन संबंधी स्थायी सिमिति के कार्यों की देख—रेख करना तथा लोक सेवाओं की प्रकिया एवं निष्पादन की संपरीक्षा की सिमिति (सीपीपीएपीएस) की सिफारिशों के अनुपालन को सुिनिश्चित करना।
- 2. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अविध के बीत जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई किमयों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।
 वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

27 07 2013	11 11 2013
21.01.2013	11.11.2013

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	2	2
श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 社 31.03.2014	0	0
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	1	1



Shri Sanjay Verma – Non Official Director	11.11.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri Karanpal Singh Sekhon- Non Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	1	1

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committee:

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2014:

1.	Shri. Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director
2.	Shri K.K. Sansi – Executive Director
3.	Shri M.K.Jain – Executive Director
4.	Shri S.P.S. Virk – Workmen Director
5.	Shri Suresh Thakur- Non-Official Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele.

During the Financial Year 2013-14, the Committee met on the following dates:

27.7.2013	11.11.2013
-----------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh - Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	2	2
Shri Jatinderbir Singh - CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri K.K. Sansi - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	1	1

β पंजाब एण्ड सिंध बैंक

श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री पी.के.आनंद- भू.पूकार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री एस.पी.एस.विर्क— कामगार कर्मचारी निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री सुरेश ठाकुर – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	2	1

(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समितिः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उप समिति के अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसमें बैंक के 2 महाप्रबंधक एवं समाज के 3 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। बैठक की अध्यक्षता, बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के मुख्य कार्य हैं-

- 1. बैंक द्वारा ग्राहक केंद्रित उपायों पर विचार करना।
- 2. आंचलिक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, उस को बोर्ड की ग्राहक समिति के समक्ष आवश्यक नीति / प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करना जिससे हो रहे परिवर्तनों की सुविधा दी जा सके।

4.7 पारिश्रमिक समितिः

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2007 संख्या एफ नं.20 / 1 / 2005—बीओ. I द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्य—निष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा—निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्य—निष्पादन के मूल्यांकन एवं देय / अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31.03.2014 को वर्तमान समिति की संरचना इस प्रकार है:

श्री एस.सी.दास— वित्त मंत्रालय द्वारा नामित
श्री पी.के.जेना— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री सुखेन पाल बबूता — गैर—अधिकारिक निदेशक
श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक

4.8 रोयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

बैंक ने शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री सुखेन पाल बबूता, गैर आधिकारिक निदेशक —अध्यक्ष
2.	श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक —सदस्य
3.	श्री एम.के.जैन, कार्यकारी निदेशक — सदस्य
4.	श्री एन राजेन्द्रन – गैर आधिकारिक निदेशक – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2013-14 में समिति की निम्नलिखित तिथियों को बैठकें हुई :

01.05.2013	27.07.2013	11.11.2013	28.01.2014
------------	------------	------------	------------

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:



Shri M.K. Jain - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri P.K. Anand - Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri S.P.S. Virk – Workmen Employee Director	01.04.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri Suresh Thakur- Non-Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	2	1

(b) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service having two General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

Main functions of the committee are:

- (i) To take stock of the customer centric measures taken by the Bank.
- (ii) To get feedback from the Zonal Offices and put up the same on customer service committee of the Board for necessary Policy / Procedural action facilitate change on an ongoing basis.

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

The composition of the present Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- 1. Shri.S. C. Das, MOF Nominee Director
- 2. Shri P.K. Jena, RBI Nominee Director
- 3. Shri Sukhen Pal Babuta, Non-Official Director
- 4. Shri Sanjay Verma, Non-Official Director

4.8 Shareholders' / Investors' Grievances Committee:

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted to redress shareholders and investors complaints, if any.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

- 1. Shri Sukhen Pal Babuta, Non Official Director Chairman
- 2. Shri Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director Member
- 3. Shri M.K.Jain, Executive Director Member
- 4. Shri N Rajendran, Non Official Director-Member

The Committee met on the following dates during the FY - 2013-14

01.05.2013	27.07.2013	11.11.2013	28.01.2014
01.03.2013	27.07.2013	11.11.2013	20.01.2014

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

β पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री सुखेन पाल बबूता — अध्यक्ष	01.04.2013 से 31.03.2014	4	4
श्री पी.के.आनंद— भू.पू.—कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	1	1
श्री डी.पी सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4
श्री एम.के.जैन—कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री एन राजेन्द्रन	01.04.2013 से 31.03.2014	4	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार से है:

01.04.2013 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2014 को लंबित
शून्य	25	24	01

वर्ष 2013—14 के अंत में, दिनांक 31.03.2014 को लाभांश से संबंधित एक मामला सेबी के स्कोर पोर्टल पर लंबित था तथा बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ऑन—लाईन प्रेशित किए जाने के आधार पर इसे सेबी द्वारा दिनांक 03.04.2014 बंद कर दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध समझौते के खंड 47 (ए) के तहत कंपनी सचिव को बैंक के 'अनुपालन अधिकारी' के रूप में पदस्थ किया गया है।

4.9 मानव संसाधन विकास समिति

विभिन्न संघों एवं संस्थाओं के साथ पारस्परिक अंतर्किया तथा प्रगतिशील मानव संसाधन योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए दिनांक 05.05.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 19841 द्वारा मानव संसाधन विकास समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा अन्य सदस्यों में कोई एक बैठक के लिए कोरम है। बैठक तिमाही में कम से कम एक बार तथा जब भी आवश्यकता हो, आयोजित की जाती है।

- 31 मार्च, 2014 के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:
- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह–आईएएस–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एम.के.जैन-कार्यकारी निदेशक-सदस्य
- 3) श्री के.के.साँसी-कार्यकारी निदेशक-सदस्य
- 4) श्री एस.सी.दास, वित्त–मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक– सदस्य
- 5) श्री संजीव कुमार अरोड़ा– गैर आधिकारिक निदेशक– सदस्य

वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की बैठकें हुई:

14.06.2013

25.09.2013

21.12.2013

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.02.2014	3	3
श्री जतिंदरबीर सिंह-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 社 31.03.2014	0	0
श्री पी.के.आनंद–भू.पू.–कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2



Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Sukhen Pal Babuta - Chairperson	01.04.2013 to 31.03.2014	4	4
Shri P.K. Anand - Ex.Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	1	1
Shri D.P.Singh Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri M.K.Jain- Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri N Rajendran	01.04.2013 to 31.03.2014	4	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under

Pending as on 01.04.2013	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2014
NIL	25	24	01

One case pertaining to dividend, received on 31.03.2014 on SCORES portal of SEBI was outstanding at the end of the year 2013-14 and the same was closed by SEBI on 03.04.2014 on the basis of Action Taken Report submitted On-line by the Bank. Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.9 HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. CMD, ED and anyone among the other members is the quorum for meeting. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

- 1. Shri Jatinderbir Singh -IAS-Chairman & Managing Director
- 2. Shri M.K. Jain Executive Director Member
- 3. Shri K.K. Sansi Executive Director Member
- 4. Shri S C Das , MOF Nominee Director-Member
- 5. Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director- Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2013-14\

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013
17.00.2013	23.03.2013	21.12.2013

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh- Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	3	3
Shri Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri P.K. Anand - Ex.Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri M.K. Jain - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri K.K. Sansi - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2

β पंजाब एण्ड सिंध बैंक

श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	1
श्री एस.सी.दास—वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री संजीव कुमार अरोड़ा— गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3

4.10 नामांकन समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 80 की धारा 9(3) (प) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों। उक्त दिशा—निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया है।

4.11 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयासों में तीव्रता लाने तथा तकनीकी के अन्य लाभ उठाने के लिए दिनांक 31.03.2014 को बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक श्री एस.सी.दास— वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक श्री संजय वर्मा— गैर आधिकारिक निदेशक श्री एन राजेन्द्रन— गैर आधिकारिक निदेशक— समिति अध्यक्ष

वर्ष 2013—14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की बैठकें हुई: 14.06.2013 25.09.2013 21.12.2013

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री पी.के.आनंद–भू.पू.–कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	1
श्री एस.सी.दास—वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री एन राजेन्द्रन— गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री करनपाल सिंह सेखों– गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	1	1
श्री संजय वर्मा— गैर आधिकारिक निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1



Shri Rajat Sachar-MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	1
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3

4.10 Nomination Committee:

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" had been constituted.

4.11 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place as on 31.03.2014.

- 1. Shri K.K. Sansi Executive Director
- 2. Shri M.K. Jain Executive Director
- 3. Shri S.C.Das M.O.F. Nominee Director
- 4. Shri Sanjay Verma- Non Official Director
- 5. Shri N Rajendran Non Official Director-Chairman of the Committee

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2013-14

14.06.2013 25.09.2013 21.12.2013

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri P.K. Anand - Ex.Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri M.K. Jain - Executive Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri K.K. Sansi - Executive Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri Rajat Sachar-MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	1
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri N Rajendran-Non-Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri Karanpal Singh Sekhon - Non- Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	1	1
Shri Sanjay Verma – Non- Official Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1



4.12 कार्यपालकों की पदोन्नतियों पर बोर्ड की समितिः

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की सिमिति जिसमें कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की सिमिति का गठन किया गया है। महाप्रबंध कि के पद के साक्षात्कार के लिए दिनांक 19.04.2013 तथा 29.03.2014 को सिमिति की बैठकें हुईं।

31.03.2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एस.सी.दास- वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
- 3) श्री पी.के.जेना- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के अनुसार उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री जतिंदरबीर सिंह—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	1	1
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	1	1
श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	1	1
श्री एस.सी.दास—वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री बी.पी.कानूनगो— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 30.05.2014	1	1
श्री पी.के.जेना— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	1	1

4.13 समीक्षा/अपील प्राधिकरण हेतु बोर्ड की समिति :

उच्च प्रबंधन स्तर पर अनुशासन से संबंधित मामलों की अपील / समीक्षा करने के संबंध में अपील / समीक्षा प्राधिकारी हेतु बोर्ड की एक सिमिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2014 के अनुसार जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं:

1) श्री पी.के.जेना

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

2) श्री एस.सी.दास

- वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक

3) श्री महेश कुमार गुप्ता

गैर आधिकारिक निदेशक

4.14 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति :

भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 21.11.2012 के पत्र संख्या एफ.नं. 7/112/2012बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, बैंक की वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए निदेशकों की एक समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त—मंत्रालय के नामित निदेशक शामिल है, का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2014 के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है :

1) श्री जतिंदरबीर सिंह,

– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2) श्री एम.के.जैन

– कार्यकारी निदेशक

3) श्री के.के.साँसी

– कार्यकारी निदेशक

4) श्री एस.सी.दास

– वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक

वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की बैठकें हुई:

13 05 2013 13 06 2013

18 07 2013

17.09.2013

13.03.2014

4.12 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Executive Director (in the absence of CMD) and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee met on 19.04.2013 and 29.03.2014 for conducting interview for the post of General Managers.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

- Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
- 2. Shri S.C.Das -MOF Nominee Director
- 3. Shri P.K.Jena-RBI Nominee Director

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director	04.02.2014 to 31.03.2014	1	1
Shri. D.P.Singh-Ex - Chairman & Managing Director	01.04.2013 to 31.01.2014	1	1
Shri Rajat Sachar-MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	1	1
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1
Sh B.P. Kanungo –RBI Nominee Director	01.04.2014 to 30.05.2013	1	1
Sh. P.K.Jena- RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	1	1

4.13 Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority:

A committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority is constituted to consider appeal / review in respect of Disciplinary cases at senior Management level, with the following members as on 31.03.2014:

1. Sh. P.K.Jena - RBI Nominee Director

2. Sh. S.C.Das - MOF Nominee Director

3. Sh. Mahesh Kumar Gupta - Non-Official Director

4.14 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi,vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

- 1. Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
- 2. Shri M.K. Jain Executive Director
- 3. Shri K.K. Sansi Executive Director
- 4. Shri S.C.Das -MOF Nominee Director

The Committee met on following dates during the financial year 2013-14.

13.05.2013 13.06.2013 18.07.2013 17.09.2013 13.03.2014
--



समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के अनुसार उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4
श्री जतिंदरबीर सिंह—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	1	1
श्री पी.के.आनंद—भू.पू.—कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	1	1
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.03.2013 से 21.10.2013	4	4
श्री एस.सी.दास—वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	0

4.15 बोर्ड की समवर्ती लेखा परीक्षा समिति

दिनांक 31.03.2014 के अनुसार बोर्ड की समवर्ती लेखा परीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर आधिकारिक निदेशक

श्री सुखेन पाल बबूता – गैर आधिकारिक निदेशक

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों को बैठकें हुई : 26.07.2013 19.08.2013 30.08.2013 04.09.2013 11.09.2013

समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के अनुसार उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री संजीव कुमार अरोड़ा– गैर आधिकारिक निदेशक	14.06.2013 से 31.03.2014	5	5
श्री सुखेन पाल बबूता — गैर आधिकारिक निदेशक	14.06.2013 से 31.03.2014	5	4

4.16 शेयरधारक निर्देशकों की समिति का निर्वाचन- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वोटिंग

भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 03.04.2012 के पत्र की शर्तों के अनसार, बोर्ड के दिनांक 05. 05.2012 के प्रस्ताव संख्या 19840 के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के रूप में प्रतिनिधियों के निर्वाचन में सहायतार्थ बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया है:

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है :

श्री जतिंदरबीर सिंह,आई.ए.एस.— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	
श्री सुरेश ठाकुर— गैर—आधिकारिक निदेशक	
श्री सुरिंदर पाल सिंह विर्क— कामगार कर्मचारी निदेशक	



The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri. D.P.Singh Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director	04.02.2014 to 31.03.2014	1	1
Shri P.K. Anand - Ex. Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	1	1
Shri M.K. Jain - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri K.K. Sansi - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri Rajat Sachar – MOF Nominee Director	01.03.2013 to 21.10.2013	4	4
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	0

4.15 Concurrent Audit Committee of the Board

Concurrent Audit Committee of the Board comprising of the following members is in place as on 31.03.2014.

Shri Sanjiv Kumar Arora - Non-Official Director

Shri Sukhen Pal Babuta Non-Official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2013-14

26.07.2013

19.08.2013

30.08.2013

04.09.2013

11.09.2013

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Sanjiv Kumar Arora – Non-Official Director	14.06.2013 to 31.03.2014	5	5
Shri Sukhen Pal Babuta Non-Official Director	14.06.2013 to 31.03.2014	5	4

4.16. Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

1.	Shri Jatinderbir Singh- IAS- Chairman & Managing Director
2.	Shri M.K.Jain – Executive Director
3.	Shri K.K.Sansi – Executive Director
4.	Shri Suresh Thakur – Non-Official Director
5.	Shri Surinder Pal Singh Virk –Workmen Employee Director

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

4.17 शेयर अंतरण समिति :

पांच अधिकारियों की एक सिमिति जिसमें एक मुख्य महाप्रबंधक, दो महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं एवं एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण / अंतरण / प्रेषण का अनुमोदन कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण सिमिति के कार्यवृत आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 2013—14 के दौरान शेयर अंतरण सिमिति की 27 बैठकें आयोजित की गईं। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण शेयरों के प्रस्तुतिकरण की दिनांक से एक महीने की अविध के भीतर हो जाए।

5. निदेशकों का पारिश्रमिकः

गैर—कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय—समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का ब्योरा निम्न प्रकार है:

क) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं बकाया का भ्गतान :

(राशि रू में)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रू.)
1.	श्री जतिंदरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2,84,117.85
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	10,67,048.38
3.	श्री के.के.साँसी	कार्यकारी निदेशक	10,12,322.57
4.	श्री डी.पी.सिंह	सेवानिवृत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	15,05,393.53
5.	श्री पी.के.आनंद	सेवानिवृत कार्यकारी निदेशक	2,86,961.2

वर्ष 2013—14 के दौरान गैर—कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है: (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):—

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रू.)
1.	श्री सुखेन पाल बबूता	3,30,000
2.	श्री महेश कुमार गुप्ता	2,95,000
3.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	3,25,000
4.	श्री के.पी.एस. सेखों	80,000
5.	श्री सुरेश ठाकुर	1,70,000
6.	श्री एन. राजेन्द्रन	1,80,000
7.	श्री एस.पी.एस.विर्क	2,35,000
8.	श्री संजय वर्मा	1,20,000
9.	श्री अनीता कर्णावर	10,000
	कुल योग	17,45,000

4.17 Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of one CGM, two GMs, one AGM and the Company Secretary approved the demat/ transfer/transmission of shares at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meetings. 27 meetings of the Share Transfer Committee were held during 2013-14. The Bank ensures that all transfer of shares is affected within a period of one month from the date of their lodgment.

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2013-14:

(Amount in Rupees)

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri Jatinderbir Singh	Chairman & Managing Director	2,84,117.85
2	Shri M.K. Jain	Executive Director	10,67,048.38
3	Shri K.K. Sansi	Executive Director	10,12,322.57
4	Shri D.P. Singh	Ex. Chairman & Managing Director	15,05,393.53
5	Shri P.K. Anand	Ex.Executive Director	2,86,961.2

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2013-14 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government. of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh Sukhen Pal Babuta	3,30,000
2.	S. Mahesh Kumar Gupta	2,95,000
3	Sh Sanjiv Kumar Arora	3,25,000
4	Sh K P S Sekhon	80,000
5	Sh Suresh Thakur	1,70,000
6	Sh N. Rajendran	1,80,000
7	Sh S.P.S. Virk	2,35,000
8	Sh. Sanjay Verma	1,20,000
9	Smt. Anita Karnavar	10,000
	TOTAL	17,45,000

🐧 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

6. सामान्य सभा की बैठकें :

विगतु तीन वर्षों के दौरान अंशधारियों की सामान्य सभा की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रकृति	दिन व दिनांक	समय	स्थान
एजीएम	गुरुवार 16.06.2011	प्रातः 11:00 बजे	एयर फोर्स ऑडिटॉरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली— 110010
एजीएम	शनिवार 23.06.2012	प्रातः ९:०० बजे	एयर फोर्स ऑडिटॉरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली— 110010
एजीएम	बुधवार 26.06.2013	प्रातः ९:०० बजे	इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40—मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली— 110003
ईजीएम	मंगलवार 27.03.2012	प्रातः ९:०० बजे	एयर फोर्स ऑडिटॉरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली— 110010
ईजीएम	सोमवार 11.03.2013	प्रातः ९:०० बजे	एयर फोर्स ऑडिटॉरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली– 110010
ईजीएम	शनिवार 21.12.2013	प्रातः 9:00 बजे	इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40—मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली— 110003

७. पकटीकरण :

- (क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी से लेन-देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों के टकराव की संभावना बनती हो।
- (ख) सरकारी कारोबार के इतर शुल्क, कमीशन, गारंटियों पर कमीशन, साख-पत्र, विनिमय, दलाली, अतिदेय बिलों पर ब्याज, अग्रिम बिल तथा कर वापसियों पर कमाए ब्याज की गणना वास्तविक वसूली के आधार पर की जाती है।
- (ग) संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट के शेयरों पर लाभांश की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- (घ) बैंक पर विगत् तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा—निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- (ड.) वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' पूर्ण रूप से परिचालित है।
- (च) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2014 तक निदेशकों के मध्य किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है।

8. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं:-

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागु अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गैर—अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव, गैर—कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर करेंगे।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए कंपनी की विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी नीति तैयार करेगी।	लागू नहीं, जैसा की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य—निष्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति परिचालन में है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य—निष्पादन की छमाही घोषणा को शेयर धारकों को भेजना।	शेयरधारकों की सूचना हेतु अर्ध—वार्षिक / तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था और बैंक की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया गया था।
4.	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए।	बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने हेतु कई कदम उठाए है।

6. GENERAL BODY MEETINGS

Details of last three General Body Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Thursday16.06.2011	11.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110 010
AGM	Saturday 23.06.2012	9.00 a.m.	Air Force Auditorium Subroto Park, New Delhi-110 010
AGM	Wednesday 26.06.2013	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
EGM	Tuesday 27.03.2012	9.00 a.m.	Air Force Auditorium Subroto Park, New Delhi-110 010
EGM	Monday 11.03.2013	9.00 a.m.	Air Force Auditorium Subroto Park, New Delhi-110 010
EGM	Saturday 21.12.2013	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003

7. DISCLOSURES:

- a) There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b) Income by way of Fees, Commission other than on Government Business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage, Interest on overdue Bills, Advance Bills and Interest earned on Tax Refunds are accounted for on realization basis.
- c) Dividend on Shares in Joint Ventures and Associates is accounted on actual realization basis.
- d) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- e) As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.
- f) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2014.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No	Non-mandatory requirement	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	Not applicable, as Chairman & Managing Director and Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Half yearly/Quarterly financial results were published in leading newspapers and were also placed on the website of the Bank for the information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of unqualified financial statements.	The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

5.	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन करने और उसका सर्वोत्तम ढ़ंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यवसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ—साथ, कंपनी के व्यवसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के विषय में प्रशिक्षित करे।	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यवसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ—साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है।
6.	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर—कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और गैर—कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहना या अन्यथा निर्णय लेना।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के अनुरूप, एक नामांकन समिति का गठन किया गया है एवं चयनित / नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रोपर दिशा—िनर्देश लागू होते हैं।
7.	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी आदि के संदर्भ में प्रबंधन की चिंताओं के विषय में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (विसल ब्लोअर) नीति बनाए।	वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता कमीशन की पूर्व संकेत (विसल ब्लोअर) नीति पूर्णतया परिचालित है।

9. संप्रेषण के साधनः

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारियों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात्, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक के तिमाही / इयर टू इयर / वार्षिक परिणाम बैंक की बेबसाईट http://www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, फिरोज जीजाभाई टावर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई–400001 बीएसई कोड – 533295
- नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051 एनएसई कोडः पीएसबी—ईक्यू

एक्सचेंजो में सूचीबद्ध, सभी प्रतिभूतियों के संबंध में अब तक के वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

10.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरणः

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत् बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2014 को बैंक के पास 275284212 इक्विटी शेयर है जिनमें से 275281524 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	2688	0.0009
अभौतिक		
एनएसडीएल	42321308	15.3737
सीडीएसएल'	232960216	84.6254
		04.0204
कुल	275284212	100.0000

^{&#}x27; इसमें भारत सरकार द्वारा धारित 22,41,32,212 ईक्विटी शेयर शामिल हैं।

5.	Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board.
6.	The evaluation of performance of non- executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non- executive Directors.	A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the directors to be elected under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 shall be subject to determination of their fit & proper status.
7.	The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.

9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the NCT of Delhi where the Head Office of the Bank is situated.

The quarterly/year to year/Annual Financial results of the bank are posted on the Bank's website http://www.psbindia.com.

1. Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor,

Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

BSE CODE: 533295

2. National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex

Bandra,(East) Mumbai 400 051 NSE CODE : PSB-EQ

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

10.1 Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2014 the Bank has 275284212 Number of Equity Shares of which 275281524 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	2688	0.0009
Dematerialized NSDL CDSL *	42321308 232960216	15.3737 84.6254
Total	275284212	100.0000

^{*} includes 22,41,32,212 equity shares held by the Government of India.

🐧 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

10.2 इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं(ई.सी.एस.)

इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश / ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों , जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस. / ई.सी.एस. सुविधा उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

10.3 इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारणः

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों के अंतरण एवं अन्य संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करने हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति एवं शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठके आयोजित करती हैं और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर / बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / अनुरोध / शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकते हैं:

मैसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि.

(इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक)
44, कम्युनिटी सेंटर, द्वितीय तल,
नारायणा औद्यागिक क्षेत्र, फेज—I,
नजदीक पीवीआर नारायणा,
नई दिल्ली—110028
दूरभाषः (011) 41410592 से 0594
फैक्सः (011) 41410591
ई मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेत् निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली —110008 दूरभाषः (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्सः (011) 25781639

ई—मेलः complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई—मेल आई.डी. को निवेशकों की शिकायतों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खंड 47 (एफ) के अधीन नामित किया गया है।)

10.4 निलंब खाते में आबंटियों के अदावी शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्टः

क.सं.	विवरण	एनएसडीएल इन 301330—21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के प्रारंभ में पीएसबी में अदावी संदिग्ध खातों में पड़े शेयरों की संख्या	1272	1230

10.2 Electronic Clearing Services (ECS):

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

10.3 Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of shareholders'/ investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Link Intime India Pvt Ltd as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/s Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

44, Community Centre, IInd floor,

Naraina Indl. Area, Phase-I,

Near PVR Naraina,

New Delhi-110 028.

Phone: (011) 41410592 to 0594

Fax: (011) 41410591

E Mail: delhi@linkintime.co.in

The Bank has also established Shares Cell at Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi - 110008 wherein the shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office : Shares Cell, 21-Rajendra Place, 1st Floor,

New Delhi-110 008.

Telephone: (011) 25782926, 25728930, 25812922


Fax: (011) 25781639

E-mail: complianceofficer@psb.co.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)

10.4 Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c:

S. No	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1272	1230



2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयरधारकों की संख्या और शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया		
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी में अदावी संदिग्ध खातों में पड़े शेयरों की संख्या	1272*	1230*

^{*} प्रमाणित किया जाता है इन शेयरों का वोटिंग अधिकार तब तक निश्चल रखा जाएगा जब तक वास्तविक मालिक इन शेयरों का दावा नहीं करता।

११. कॉर्पेरिट गवर्नेस

बैंक ने उन पद्धितयों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंध । संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धितयां, बोर्ड एवं विरष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मी द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014	
खातों एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार—विमर्ष करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	10.05.2014
भारतीय रिज़र्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति	20.05.2014
चौथी सामान्य बैठक की तारीख,	30.06.2014 सोमवार
चौथी सामान्य बैठक का समय	9:00 बजे प्रातः
चौथी सामान्य बैठक का स्थान	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40—मैक्समूलर मार्ग,
	लोधी एस्टेट, नई दिल्ली— 110003
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	02.06.2014 से 04.06.2014
बहियों को बंद करने की तारीख	14.06.2014
रिकार्ड तारीख (अनंतिम लाभांश हेतु पात्रता)	13.06.2014
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	25.06.2014 सांय 05:00 बजे तक
लाभांश हेतु वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	07.07.2014 से 08.07.2014
लाभांश भुगतान की तारीख	11.07.2014

13. 31 मार्च, 2014 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	224132212	81.42
2.	म्यूच्युअल फंड / यूटीआई	0	00	0.00
3.	वित्तीय संस्थाएं / बैंक	22	12824131	4.65
4.	बीमा कंपनियां	0	0	0

2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c		-
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1272*	1230*

Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

12. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2013 to 31st March, 2014

Board Meeting for considering of Accounts and recommendation of dividend.	10.05.2014
Submission of audited statement of accounts to RBI.	20.05.2014
Date of Fourth Annual General Meeting. Time of Fourth Annual General Meeting Venue of Fourth Annual General Meeting	30.06.2014 Monday 9 A.M. India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
Posting of Annual Report	02.06.2014 to 04.06.2014
Book Closure dates	14.06.2014 to 30.06.2014
Record date (for entitlement of final dividend)	13.06.2014
Last Date for receipt of Proxy Forms	25.06.2014 upto 5 pm
Probable date of dispatch of warrants for Dividend	07.07.2014 - 08.07.2014
Payment date – Dividend	11.07.2014

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2014

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	224132212	81.42
2.	Mutual Funds/UTI	0	00	0.00
3.	Financial Institutions / Banks	22	12824131	4.65
4.	Insurance Companies	0	0	0

5.	विदेशी संस्थागत निवेशक	15	7921591	2.88
6.	कॉर्पोरेट निकाय	872	4576428	1.66
7.	वैयक्तिक निवासी	159790	24250948	8.81
8.	अनिवासी भारतीय	1286	992437	0.36
9.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	0	0	0
10.	न्यास	13	293986	0.11
11.	समाशोधन सदस्य	195	292479	0.11
	कुल	162194	275284212	100.00

13.1 भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, को इक्विटी शेयरों का अधिमान आधार पर आबंटन :

दिनांक 21.12.2013 को बैंक के शेयरधारकों की ई.जी.एम. में विशेष संकल्प के अनुमोदन अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, को 10 / —रू. अंकित मूल्य के 2,12,63,023 ईक्विटी शेयरों को दिनांक 24.12.2013 को अधिमान आधार पर 37.03रू. पर आबंटित किया गया जो कि कुल 99,99,99,971.69रू. राशि के थे।

14. 31 मार्च, 2014 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	राशि (अंकित मूल्य)	राशि का प्रतिशत
1 — 2500	148075	91.29	9281338	92813380	3.37
2501 — 5000	7514	4.63	2848093	28480930	1.04
5001 — 10000	3628	2.24	2784032	27840320	1.01
10001 — 20000	1647	1.02	2364549	23645490	0.86
20001 — 30000	446	0.28	1127631	11276310	0.41
30001 — 40000	197	0.12	703059	7030590	0.25
40001 — 50000	154	0.09	724395	7243950	0.26
50001 — 100000	295	0.18	2138010	21380100	0.78
100001 और उससे अधिक	238	0.15	253313105	2533131050	92.02
कुल योग	162194	100.00	275284212	2752842120	100.00

15. 31 मार्च, 2014 को रोयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	%(शेयरों की संख्या)
1.	अंडेमान एंड निकोबार	4	333	0.00012
2.	आंध्र प्रदेश	6547	1648588	0.59887
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	550	0.00020
4.	असम	706	117948	0.04285
5.	बिहार	1547	266972	0.09698
6.	चंडीगढ़	1108	289205	0.10506
7.	छ त्तीसगढ़	770	119975	0.04358
8.	दादरा एंवं नगर हवेली	24	1831	0.00067



5.	Foreign Institutional Investors	15	<i>7</i> 921591	2.88
6.	Bodies Corporate	872	4576428	1.66
7.	Resident Individuals	159790	24250948	8.81
8.	Non Resident Indians	1286	992437	0.36
9.	Overseas Corporate Bodies	0	0	0
10.	Trusts	13	293986	0.11
11.	Clearing Members	195	292479	0.11
	Total	162194	275284212	100.00

13.1. Allotment of Equity Shares to The President of India acting through the Government of India [GOI] on Preferential basis.

As approved by Special Resolution in the EGM of shareholders of the Bank, held on 21.12.2013, 2,12,63,023 equity shares of Rs. 10/- each for cash at a premium of Rs. 37.03 per share aggregating to Rs. 99,99,99,971.69 were issued to GOI on preferential allotment basis on 24.12.2013.

14. Distribution of Shareholders - Category-wise as on 31st March 2014

Category	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	Amount(Face Value)	% of Amount
1 – 2500	148075	91.29	9281338	92813380	3.37
2501 - 5000	7514	4.63	2848093	28480930	1.04
5001 - 10000	3628	2.24	2784032	27840320	1.01
10001 - 20000	1647	1.02	2364549	23645490	0.86
20001 - 30000	446	0.28	1127631	11276310	0.41
30001 - 40000	197	0.12	703059	7030590	0.25
40001 - 50000	154	0.09	724395	7243950	0.26
50001 - 100000	295	0.18	2138010	21380100	0.78
100001 & Above	238	0.15	253313105	2533131050	92.02
TOTAL	162194	100.00	275284212	2752842120	100.00

15. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2014

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	andaman & nicobar	4	333	0.00012
2.	ANDHRA PRADESH	6547	1648588	0.59887
3.	ARUNACHAL PRADESH	2	550	0.00020
4.	ASSAM	706	117948	0.04285
5.	BIHAR	154 <i>7</i>	266972	0.09698
6.	CHANDIGARH	1108	289205	0.10506
7.	CHATTISGARH	770	119975	0.04358
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	24	1831	0.00067

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

9.	दमन और दीव	8	1735	0.00063
10.	दिल्ली	15245	229002219	83.18756
11.	गोआ	197	26803	0.00974
12.	गुजरात	31979	3827410	1.39035
13.	हरियाणा	5238	835110	0.30336
14.	हिमाचल प्रदेश	300	50548	0.01836
15.	जम्मू और कश्मीर	254	57341	0.02083
16.	झारखंड	1436	180277	0.06549
17.	कर्नाटक	7203	1503306	0.54609
18.	के रल	1663	413902	0.15035
19.	मध्य प्रदेश	4269	799156	0.29030
20.	महाराष्ट्र	33481	26618498	9.66946
21.	मणिपुर	9	1099	0.00040
22.	मेघालय	31	3192	0.00116
23.	नागालैंड	21	7830	0.00284
24.	उड़ीसा	983	171998	0.06248
25.	पांडिचेरी	110	20378	0.00740
26.	पंजाब	4990	1273528	0.46262
27.	राजस्थान	14213	1491478	0.54180
28.	सिक्किम	6	500	0.00018
29.	तमिलनाडु	7995	1588467	0.57703
30.	त्रिपुरा	19	4420	0.00161
31.	उत्तर प्रदेश	8101	1447398	0.52578
32.	उत्तराखंड	937	192898	0.07007
33.	पश्चिम बंगाल	11498	2325797	0.84487
34.	एपीओ / अन्य	14	1085	0.00039
	कुल	16098	274291775	99.63949
35.	एन.आर.आई.	1286	992437	0.36051
	कुल योग	162194	275284212	100.00000

16. स्टॉक एक्सचेंनों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत (दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014)

	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिं. (बीएसई)		
माह	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम (रू.)	सौदों की मात्रा(संख्या)	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम (रू.)	सौदों की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2013	63.80	57.50	1314577	63.50	57.70	326657
मई, 2013	63.20	57.00	1422175	63.70	57.00	380577
जून, 2013	60.50	51.85	941001	60.50	52.00	287578

9.	DAMAN & DIU	8	1735	0.00063
10.	DELHI	15245	229002219	83.18756
11.	GOA	197	26803	0.00974
12.	GUJARAT	31979	3827410	1.39035
13.	HARAYANA	5238	835110	0.30336
14.	HIMACHAL PRADESH	300	50548	0.01836
15.	JUMMU & KASHMIR	254	57341	0.02083
16.	JHARKHAND	1436	180277	0.06549
1 <i>7</i> .	KARNATAKA	7203	1503306	0.54609
18.	KERALA	1663	413902	0.15035
19.	MADHYA PRADESH	4269	799156	0.29030
20.	MAHARASHTRA	33481	26618498	9.66946
21.	MANIPUR	9	1099	0.00040
22.	MEGHALAYA	31	3192	0.00116
23.	NAGALAND	21	7830	0.00284
24.	ORISSA	983	171998	0.06248
25.	PONDICHERRY	110	20378	0.00740
26.	PUNJAB	4990	1273528	0.46262
27.	RAJASTHAN	14213	1491478	0.54180
28.	SIKKIM	6	500	0.00018
29.	TAMIL NADU	7995	1588467	0.57703
30.	TRIPURA	19	4420	0.00161
31.	UTTAR PRADESH	8101	1447398	0.52578
32.	UTTARAKHAND	937	192898	0.07007
33.	WEST BENGAL	11498	2325797	0.84487
34.	APO/ OTHERS	14	1085	0.00039
	Total	16098	274291775	99.63949
35.	NRI	1286	992437	0.36051
	GRAND TOTAL	162194	275284212	100.00000

16. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2013 to 31.03.2014)

	National Stock Exchange of India Limited (NSE)		Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)			
Month	Highest (Rs.)	Low	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2013	63.80	57.50	1314577	63.50	57.70	326657
MAY 2013	63.20	57.00	1422175	63.70	57.00	380577
JUN 2013	60.50	51.85	941001	60.50	52.00	287578

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

जुलाई, 2013	54.55	45.25	1107263	54.50	45.15	356002
अगस्त, 2013	48.80	36.65	1743556	48.70	36.75	528466
सितंबर, 2013	44.70	37.50	2675983	44.65	37.45	622730
अक्तूबर, 2013	44.75	39.25	1816286	44.80	39.45	494631
नवंबर, 2013	54.50	43.50	3038928	54.30	43.30	1002806
दिसंबर, 2013	47.50	42.95	1389964	47.90	43.00	473662
जनवरी, 2014	47.50	42.80	1817811	47.25	42.65	639818
फरवरी, 2014	44.95	40.50	758389	44.35	40.70	197703
मार्च, 2014	45.65	40.40	3043499	45.50	40.30	616852

कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वितीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविश्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में आश्वासन है।

कृते आर.एम.लाल एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

(आर.पी.तिवारी) पार्टनर एम.नं. 071448

एफआरएन : 000932सी

कृते बी.के.श्राफ एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

(एल.के.श्राफ) पार्टनर एम.नं. 060742

एफआरएन : 302166ई

दिनांक : 10मई, 2014 स्थान : नई दिल्ली कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

(राकेश अग्रवाल) पार्टनर एम.नं. 081808 एफआरएन :500028एन

कृते आर.कोठारी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

(राजेश कुमार) पार्टनर एम. नं. 090865 एफआरएन : 307069ई



JUL 2013	54.55	45.25	1107263	54.50	45.15	356002
AUG 2013	48.80	36.65	1743556	48.70	`36.75	528466
SEP 2013	44.70	37.50	2675983	44.65	37.45	622730
OCT 2013	44.75	39.25	1816286	44.80	39.45	494631
NOV 2013	54.50	43.50	3038928	54.30	43.30	1002806
DEC 2013	47.50	42.95	1389964	47.90	43.00	473662
JAN 2014	47.50	42.80	1817811	47.25	42.65	639818
FEB 2014	44.95	40.50	758389	44.35	40.70	197703
MAR 2014	45.65	40.40	3043499	45.50	40.30	616852

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2014, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For R. M. Lall & Co. Chartered Accountants For O. P. Tulsyan & Co. Chartered Accountants

(R. P. Tewari) Partner

M. No. 071448 FRN: 000932C

For B. K. Shroff & Co.

(L. K. Shroff) Partner

M. No. 060742 FRN: 302166E

Chartered Accountants

Dated: May 10, 2014 Place: New Delhi

(Rakesh Agarwal)

Partner

M. No. 081808 FRN: 500028N

For R. Kothari & Co. Chartered Accountants

(Rajesh Kumar)

Partner

M. No. 090865 FRN: 307069E



निदेशक मंडल, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, नई दिल्ली महोदय,

विषयः खंड 49 (I) (डी) के अंर्तगत घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 (I) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाईट पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जतिंदरबीर सिंह) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 10.05.2014

निदेशक मंडल, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, नई दिल्ली

महोदय.

विषयः वर्ष 2013-14 के लिए सी.ई.ओ. / सी.एफ.ओ. प्रमाण-पत्र।

सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

- क. हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संमीक्षा की है तथा हमारी अधि ाकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
 - (1.) इन विवरणियों में कोई विषयगत यथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
 - (2.) ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।,
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा सिमति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध किमयों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
 - (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - (2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स / टिप्पणियों में कर दिया गया है।
 - (3) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जतिंदरबीर सिंह) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 10.05.2014

नोटः यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद है।

The Board of Directors

Punjab & Sind Bank

New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration under Clause 49(I)(D) 2013-14

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2014 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi

Dated:10.05.2014

Jatinderbir Singh

Chairman & Managing Director

The Board of Directors

Punjab & Sind Bank

New Delhi

Dear Sirs,


Re: CEO/CFO Certification for the year 2013-14

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we hereby certify that:

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2014 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit committee:
 - (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi Dated:10.05.2014 Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director



बासल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1- अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	
नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गयी है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गयी है। (जैसे कोई जोख़िम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण सभी सहायक कंपनियों की पूँजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कम्पनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल) जो बीमा कम्पनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2- पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टियर 🛚 पूंजी हेत् नियम एवं शर्ते :

बैंक ने लोअर टियर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन—पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक / अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड को देशी दर—निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड सिवाय सिरीज़ 6 व सिरीज़ 7 के अंतर्गत जारी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:—

- बॉण्ड की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 109 माह से 127 माह के बीच होती है।
- यह प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण है, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने
 पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमित के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- यह प्रपत्र अपनी अविध के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रिमिक भुगतान के अधीन है। इस प्रकार किए
 गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टियर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।
- इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।
- गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टियर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टियर II पूंजी के अन्य संगठक
 टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।
 - बैंक ने ऐसी कोई भी अपर टियर II पूंजी तथा नवोन्मेश प्रपत्र जारी नहीं किए हैं, जोकि टियर I पूंजी में समावेश के योग्य हैं।

रू. / करोड

क) टियर 1 पूंजी की राशिए निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
प्रदत्त अंश पूंजी;	475.28
आरक्षितियाँ;	3705.24
न्वोन्मेषी प्रपत्र;	160.00
अन्य पूंजी प्रपत्र;	0.00
उप योग	4340.52

BASEL II DISCLOSURES - YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

Table DF 1 - SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds except issued under series VI & VII are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The bonds have a tenor ranging from 109 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of
 restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.
- Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.
 - The Bank has not issued any upper Tier II capital and innovative instruments that qualify for inclusion in Tier I capital.

(₹/ Crores)

(a)	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
	Paid-up share capital;	475.28
	Reserves;	3705.24
	Innovative instruments;	160.00
	Other capital instruments;	0.00
	SUB-TOTAL SUB-TOTAL	4340.52

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

		0.4005
	घटाएं:टियर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	0.1265
	कुल टियर I पूंजी	4340.40
ख)	टियर II पूंजी की कुल राशि ; टियर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	2141.62
ग)	उच्च टियर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
	कुल बकाया राशि	लागू नहीं
	इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
	पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
ਬ)	न्यून टियर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
	कुल बकाया राशि	1365.00
	इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	शून्य
	पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1215.00
ਫ)	पूंजी से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हैं तो	शून्य
च)	कुल पात्र पूंजी	6482.02

तालिका डी एफ 3 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोख़िम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय उच्च-कोटि की वैश्विक कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोख़िम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोख़िम भारित आस्तियों, बाजार जोख़िम तथा प्रचालन जोख़िम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक जोख़िम उठाने वाले (मालिकों), खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु अनावृत्त,कारोबार आदि के मूल्य में हानि की जोख़िम से सुरक्षा के रूप में पूंजी रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसका अनुश्रवण किया जाता है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विशय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर / संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा — बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :--

- ऋण जोख़िम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोख़िम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोख़िम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि- रू,/करोड़
9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4308.66
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	0.1265
TOTAL TIER I CAPITAL	4340.40
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	2141.62
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
Total amount outstanding.	NA
Of which amount raised during the current year	NA
Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
Total amount outstanding	1365.00
Of which amount raised during the current year.	NIL
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1215.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	6482.02

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank is presently implementing the above Approach, it has started its preparation for moving towards advance approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt ₹/ Crores
Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4308.66
Securitisation exposures	Nil

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोख़िम पर पूंजी प्रभार	राशि-रू./करोड़
ब्याज दर जोख़िम	107.15
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) :	0.77
इक्विटी जोख़िम	16.70

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	298.78

बैंक हेतु कुल तथा टियर । पूंजी अनुपातः

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.10%
बासल II के अनुसार टियर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.10:

तालिका डी एफ 4 – ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर—निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा—निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।
- ख) स्वीकृत सीमा में आहरण अधिकार के संबंध में यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक समय के लिए अनियमित बना रहता है, तथा/अथवा अधिविकर्ष / नकद ऋण ओ.डी. सी.सी. के संबंध में तुलन—पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- घ) अल्प अविध की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- ड) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा—निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन—देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

यहां 'अतिदेय राशि' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता है।

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर—निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा—िनर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्सरचित खाते (ख) अधिक चले समय के अंतः ग्रस्त कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्ति कर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारटीकृत अग्रिम (छ) बी.एफ.आई.आर. /टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्निमाण कंपनी को बेचना (ठ) गैर—िनष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय—विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन—पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt ₹/ Crores
Interest rate risk	107.15
Foreign exchange risk (including gold)	0.77
Equity risk	16.70

Capital requirements for operational risk:

	Amt ₹/ Crores
Basic indicator approach	298.78

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	12.10%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.10%

Table DF 4 - CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AN DIMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

- a) Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उददेश्य:

बैंक के ऋण जोख़िम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोख़िम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोख़िम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों को इक्विटी सिहत बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ—साथ बैंक का सतत एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम

बैंक की विस्तृत एवं स्परिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत योजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा / अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोखिम रूपरेखा पर अधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण-तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचाः

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जेखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि निदेशक मण्डल की एक उप-समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तृति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोशण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतू बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल / जोखिम प्रबंधन समिति / ऋण जोख़िम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोख़िम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोख़िम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष (ए.एल.एम.) तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण / ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन /अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक स्परिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल / समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण / निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग / मृल्यांकन बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा / ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन शुरूआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लाग किया है। भविष्य में बैंक अत्याध्निक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes
 of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of
 powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and
 when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework.
 Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.



जोखिम आंकलनः -

वर्तमान में ऋण जोख़िम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोख़िम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोख़िम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण ज़ोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि- रूपए / करोड़
1.	निधि-आधारित ऋण राशि	57857.74
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	3433.43

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि- रूपए / करोड़
1	विदेशी	
	निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	देशी	57857.74
	निधि आधारित ऋण जोखिम	
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	3433.43

ऋण जोखिम का उद्योग वार वितरण राशि

रूपए /- करोड़

क्र.स.	उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
1	खाद्यान एवं उत्खनन	837.53	107.98	945.51
2	खाद्य प्रसंस्करण	1176.84	26.43	1203.27
3	बेवरेज एवं तम्बाकू	484.77	18.04	502.81
4	कपड़ा उद्योग	1412.67	58.35	1471.02
5	चमड़ा–चमड़ाउत्पाद	136.02	3.46	139.48
6	काश्ठ एवं काश्ठ उत्पाद	93.19	3.19	96.38
7	कागज तथा कागज उत्पाद	102.27	1.29	103.56
8	पैट्रोल/ कोयला/ नाभकीय ईंधन	60.81	0.29	61.10
9	रसायन–रसायन उत्पादन	520.11	17.12	537.23
10	रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पादन	196.54	20.57	217.10
11	कांच एवं इसके बने उत्पादन	12.11	0.31	12.42
12	सीमेंट–सीमेंट उत्पादन	252.13	14.36	266.48
13	मूल धातु–धातु उत्पादन	2433.65	195.70	2629.35
14	समस्त इंजीनियरिंग	672.24	135.53	807.77
15	वाहन/ वाहन कलपूर्जे एवं टीपीटी औजार	300.00	127.40	427.40
16	रतन और आभूषण	67.88	225.43	293.30
17	निर्माण	828.69	329.55	1158.24
18	बुनियादी सुविधायें	18164.82	895.95	19060.78
19	अन्य उद्योग	185.62	29.78	215.40
20	अवशिष्ट	29919.88	1222.70	31142.58
	कुल योग	57857.74	3433.43	61291.17

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt ₹/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	57857.74
2	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt ₹/ Crores
1	Overseas Fund Based Credit Exposures	NIL
	Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic Fund Based Credit Exposures	57857.74
	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - ₹/ Crores

Industry	Fund Based	Non- Fund Based	Total
A.MINING & QUARRYING	837.53	107.98	945.51
B.FOOD PROCESSING	1176.84	26.43	1203.27
C.BEVERAGES & TOBACCO	484.77	18.04	502.81
D.TEXTILES	1412.67	58.35	1471.02
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	136.02	3.46	139.48
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	93.19	3.19	96.38
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	102.27	1.29	103.56
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	60.81	0.29	61.10
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	520.11	17.12	537.23
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	196.54	20.57	217.10
K.GLASS & GLASSWARE	12.11	0.31	12.42
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	252.13	14.36	266.48
M.BASIC METAL & METAL PROD.	2433.65	195.70	2629.35
N.ALL ENGINEERING	672.24	135.53	807.77
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	300.00	127.40	427.40
P.GEMS & JEWELLARY	67.88	225.43	293.30
Q.CONSTRUCTIONS	828.69	329.55	1158.24
R.INFRASTRUCTURE	18164.82	895.95	19060.78
S.OTHER INDUSTRIES	185.62	29.78	215.40
T.RESIDUARY	29919.88	1222.70	31142.58
Grand Total	57857.74	3433.43	61291.17



उल्लेखनीय प्रकटीकरण

उद्योग जहां कुल प्रकटीकरणए कुल आधारित निधि तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5% से अधिक है:

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण राशि− रू/करोड़
1.	बुनियादी सुविधायें	19060.78
2.	अवशिष्ट	31142.58

आस्तियों का अविभाष्ट सविदाग तपरिपक्वता विकार रूराशिदृ रू/करोड़

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एव	निवेश (बहीमूल्य)	विदेशी	मुद्रा	जमा राशियां	उधार
	अग्रिम		देयताएं	आस्तियां		
1 दिन	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18	0.00
2.7 दिन	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8.14 दिन	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15.28 दिन	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 दिनों से 3 माह	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
3 माह से अधिक से 6 माह तक	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
1 वर्ष से अधिक से 3 वषों तक	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
3 वर्षों से अधिक से वर्षों क	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
5 वर्षों से अधिक	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
कुल	57239.07	28294.11	306.51	578.98	84730.17	2305.04

एन.पी.ए.की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि-रू-/करोड़
1.	अवस्तरीय	1494.81
2.	संदिग्ध 1	672.15
3.	संदिग्ध 2	346.99
4.	संदिग्ध 3	13.33
5.	हानि	26.24

निवल एन.पी.ए राशि ─ रू/करोड़ निवल.पी.ए 1918.60

एन.पी.ए.अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	4.41:
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	3.35:

एन.पी.ए (सकल) में उतार.चढाव

राशि.रू. /करोड

अथशेश	1536.90
जमां	1619.61
कमी	602.99
इतिशेश	2553.52

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - ₹/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	19060.78
2	Residuary	31142.58

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - ₹/ Crores

Maturity Pattern (Time	Loans & Advances	Investments	Foreign C	Currency	Deposits	Borrowings
Buckets)		(Book Value)	Liabilities	Assets		
1 day	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18	0.00
2-7 days	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8-14 days	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15-28 days	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 days to 3 months	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
Over 3 months to 6 months	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
Over 6 months to 1 year	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
Over 1 year to 3 years	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
Over 3 years to 5 years	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
Over 5 years	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
TOTAL	57239.07	28294.11	306.51	578.98	84730.17	2305.04

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt ₹/ Crores
1	Substandard	1494.81
2	Doubtful 1	672.15
3	Doubtful 2	346.99
4	Doubtful 3	13.33
5	Loss	26.24

Net NPAs

Amt. - ₹/ Crores

Net NPAs	1918.60
----------	---------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	4.41%
2	Net NPAs to Net advances	3.35%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt ₹/ Crores
Opening Balance	1536.90
Additions	1619.61
Reductions	602.99
Closing Balance	2553.52

अथशेष	412.56
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	564.68
बट्टे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	358.57
इतिशेष	618.67

गैर निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि.रू./करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	59.04

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि-रू / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	33.45

निवेभाों पर मूल्य घास हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

	राशि-रू./करोड़
अथशेष	22.73
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9.55
बट्टे खातेडालना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	13.23
इतिशेष	19.05

तालिका डी.एफ. 5 – ऋण जोख़िम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

- 1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए किसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।
 - भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोख़िमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल—II के अंतर्गत सीआरएआर परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
- 3. बैंकिंग बिहयों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजिनक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की विलियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजिनक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
- 4. जहाँ प्रत्येक ऋण जोख़िम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोख़िम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
- 5. जोख़िम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोख़िम एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोख़िम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
- 6. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पाविध श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबिक अन्य आस्तियों के लिए दीर्घाविध श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घाविध श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
- 7. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोख़िम भार अभीष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर—श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोख़िम भार माना जाएगा, सिवाय ऐसे दावों में जहाँ जोख़िम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
- 8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष

Movement of Provisions for NPAs

	Amt ₹/ Crores
Opening Balance	412.56
Provisions made during the period	564.68
Write-off	250.57
Write-back of excess provisions	358.57
Closing Balance	618.67

Amount of Non-Performing Investments

	Amt ₹/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	59.04

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt ₹/ Crores
Provisions held for non-performing investments	33.45

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt ₹/ Crores
Opening Balance	22.73
Provisions made during the period	9.55
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	13.23
Closing Balance	19.05

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

- The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.
 - The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.
- 3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
- 4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
- 5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
- 6. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
- 7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

🕻 पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घाविधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घाविध ऋण जोख़िम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पाविध दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पाविध दावे के लिए जोख़िम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोख़िम भार लागू होगा। बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोख़िम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अविध वाली प्रतिभूतियों को प्रयोग किया जाता है तथा कम अविध वाली कॉरपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर—निर्धारित दीर्घाविध दावों हेतु जोख़िम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
- 9. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग—अलग जोख़िम भार अंकित किए गए हैं, वहां उच्चतर जोख़िम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोख़िम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोख़िम भार में से दूसरा उच्चतर जोख़िम भार लागू किया गया है।
- 10. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोख़िम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - उक्रण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोख़िम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोख़िम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्टट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - II) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर—निर्धारित मामलों के लिए लागू जोख़िम भार से अधिक या उसके बराबर जोख़िम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर—निर्धारित मामलों के लिए वही जोख़िम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ—साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार राशि राशि-रू./करोड

जोखिम भार श्रेणी	निर्धारित ऋण जोखिम	गैर निर्धारित ऋण जोखिम	ऋण जोखिम कम करने के बाद
			जोखिम भार
100% जोखिम भार संकम	32263.37	21754.30	10509.08
100% जोखिम भार	20142.59	14377.32	5765.27
100% जोखिम भार स`अधिक	6121.57	1539.32	4582.26
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	58527.53	37670.94	20856.61

तालिका डी.एफ. 6. -ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन के घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोख़िम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक पिरचालन के दौरान ऋण जोख़िमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। पिरपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोख़िम कम करने के उपायों की अनुमित दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासल—II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोख़िम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :--

सम्पार्श्विक संचालन

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पार्श्विकों निम्नलिखित हैं:-

- 8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counterparty attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
- 9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
- 10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, **e**xcept where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - ₹/ Crores

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation	Un-Rated Exposure	Rated Exposure
Below 100 % risk weight	32263.37	21754.30	10509.08
100 % risk weight	20142.59	14377.32	5765.27
More than 100 % risk weight	6121.57	1539.32	4582.26
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58527.53	37670.94	20856.61

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

- 1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:
 - Collateralised transactions
 - On-balance-sheet-netting
 - Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- 3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- शर्तों अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।

सम्पार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन—बैलेंस—शीट—नेटिंग केवल ऋण / अग्रिमों (ऋण जोख़िम के रूप में मान्य) और जमाओं (सम्पार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेश ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जॉच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

- 4. गारंटियाँ:— जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। पात्र गारंटरों / प्रति गारंटरों के वर्ग में सिम्मिलित हैं :
 - सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रलबैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी. एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम, ई सिम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिमयुक्त हैं।
 - II) अन्य संस्थाएं जिनको एए या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है।

बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल—II के नियमों के अनुसार, ऋण जोख़िमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोख़िम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा—निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोख़िम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत-2491.56 करोड़ रूपए

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरणः मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण / बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयाविध की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करने के लिए। पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन हेतु।
- 1.4 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.5 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।
- 1.6 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रोंमें आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।
- 2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन :पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

- i) Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii) Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii) Securities issued by Central and State Governments
- iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v) Life insurance policies
- vi) Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii) Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii) Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors include:

Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – ₹ 2491.56 crore

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH Qualitative Disclosures

Objective of Policy on Securitization of Assets

- 1. For Raising Resources
- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, IN CASE OF NEED, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank. To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.4 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.5 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.6 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.



बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है। मानक समूह आस्तियो का समनुदेशन. 78.69 करोड़ रूपए

तालिका डी.एफ. ८. ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार / ऋण देने तथी जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गितिधों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार / कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वितीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियों के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रपत्र हैं:

- परिसमाप्ति का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि- रू/- करोड़
ब्याज दर जोखिम	68.40
शेयर स्थिति जोखिम	20.96
विदेशी विनिमय जोखिम	0.77

तालिका डी.एफ. ९. परिचालनगत जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोख़िम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक—मण्डल वार्शिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोख़िम, हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ. आर. एम. सी) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा—परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण सम्पन्न करता है। 3 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा—परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीमिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय—समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोख़िम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धित का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धितयों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ—साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोख़िम (आई. आर. आर. बी. बी.) गुणात्मक प्रकटीकरण

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities

Assignment of Standard Pool Assets- ₹ 78.69 crores

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt ₹/ Crores
Interest rate risk;	68.40
Equity position risk;	20.96
Foreign exchange risk;	0.77

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on 'Operational Risk Management' and the 'Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management'. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting 'Loss Data'.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite 'Risk Based Internal Audit' (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond ₹ 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach' for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

β पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अविध अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्निम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय—क्षेत्र तथा जोखिम सूचना—तंत्र की प्रकृति/नीतियँ आदि डी.एफ.—8 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य—पद्धित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा—निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवदेनशीलता (पुर्नमूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन सिमित मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है तथा जोखिम अर्जन (ईएआर) की निगरानी करता है जो आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अविध अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही / मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अविध अंतर विश्लेषण भी करता है। ईिक्वटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आविधक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अविध की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अविध की संगणना प्रत्येक काल चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है तािक यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवकेपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) ज़ोखिम पर आय

एक साल अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	81.71 करोड़ रूपए
--	------------------

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतरः एम.वी.ई. – 6.81 प्रतिशत

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (EaR) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization /scope an nature of risk reporting/policies etc., are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	₹ 81.71 Crores
---	-----------------------

Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) - 6.81%



बासल-111 के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	
क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण	लागू नहीं
ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य द्ध जो जोखिम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 - पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च–कोटि की कार्य–प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II तथा बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II तथा बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोख़िम प्रबंधन की व्यापक सरंचना कार्यरत है। जोख़िम भारित आस्तियों, बाजार जोख़िम तथा प्रचालन जोख़िम में वृद्धि के आसार के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक सभी जोख़िम उठाने वालों (मालिकों), विशेषकर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु ऋण जोख़िम, कारोबार आदि के मूल्य में हानि होने के खतरे की गुंजाईश के लिए पूंजी रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर / संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बना यी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा — बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :--

- ऋण जोख़िम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोख़िम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

ऋण जोखिम हेत् पूंजीगत आवश्यकताएं:

	राशि-रु0/-करोड़
9 की दर से मानकीकृत दृश्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4310.88
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

BASEL- III DISCLOSURES - FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

Table DF 1 - SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	
(a) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - <u>CAPITAL ADEQUACY</u> Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositor's.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework –

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank is presently implementing the above Approach, it has started its preparation for moving towards advance approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt ₹/Crores
Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4310.88
Securitisation exposures	Nil

हि पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बाजार जोखिम हेत् पूंजीगत आवश्यकताएं –मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोख़िम पर पूंजी प्रभार	राशि रु०.करोड़
ब्याज दर जोख़िम	175.54
विदेशी विनिमय जोख़िम (सोने सहित)	0.77
इक्विटी जोख़िम	37.25

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि रु0.करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	298.78

बैंक हेत् कुल तथा टीयर-1 पूंजी अनुपात:

बासल .।।। के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.04%
बासल .।।। के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति	7.27%
अनुपात	
बासल .।।। के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.62%

तालिका डी एफ 3 — ऋण जोख़िम : सामान्य प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।
- ख) स्वीकृत सीमा में आहरण अधिकार के संबंध में यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक समय के लिए अनियमित बना रहता है, तथा / अथवा अधिविकर्ष / नकद ऋण ओ.डी. सी.सी. के संबंध में तुलन—पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अविध के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- घ) अल्प अविध की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- ड़) दीर्घ अविध की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा—निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन—देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

यहाँ 'अतिदेय राशि' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता है।

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर—निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा—िनर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्सरंचित खाते (ख) अधिक चले समय के अंतः ग्रस्त कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्ति कर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर. / टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर—िनष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय—विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन—पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt ₹/ Crores
Interest rate risk	175.54
Foreign exchange risk (including gold)	0.77
Equity risk	37.25

Capital requirements for operational risk:

	Amt ₹/ Crores
Basic indicator approach	298.78

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	11.04%	
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	7.27%	
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	7.62%	

Table DF 3 - CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

- a) Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

ख. ऋण जोख़िम प्रबंधन तथा उद्देश्यः

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ—साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्निम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय समय पर ऋण नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा / अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोखिम रूपरेखा पर अधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचाः

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक—मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सिहत समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोख़िम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोख़िम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोख़िम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक—मण्डल को ऋण जोख़िम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोख़िम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण.उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोख़िम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोख़िमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोख़िम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोख़िम का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल / जोख़िम प्रबंधन समिति / ऋण जोख़िम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोख़िम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोख़िम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोख़िम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोख़िम प्रबंधन कक्ष (ए.एल.एम.) तथा संचालनगत जोख़िम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ साथ जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण / ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन /अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोख़िम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय.समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग / मूल्यांकन बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा / ऋण पुनरीक्षण पद्धित एक प्रभावी उपकरण है।

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:


- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes
 of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority-Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration



संविभाग प्रबंधन — शुरूआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

जीखिम आंकलन : -

वर्तमान में ऋण जोख़िम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोख़िम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूजी को जोख़िम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण_

	श्रेणी	राशि रू./करोड़
1	निधि आधारित ऋण राषि का प्रकटीकरण	57857.74
2	गैर निधि आधारित ऋण राषि का प्रकटीकरण	3433.43

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रू. / करोड़
1	विदेशी	शून्य
	निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	देशी	57857.74
	निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	3433.43

जोख्रिम का उद्योगवार वितरण

राशि रू. / करोड़

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाघान्न तथा उत्खनन	837.53	107.98	945.51
क.1 कोयला / हार्ड लिगनाईट / पीट	2.04	86.19	88.23
क.२ अन्य खाघान्न	835.49	21.79	857.28
ख. खाद्य प्रसंस्करण	1176.84	26.43	1203.27
ख.1चीनी	187.80	18.37	206.16
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	112.57	0.57	113.14
ख.३ चाय	0.28	0.00	0.28
ख.४ कॉफी	0.00	0.00	0.00
ख.५ अन्य खाद्य प्रसंस्करण	876.19	7.49	883.68
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	484.77	18.04	502.81
ग.१ तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	0.59	0.00	0.59
ग.२ बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	484.18	18.04	502.22
घ. कपड़ा उद्योग	1412.67	58.35	1471.02
घ.१ कॉटन	633.38	43.20	676.58
घ.1.1 स्पिनिंग	570.63	32.70	603.33
घ.२ जूट	2.93	0.00	2.93
घ.2.1 स्पिनिंग	1.17	0.00	1.17
घ.3 हैंडीक्राफ्ट / खादी (एनपीएस)	21.12	0.08	21.20
घ.3.1 स्पिनिंग	3.07	0.00	3.07
घ.4 सिल्क	39.97	5.11	45.08
घ.4.1 स्पिनिंग	31.24	0.59	31.83